SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अस्पष्टीकृत लेनदेन पर कराधान पर अनुपालन लेखापरीक्षा

संघ सरकार

राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर

2026 की प्रतिवेदन संख्या 32

(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत
अस्पष्टीकृत लेनदेन पर कराधान
पर अनुपालन लेखापरीक्षा

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2026 की प्रतिवेदन संख्या 32
(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

.... को लोक सभा एवं राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया।

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	*i*
	कार्यकारी सारांश	*iii-vii*
	अनुशंसाओं का सारांश	*ix-x*
अध्याय 1	परिचय और लेखापरीक्षा पद्धति	1-5
अध्याय 2	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण	7-20
अध्याय 3	अनुपालन संबंधी मुद्दे	21-120
अध्याय 4	प्रणालीगत मुद्दे	121-157
	परिशिष्ट	159-161
	संक्षिप्ताक्षर	163-164

प्रस्तावना

मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

प्रतिवेदन में आयकर विभाग, राजस्व विभाग - केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण किए गए निर्धारणों में धारा 115बीबीई के साथ पठित धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के प्रावधानों (आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अस्पष्टीकृत लेनदेन पर कराधान) के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

प्रारंभ में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अस्पष्टीकृत लेनदेन पर कराधान पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) की योजना बनाई गई थी, और तदनुसार, लेखापरीक्षा नमूने के रूप में मामलों की पहचान के लिए नवंबर 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से इस विषय पर निर्धारण आँकड़ा का अनुरोध किया गया था। हालाँकि, सीबीडीटी से अपेक्षित आँकड़ा की विलंबित प्राप्ति (जनवरी 2025) के कारण, लेखापरीक्षा ने (वर्ष 2024-25 के दौरान) इस विषय पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों, जिसमें महत्वपूर्ण कर प्रभाव शामिल था और जो वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक संचालित नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान पहले ही उठाया और विभाग को सूचित किया गया था, को संकलित किया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।

कार्यकारी सारांश

वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 01/04/2013 (निर्धारण वर्ष 2013-14 से प्रभावी) से एक नई धारा 115बीबीई सम्मिलित की गई, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी निर्धारिती की कुल आय में धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी या 69डी के अंतर्गत प्रभार्य आय सम्मिलित है, तो ऐसी आय पर अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत निर्धारिती को किसी भी व्यय या छूट के संबंध में कटौती की अनुमति दिए बिना 30 *प्रतिशत* की दर से कर लगाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, 2016 में नोटबंदी के पश्चात, वित्त मंत्री ने संसद में कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 पेश करते हुए कहा कि कर चोरी से देश संसाधनों से वंचित होता है और ईमानदार करदाताओं पर अत्यधिक बोझ पड़ता है। परिणामस्वरूप, काले धन को छिपाने के लिए अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने हेतु, धारा 115बीबीई के प्रावधानों में संशोधन किया गया, जिसमें कर की दर को 30 *प्रतिशत* से बढ़ाकर 60 *प्रतिशत* किया गया और कर पर 25 *प्रतिशत* का एक समान अधिभार लगाया गया, ताकि कर न चुकाने वाले करदाताओं पर उच्च दर से कराधान सुनिश्चित किया जा सके।

ऐसी आय पर कर तथा अधिभार की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव देय उपकर (सेस) की राशि पर पड़ेगा तथा साथ ही आयकर अधिनियम की धारा 234ए एवं 234बी के अंतर्गत देय ब्याज, यदि कोई हो, पर भी इसका परिणामस्वरूप प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी या 69डी के अंतर्गत सम्मिलित किये गए अस्पष्टीकृत लेनदेन से किसी भी व्यय या छूट या किसी भी हानि का समायोजन, जिसमें अग्रेषित की जाने वाली हानियाँ भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में किसी भी कटौती की अनुमति निर्धारिती को नहीं है।

लेखापरीक्षा में यह संज्ञान में आया कि सभी निर्धारण प्रभारों में अधिनियम की धारा 115बीबीई के साथ पठित धाराएँ 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी या 69डी के दायरे के अंतर्गत आने वाली आय के संबंध में निर्धारण आदेशों के साथ-साथ कर/अधिभार की गणना में भी काफी संख्या में विसंगतियां थीं। इसलिए, हमने शुरू में इस विषय पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा करने का निर्णय

लिया और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से आवश्यक आँकड़े माँगे। आँकड़ों की दो वर्षों से अधिक अवधि तक प्राप्ति न होने के कारण, अंततः यह निर्णय लिया गया कि वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान किए गए अनुपालन लेखापरीक्षा में धारा 115बीबीई के साथ पठित धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी तथा 69डी के प्रावधानों के त्रुटिपूर्ण अनुप्रयोग से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ संकलित करने का निर्णय लिया:

- इस प्रकार के निर्धारण करते समय अधिनियम/नियमों/परिपत्रों/निर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन की सीमा की जांच करना;
- यह जांच करना कि क्या धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के साथ पठित धारा 115बीबीई के प्रावधानों को, अर्थात् अस्पष्टीकृत क्रेडिट, निवेश, धन और व्यय आदि के कराधान से संबंधित प्रावधानों को आयकर विभाग के सभी निर्धारण प्रभारों में समान रूप से लागू किया गया था;
- धारा 115बीबीई के साथ पठित धाराएँ 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के प्रावधान वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में किस हद तक प्रभावी और सफल रहा।

इस प्रतिवेदन में ₹ 25,085 करोड़ के कर प्रभाव सहित 1,902 लेखापरीक्षा संबंधी अभ्युक्तियाँ सम्मिलित हैं, जिन्हें वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक किए गए अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उठाया गया था। जिन निर्धारण मामलों में विसंगतियां पाई गईं, वे अधिकतर उन निर्धारितियों जिनमें आयकर विवरणी दाखिल न करने वाले निर्धारिती भी सम्मिलित हैं, से संबंधित थे, जिनके संबंध में आय छिपाने की जानकारी अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई थी और/या बही-खातों /बैंक खातों में ऐसी प्रविष्टियां थीं जो निर्धारण कार्यवाही के दौरान या तो अस्पष्टीकृत थीं या संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं की गई थीं। ऐसे भी मामले थे जिनमें निर्धारिती ने आयकर विभाग (आईटीडी/विभाग) के नोटिस का प्रत्युत्तर नहीं दिया, जिसके कारण अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारण करना आवश्यक हो गया। इसके अतिरिक्त, इनमें से बड़ी संख्या में मामले निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित थे, जो वित्तीय वर्ष

2016-17 से संबन्धित थे, अर्थात वह वर्ष जिसमें नोटबंदी हुई थी और सीबीडीटी की जांच शाखा द्वारा ऑपरेशन क्लीन मनी (ओसीएम) पहल के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी।

इन 1,902 मामलों में से 1,728 मामले ₹ 23,769 करोड़ के कर के अल्प-निर्धारण/अल्प-प्रभार से संबंधित थे और शेष 174 मामले ₹ 1,316 करोड़ के कर के अति-निर्धारण/अति-प्रभार से संबंधित थे।

निर्धारण आदेशों/(कर गणना पत्रक) आईटीएनएस में विसंगतियों की प्रकृति के आधार पर, इन अभ्युक्तियों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:

- ₹ 4,707 करोड़ का कर प्रभाव सहित 926 मामलों में धारा 115बीबीई के प्रावधानों के उल्लंघन से कर दर और अधिभार के गलत अनुप्रयोग।
- ₹ 1,230 करोड़ का कर प्रभाव सहित 331 मामलों में, धारा 115बीबीई के अंतर्गत कर योग्य आय को कर गणना विवरणी में सही ढंग से सम्मिलित नहीं किया गया था।
- ₹ 349 करोड़ के कर प्रभाव सहित 56 निर्धारण मामलों में, धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी, 69डी के अंतर्गत किए गए परिवर्धन से हुई हानि का गलत तरीके से समायोजन।
- ₹ 18,799 करोड़ के कर प्रभाव सहित 589 मामलों में, धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी, 69डी के अंतर्गत आने वाले अस्पष्टीकृत लेनदेन, निर्धारण और धारा 115बीबीई के अनुसार कर के उद्ग्रहण से बच गए थे।

कुल 1,902 अभ्युक्तियों में से, ₹ 13,258 करोड़ कर प्रभाव वाले 1,643 अभ्युक्तियों में, निर्धारण अधिकारियों (एओ) ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया/सुधार किया/सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की, जबकि ₹ 2,349 करोड़ कर प्रभाव वाले 39 मामलों में, निर्धारण अधिकारी (एओ) ने अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया/सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त, ₹ 9,478 करोड़ कर प्रभाव वाले 220 मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने कोई उत्तर नहीं दिया।

निर्धारण आदेशों और/या कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में विसंगतियां यह दर्शाती हैं कि निर्धारण अधिकारियों ने अपने वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती।

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

- लेखापरीक्षा ने 23 राज्यों में कर/अधिभार की दर के गलत अनुप्रयोग से संबंधित 926 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का संज्ञान लिया, जिनका कर प्रभाव ₹ 4,707 करोड़ था। इन 926 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, ₹ 4,384 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 889 अभ्युक्तियाँ कर/अधिभार की कम वसूली से संबंधित थीं, जबकि ₹ 323 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 37 अभ्युक्तियाँ कर/अधिभार की अधिक वसूली से संबंधित थीं।

(पैराग्राफ 3.1 तथा 4.1.2)

- लेखापरीक्षा ने पाया कि 19 राज्यों में, ₹ 1,230 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 331 मामलों में, निर्धारण के पश्चात निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, आईटीएनएस में निर्धारित आय को वास्तविक निर्धारित आय से दोगुना/तिगुना या उससे अधिक गुना या उससे कम या शून्य दर्शाया गया था।

(पैराग्राफ 3.2 तथा 4.1.1)

- लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण आदेशों में निर्धारित आय की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारियों ने 12 राज्यों में ₹ 349 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 56 मामलों में धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी, 69डी के अंतर्गत की गई बढ़ोतरी से हानि का गलत तरीके से समायोजन किया।

(पैराग्राफ 3.3)

- लेखापरीक्षा ने पाया कि 20 राज्यों में ₹ 18,799 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 589 मामलों में, निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी, 69डी के प्रावधानों को समान रूप से लागू नहीं किया, जबकि उक्त लेनदेन फर्जी प्रकृति के थे या उनका स्रोत अस्पष्टीकृत था, जिसके परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण हुआ या आय का निर्धारण नहीं हो पाया।

(पैराग्राफ 3.4 तथा 4.2)

- लेखापरीक्षा ने इस प्रतिवेदन में दर्ज किए गए 1,902 मामलों में से 51 मामलों में पाया कि धारा 115बीबीई की शुरुआत से पहले यानी, नि.व. 2012-13 तक, के मामलों में पाई गई अनियमितताएं/असंगतियां, इस धारा की शुरुआत के बाद संसाधित मामलों में भी बनी रहीं।

(पैराग्राफ 3.5)

- लेखापरीक्षा ने आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु मामलों के चयन की निगरानी में कमी पाई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 1,902 मामलों में से 1,777 मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में 103 मामलों में से 17 ऐसे उदाहरण मिले, जहां प्राप्ति लेखापरीक्षा (सीएजी लेखापरीक्षा) पूरा होने के पश्चात आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी, इससे पता चलता था कि विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और संबंधित आयकर आयुक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त आयकर विभाग की लेखापरीक्षा नियमावली 2019 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित नहीं कर सके।

(पैराग्राफ 4.3.2)

अनुशंसाओं का सारांश

- *हालांकि विभाग ने लेखापरीक्षा में बताए गए मामलों में सुधारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये केवल कुछ उदाहरण वाले मामले हैं जिनकी लेखापरीक्षा के दौरान जांच की गई थी। इसलिए, सीबीडीटी उपलब्ध मैनपावर के आधार पर, रिस्क एनालिसिस करने और सीबीडीटी द्वारा तय की जाने वाली वित्तीय सीमा को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित संभावित निर्धारण मामलों की समीक्षा कर सकता है। इन मामलों में ऐसे निर्धारण शामिल हो सकते हैं जिनमें बिना बताए या बिना खुलासा किए गए लेनदेन पर कर लगाया जाना हो, ताकि राजस्व का नुकसान न हो।*

- *सीबीडीटी ऐसी त्रुटियों के कारणों को चिन्हित करने पर विचार करे और तदनुसार भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक त्रुटिरहित सूचना प्रौधोगिकी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित करे।*

- *सीबीडीटी यह जांच करे कि पाई गई "त्रुटियों" के मामले चूक या जानबूझकर की गई त्रुटियां हैं, और जानबूझकर की गई त्रुटियों के मामले में, आयकर विभाग विधियों के अनुसार जिम्मेदारी तय करने सहित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे।*

- *सीबीडीटी गणना संबंधी त्रुटियों के कारणों को चिन्हित करे और राजकोष को राजस्व हानि, मुकदमेबाजी और निर्धारिती को उत्पीड़न से बचाने/कम करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर समस्या को ठीक करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने पर विचार करे।*

- *सीबीडीटी प्रासंगिक धाराओं के प्रावधानों को लागू करने में भिन्नताओं और निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धनों के कारणों की जांच करे और निर्धारण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, संभवतः उदाहरणों सहित, मानक परिचालन प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों को जारी करने पर विचार करे, जिससे सरकारी खजाने/कोष को होने वाली हानि/संभावित मुकदमेबाजी को कम किया जा सके।*

- *सीबीडीटी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने और विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के कार्यप्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार करे। सीबीडीटी संभावित मामलों के चयन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु मामलों के चयन के मानदंडों पर पुनर्विचार करने पर भी विचार करे।*

अध्याय 1: परिचय तथा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

1.1 विहंगावलोकन

सरकार को कल्याणकारी राज्य के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, अन्य विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी संसाधनों में प्रत्यक्ष कर राजस्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्त मंत्री ने 2012 के अपने बजट भाषण में, अलेखांकित धन के सृजन और उपयोग को रोकने के लिए कई उपायों का प्रस्ताव रखा, जिनमें आय वर्ग की परवाह किए बिना, अस्पष्टीकृत धन, ऋण, निवेश और व्यय पर 30 *प्रतिशत* की उच्चतम दर से कर लगाना सम्मिलित था। परिणामस्वरूप, वित्त अधिनियम, 2012 (निर्धारण वर्ष 2013-14 से लागू) के माध्यम से, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में एक नई धारा 115बीबीई को सम्मिलित किया गया, ताकि अस्पष्टीकृत राशियों पर 30 *प्रतिशत* की उच्च दर से कर लगाया जा सके (लागू अधिभार और उपकर को छोड़कर) और अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत निर्धारिती को किसी भी व्यय या छूट के संबंध में कटौती की अनुमति न दी जाए।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016 में नोटबंदी के पश्चात, वित्त मंत्री ने संसद में कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 पेश करते हुए कहा कि करों की चोरी से देश उन महत्वपूर्ण संसाधनों से वंचित हो जाता है जो सरकार को गरीबी उन्मूलन और विकास कार्यक्रमों को चलाने में सक्षम बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे ईमानदार करदाताओं पर भी असमान बोझ पड़ता है, जिन्हें राजस्व के रिसाव की क्षतिपूर्ति हेतु उच्च करों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। परिणामस्वरूप, काले धन को छिपाने हेतु अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, धारा 115बीबीई के प्रावधानों में अन्य बातों के अतिरिक्त कर दर को 30 *प्रतिशत* से बढ़ाकर 60 *प्रतिशत* करने और कर पर 25 *प्रतिशत* का एक समान अधिभार लगाने के द्वारा संशोधन किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चूक करने वाले निर्धारितियों पर उच्च दर से कर लगाया जाए।

1.2 आयकर विभाग (आईटीडी) की भूमिका

1.2.1 सभी निर्धारितियों/करदाताओं को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी आय की सही घोषणा करते हुए आयकर विवरण (आईटीआर) दाखिल करना अनिवार्य है। इस प्रकार दाखिल किए गए आईटीआर का संक्षिप्त प्रसंस्करण बेंगलुरु स्थित केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंप्यूटर-सहायता प्राप्त संवीक्षा चयन (सीएएसएस) के आधार पर, संक्षेप में निर्धारण किए गए इन मामलों में से कुछ को विस्तृत संवीक्षा निर्धारण के लिए चुना जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में, जिनमें कर दाखिल न करने वालों के मामले भी सम्मिलित हैं, व्यक्तियों को आयकर विभाग द्वारा तलाशी और ज़ब्ती के माध्यम से प्राप्त जानकारी और/या आयकर विभाग के इनसाइट पोर्टल के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर आय से बचने के आकलन/पुनर्मूल्यांकन के लिए चुना जाता है।

1.2.2 संवीक्षा निर्धारण में, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की आय का निर्धारण करना होता है और सभी मामलों में देय कर या वापसी योग्य राशि का सही निर्धारण करना होता है, चाहे वह राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र (एनईएसी) के माध्यम से पहचनविहीन निर्धारण में हो या केंद्रीय सर्किलों, स्थानांतरण मूल्य निर्धारण कार्यालय और अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रभारों से संबंधित मामलों में मानवीय निर्धारण के माध्यम से हो।

1.2.3 निर्धारण करते समय, निर्धारण अधिकारी को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती के अस्पष्टीकृत धन, क्रेडिट, निवेश और व्यय आदि की जांच करनी होगी और उन्हें कर के दायरे में लाना होगा।

1.3 हमने इस विषय का चयन क्यों किया

धारा 115बीबीई, जिसे वित्त अधिनियम 2012 (निर्धारण वर्ष 2013-14 से लागू) के माध्यम से लागू किया गया था, को बेहिसाब धन के सृजन और उपयोग को रोकने और काले धन को छिपाने के लिए अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रस्तुत किया गया था, इसलिए लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या अधिनियम के प्रावधानों को विधायिका के अभिप्रेत/वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु सफलतापूर्वक लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त, नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा करते समय, लेखापरीक्षा दल

को निर्धारितियों की आय के निर्धारण में कई विसंगतियां मिलीं, जिनमें अस्पष्टीकृत धन, क्रेडिट, निवेश और व्यय आदि के रूप में मानी गई आय और कर की गणना सम्मिलित है।

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

- ऐसे आकलन करते समय अधिनियम/नियमों/परिपत्रों/निर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन की सीमा की जांच करना।
- यह जांच करना कि क्या धारा 115बीबीई के प्रावधानों को धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के साथ पढ़ा जाए, अर्थात् अस्पष्टीकृत क्रेडिट, निवेश, धन और व्यय आदि के कराधान से संबंधित प्रावधानों को आयकर विभाग के सभी निर्धारण प्रभारों में समान रूप से लागू किया गया था।
- धारा 115बीबीई के प्रावधानों के साथ पठित धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी अभिप्रेत/वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में किस हद तक प्रभावी और सफल रहा।

1.5 वैधानिक प्रावधान

आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान ***परिशिष्ट 1.1*** में दिए गए हैं।

1.6 लेखापरीक्षा की सीमा और कार्यप्रणाली

- लेखापरीक्षा ने प्रारम्भ में धारा 115बीबीई के प्रावधानों के साथ पठित धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के अनुप्रयोग पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा) आयोजित करने की योजना बनाई थी, जिसमें वि.व. 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान पूर्ण किए गए निर्धारण सम्मिलित थे।
- तदनुसार, उपर्युक्त अवधि के दौरान पूर्ण किए गए निर्धारण से संबंधित आवश्यक आँकड़े नवंबर 2022 में सीबीडीटी से माँगे गए थे। हालांकि, कई अनुस्मारक और विभिन्न स्तरों पर अनुवर्ती बैठकों के बावजूद, सीबीडीटी द्वारा समय पर आवश्यक आँकड़े उपलब्ध नहीं कराये गए।

- सीबीडीटी से अपेक्षित आँकड़े प्राप्त न होने के कारण, लेखापरीक्षा ने इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया। इसके पश्चात, उपरोक्त विषय पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को संकलित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें महत्वपूर्ण कर प्रभाव[1] सम्मिलित था और जिसे वि.व. 2018-19 से 2022-23 तक आयोजित नियमित अनुपालन लेखापरीक्षाओं के दौरान पहले ही उठाया जा चुका था और विभाग को सूचित किया जा चुका था।
- मसौदा विस्तृत पैराग्राफ तैयार होने पर, इन्हें संबंधित मुख्य आयकर आयुक्तों (सीसीएसआईटी)/प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों (पीसीसीआईटी) को संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उनकी टिप्पणियों के लिए जारी किया गया था।
- विभाग से प्राप्त उत्तरों/प्रतिक्रियाओं को मसौदा प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किया गया।
- 30 दिसंबर 2025 को मंत्रालय/सीबीडीटी को उनकी टिप्पणियों के लिए समेकित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा जारी किया गया था। 31 दर्शाए गए मामलों और छह सिफारिशों में सीबीडीटी की प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद, लेखापरीक्षा निष्कर्षों और उनकी टिप्पणियों के संबंध में लेखापरीक्षा सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए 20 मई 2026 को सीबीडीटी के साथ एक एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। चर्चा के परिणाम, सीबीडीटी की टिप्पणियां और लेखापरीक्षा टिप्पणियां अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विधिवत शामिल की गई हैं।

1.7 प्रतिबंध

धारा 115बीबीई के साथ पठित धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के प्रावधानों को लागू करने से संबंधित निर्धारण पर आँकड़े सीबीडीटी से समय पर माँगे थे, ताकि लेखापरीक्षा नमूने व्युत्पन्न किया जा सके और विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की जा सके। अपेक्षित आँकड़े नवंबर 2022 में सीबीडीटी से माँगे गए थे, और यह जनवरी 2025 में, यानी दो वर्ष से अधिक समय पश्चात प्रदान किये गए थे। उपर्युक्त आँकड़ों को प्राप्त करने में हुए अत्यधिक

[1] लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ जहां कर प्रभाव ₹ 10 लाख और अधिक था

विलंब के कारण लेखापरीक्षा को विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की शुरुआत को कई बार स्थगित करना पड़ा और अंततः विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा को रद्द करना पड़ा। इसके पश्चात, उक्त विषय पर लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध आँकड़ों/सामग्री के आधार पर, नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के रूप में, इस प्रतिवेदन को संकलित किया गया।

1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश

इस प्रतिवेदन में, हमने आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा संपन्न आयकर निर्धारण के नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 115बीबीई के साथ पठित धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के अनुप्रयोग में हुई त्रुटियों से संबंधित ₹ 25,085 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 1,902 उच्च मूल्य वाले लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ संकलित किए हैं। लेखापरीक्षा में मुख्य रूप से चार श्रेणियों की अभ्युक्तियाँ पाई गईं, जैसे: कर और अधिभार की दर का गलत अनुप्रयोग; गणना पत्रक में निर्धारित आय को गलत तरीके से अपनाना; धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के अंतर्गत किए गए परिवर्धनों के विरुद्ध हानियों का गलत समायोजन; धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के अंतर्गत मानी गई आय से संबंधित निर्धारण से छूट गई आय।

1,902 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, विभाग ने मई 2026 तक 1,682 मामलों में प्रत्युत्तर दिया। विभाग ने 1,643 (86.38 *प्रतिशत*) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया, जिनमें ₹ 13,258 करोड़ के कर संबंधी प्रभाव सम्मिलित थे, जबकि विभाग ने ₹ 2,349 करोड़ के कर संबंधी प्रभाव वाले 39 मामलों को अस्वीकार कर दिया। शेष 220 मामलों में, विभाग ने मई 2026 तक कोई उत्तर नहीं दिया।

अध्याय 2: लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण

इस अध्याय में वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अनुपालन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान क्षेत्र-वार, करदाता की स्थिति-वार और श्रेणी-वार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण दिया गया है, जिसमें कर संबंधी प्रभाव भी सम्मिलित है। साथ ही, विभाग द्वारा इन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रत्युत्तर में की गई कार्रवाई, इन मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति और विस्तृत संवीक्षा निर्धारण हेतु मामलों के चयन हेतु विभाग द्वारा अपनाए गए मानदंडों का भी वर्णन किया गया है।

2.1 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीबीई के साथ पठित धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी को लागू करने में हुई त्रुटियों से संबंधित कुल 1,902 अभ्युक्तियाँ, जिनमें प्रत्येक अभ्युक्तियों हेतु सीमा ₹ 10.00 लाख है, जिन्हें वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से विभाग के 19 क्षेत्रों को जारी किया गया था, को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया हैं। इन लेखापरीक्षा संबंधी अभ्युक्तियों का विवरण एकत्र किया गया और समेकन के पश्चात उनका विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के परिणाम आगामी पैराग्राफ में संक्षेपित किया गया है।

2.1.1 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का क्षेत्र-वार वितरण

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीबीई के साथ पठित धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के अनुप्रयोग में हुई त्रुटियों से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के क्षेत्र-वार वितरण का पता लगाने के उद्देश्य से, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान उजागर की गई 1,902 अभ्युक्तियों के आँकड़ों का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि दिल्ली क्षेत्र में सबसे अधिक अभ्युक्तियाँ (629) दर्ज की गईं, उसके पश्चात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्रों (258) और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों (144) का स्थान रहा। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान दर्ज की गई अभ्युक्तियों का क्षेत्र-वार वितरण नीचे चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: क्षेत्र-वार अभ्युक्तियाँ

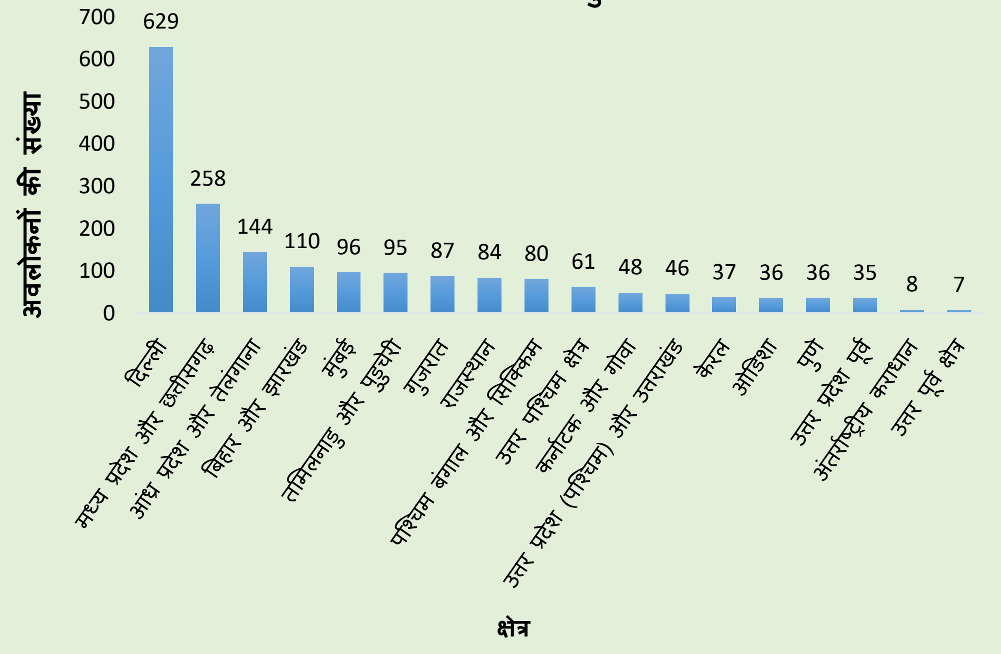

2.1.2 निर्धारितियों की श्रेणी-वार अभ्युक्तियाँ

लेखापरीक्षा में उन निर्धारितियों की श्रेणियों का विश्लेषण किया गया जिनके विरुद्ध अभ्युक्तियाँ उठाई गई थीं और पाया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई कुल 1,902 अभ्युक्तियों में से सबसे अधिक अभ्युक्तियाँ 'व्यक्तिगत' (1,072) श्रेणी से संबंधित थीं, उसके पश्चात 'कंपनी' (481) और 'फर्म' (249) से संबंधित अभ्युक्तियाँ थीं। विवरण नीचे तालिका 2.1 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.1: निर्धारितियों की श्रेणी

क्षेत्र	व्यक्ति (1)	कंपनी (2)	फर्म (3)	व्यक्तियों का समूह (4)	ट्रस्ट (5)	हिन्दू अविभाजित परिवार (6)	कृत्रिम विधिक व्यक्ति (7)	स्थानीय प्राधिकारी (8)	सरकार (9)	कुल
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	90	23	17	4	9	1				**144**
बिहार और झारखंड	77	14	12	1	4	1			1	**110**
दिल्ली	338	199	68	3	11	10				**629**
गुजरात	39	10	37			1				**87**
अंतर्राष्ट्रीय कराधान	7	1								**8**
कर्नाटक और गोवा	32	11	5							**48**
केरल	25	7	4		1					**37**

तालिका 2.1: निर्धारितियों की श्रेणी										
क्षेत्र	**व्यक्ति (1)**	**कंपनी (2)**	**फर्म (3)**	**व्यक्तियों का समूह (4)**	**ट्रस्ट (5)**	**हिन्दू अविभाजित परिवार (6)**	**कृत्रिम विधिक व्यक्ति (7)**	**स्थानीय प्राधिकारी (8)**	**सरकार (9)**	**कुल**
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	167	41	30	16	3	1				**258**
मुंबई	16	71	6	1	1	1				**96**
नागपुर	3	1	1							**5**
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	6		1							**7**
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र	23	18	12	1	5	2				**61**
ओडिशा	28	3	1	1	1		1	1		**36**
पुणे	14	11	7	3	1					**36**
राजस्थान	60	5	11	7	1					**84**
तमिलनाडु और पुडुचेरी	52	19	22	1	1					**95**
उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	28	3	2	1	1					**35**
उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) और उतराखंड	28	8	8			1	1			**46**
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	39	36	5							**80**
सकल कुल	**1,072**	**481**	**249**	**39**	**39**	**18**	**2**	**1**	**1**	**1,902**

जैसा कि उपरोक्त तालिका 2.1 में दर्शाया गया है, निर्धारिती की श्रेणी-वार टिप्पणियाँ विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न थीं। 'व्यक्ति' श्रेणी में, सबसे अधिक अभ्युक्तियाँ दिल्ली (338) में देखी गईं, उसके पश्चात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (167) और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (90) का स्थान रहा। 'कंपनी' श्रेणी में, सबसे अधिक अभ्युक्तियाँ दिल्ली (199) में देखी गईं, उसके पश्चात मुंबई (71) और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (41) का स्थान रहा। 'फर्म' श्रेणी में, सबसे अधिक अभ्युक्तियाँ दिल्ली (68) में देखी गईं, उसके पश्चात गुजरात (37) और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (30) का स्थान रहा।

2.1.3 अभ्युक्ति श्रेणियों का क्षेत्र-वार वितरण और संबंधित कर प्रभाव

लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई अभ्युक्तियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि कर/अधिभार की गलत दर, आयकर अधिनियम में अनुचित तरीके से ली गई निर्धारित आय, धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी (68 से 69डी) के अंतर्गत किए गए परिवर्धन के समक्ष हानियों का त्रुटिपूर्ण समायोजन

और धारा 68 से 69डी के अंतर्गत कर मांग से छूट गई अस्पष्टीकृत आय। लेखापरीक्षा में इन चार श्रेणियों में अभ्युक्तियों के क्षेत्र-वार वितरण और संबंधित कर प्रभाव का विश्लेषण किया गया, जिसका परिणाम नीचे तालिका 2.2 में दिया गया है:

तालिका 2.2: अभ्युक्तियों की श्रेणी

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	अभ्युक्तियों की श्रेणी							
	क-कर/अधिभार की गलत दर		ख-आईटीएनएस में अनुचित तरीके से ली गई निर्धारित आय		ग-धारा 68/69 के अंतर्गत किए गए परिवर्धन के समक्ष हानियों का गलत समायोजन		घ-धारा 68/69 के अंतर्गत कर की मांग से छूट गई अस्पष्टीकृत आय	
	अभ्युक्तियों की संख्या	कर प्रभाव	अभ्युक्तियों की संख्या	कर प्रभाव	अभ्युक्तियों की संख्या	कर प्रभाव	अभ्युक्तियों की संख्या	कर प्रभाव
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	76	343	51	122	4	44	13	85
बिहार और झारखंड	78	67	3	3			29	65
दिल्ली	233	2,299	114	596	17	80	265	13,764
गुजरात	53	72	7	15	1	1	26	265
अंतर्राष्ट्रीय कराधान	6	30	2	1				
कर्नाटक और गोवा	33	65	8	29	2	30	5	142
केरल	18	34	5	7	1	4	13	25
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	87	152	76	96	4	45	91	2,071
मुंबई	43	491	1	1	15	85	37	640
नागपुर	4	5					1	3
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	7	3						
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र	23	176	15	184	3	49	20	412
ओडिशा	21	26	12	40	1	1	2	3
पुणे	14	55	1	1	1	3	20	839
राजस्थान	56	52	20	25	4	2	4	3
तमिलनाडु और पुडुचेरी	79	487	6	89	2	1	8	68
उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	19	31	6	15			10	37
उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) और उत्तराखंड	33	130	4	6			9	111
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	43	188			1	5	36	266
सकल कुल	**926**	**4,706**	**331**	**1,230**	**56**	**349**	**589**	**18,799**

जैसा कि उपरोक्त तालिका 2.2 से देखा जा सकता है, 1,902 निर्धारणों में से, सबसे अधिक निर्धारण "श्रेणी क - कर/अधिभार की गलत दर" के अंतर्गत आते हैं, जो 926 निर्धारणों हेतु जिम्मेदार हैं, इसके पश्चात "श्रेणी घ - धारा 68 से 69डी के अंतर्गत कर से बचने वाली अस्पष्टीकृत आय" के अंतर्गत 589 अभ्युक्तियाँ आती हैं।

श्रेणी 'क' के अंतर्गत, दिल्ली क्षेत्र में सबसे अधिक अभ्युक्तियाँ (233) थे, उसके पश्चात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र (87) थे और श्रेणी 'घ' में, दिल्ली क्षेत्र में सबसे अधिक अभ्युक्तियाँ (265) थीं, उसके पश्चात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र (91) थे।

2.1.4 अभ्युक्तियों का श्रेणी-वार वितरण और कर-प्रभाव

आयकर विभाग के 19 क्षेत्रों में कुल 1,902 अभ्युक्तियाँ उठाई गईं, जिनका कुल कर प्रभाव ₹ 25,085 करोड़ था। इन अभ्युक्तियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे: कर/अधिभार की गलत दर, आयकर विवरण में गलत तरीके से दर्ज की गई निर्धारित आय, धारा 68 से 69डी के अंतर्गत किए गए अतिरिक्त करों के विरुद्ध हानियों का गलत समायोजन और धारा 68 से 69डी के अंतर्गत कर मांग से छूट गई अस्पष्टीकृत आय। नीचे दिया गया चार्ट 2.2 अभ्युक्तियों का श्रेणी-वार वितरण और संबंधित कर प्रभाव दर्शाता है।

चार्ट 2.2: कर प्रभाव तथा अभ्युक्तियों का श्रेणीवार वितरण

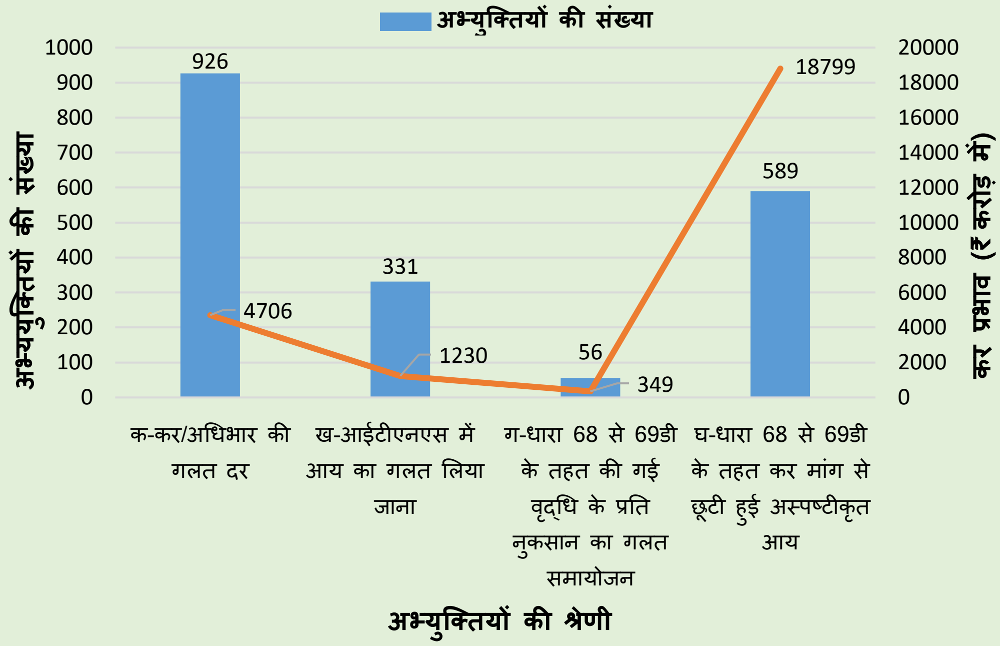

जैसा कि ऊपर चार्ट 2.2 में देखा गया है, श्रेणी क के अंतर्गत कुल 926 अभ्युक्तियाँ और श्रेणी ख के अंतर्गत 331 अभ्युक्तियाँ दर्ज की गईं, जिनका कर प्रभाव क्रमशः ₹ 4,706 करोड़ और ₹ 1,230 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, श्रेणी ग और घ के अंतर्गत क्रमशः 56 और 589 अभ्युक्तियाँ दर्ज की गईं, जिनका कर प्रभाव क्रमशः ₹ 349 करोड़ और ₹ 18,799 करोड़ था।

2.1.5 संबंधित कर-प्रभाव के साथ अभ्युक्तियों के वितरण का विवरण

कर प्रभाव के आधार पर अभ्युक्तियों के वितरण का पता लगाने हेतु, लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गईं अभ्युक्तियाँ (1,902) का विश्लेषण किया गया और उन्हें कर प्रभाव के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। नीचे दी गई तालिका 2.3 में संबंधित कर प्रभाव के साथ क्षेत्र-वार अभ्युक्तियों का वितरण दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: कर प्रभाव के साथ अभ्युक्तियों का क्षेत्र-वार वितरण

क्षेत्र	कर प्रभाव स्लैब (₹ करोड़ में)												कुल अभ्युक्तियाँ	कुल कर प्रभाव
	₹ 50 करोड़ तक		₹ 50 करोड़ से अधिक तथा ₹ 200 करोड़ तक		₹ 200 करोड़ से अधिक तथा ₹ 400 करोड़ तक		₹ 400 करोड़ से अधिक तथा ₹ 700 करोड़ तक		₹ 700 करोड़ से अधिक तथा ₹ 1,000 करोड़ तक		₹ 1,000 करोड़ से अधिक तथा ₹ 1,400 करोड़ तक			
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव		
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	142	449	2	144	0	0	0	0	0	0	0	0	**144**	**593**
बिहार और झारखंड	110	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**110**	**136**
दिल्ली	561	4,048	56	5,559	5	1,321	3	1,587	2	1,827	2	2,397	**629**	**16,739**
गुजरात	86	176	1	177	0	0	0	0	0	0	0	0	**87**	**353**
अंतर्राष्ट्रीय कराधान	8	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**	**31**
कर्नाटक और गोवा	47	157	1	110	0	0	0	0	0	0	0	0	**48**	**267**
केरल	37	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**37**	**70**
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	250	747	6	470	1	282	0	0	1	865	0	0	**258**	**2,364**
मुंबई	91	614	4	370	1	233	0	0	0	0	0	0	**96**	**1,217**
नागपुर	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**	**8**
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**	**3**

तालिका 2.3: कर प्रभाव के साथ अभ्युक्तियों का क्षेत्र-वार वितरण														
क्षेत्र	कर प्रभाव स्लैब								(₹ करोड़ में)				कुल अभ्युक्तियाँ	कुल कर प्रभाव
	₹ 50 करोड़ तक		₹ 50 करोड़ से अधिक तथा ₹ 200 करोड़ तक		₹ 200 करोड़ से अधिक तथा ₹ 400 करोड़ तक		₹ 400 करोड़ से अधिक तथा ₹ 700 करोड़ तक		₹ 700 करोड़ से अधिक तथा ₹ 1,000 करोड़ तक		₹ 1,000 करोड़ से अधिक तथा ₹ 1,400 करोड़ तक			
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव		
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र	56	427	5	393	0	0	0	0	0	0	0	0	**61**	**820**
ओडिशा	36	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36**	**70**
पुणे	33	134	1	57	1	277	1	429	0	0	0	0	**36**	**898**
राजस्थान	84	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**84**	**82**
तमिलनाडु और पुडुचेरी	93	504	2	142	0	0	0	0	0	0	0	0	**95**	**646**
उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	35	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**35**	**82**
उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) और उत्तराखंड	46	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**46**	**247**
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	78	342	2	117	0	0	0	0	0	0	0	0	**80**	**459**
सकल कुल	**1,805**	**8,327**	**80**	**7,539**	**8**	**2,114**	**4**	**2,016**	**3**	**2,692**	**2**	**2,397**	**1,902**	**25,085**

जैसा कि ऊपर तालिका 2.3 में दिखाया गया है, दिल्ली क्षेत्र का संचयी कर प्रभाव सबसे अधिक ₹ 16,739 करोड़ रहा, इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्रों का ₹ 2,364 करोड़ और मुंबई क्षेत्र का ₹ 1,217 करोड़ रहा।

आगे, उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल 1,902 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से 95 *प्रतिशत* में कर प्रभाव ₹ 50 करोड़ तक का था। इस श्रेणी में दिल्ली क्षेत्र में सर्वाधिक 561 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ दर्ज की गईं, जिनमें कर प्रभाव ₹ 4,048 करोड़ था। इसके बाद मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्र का स्थान रहा, जहाँ 250 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में ₹ 747 करोड़ का कर प्रभाव था, और मुंबई क्षेत्र में 91 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में ₹ 614 करोड़ का कर प्रभाव पाया गया।

नीचे दी गई तालिका 2.4 में ₹ 50 करोड़ से कम के कर प्रभाव वाली क्षेत्र-वार अभ्युक्तियों का विस्तृत वितरण दिया गया है।

तालिका 2.4: ₹ 50 करोड़ से कम कर प्रभाव वाली अभ्युक्तियों का क्षेत्र-वार वितरण												
	कर प्रभाव स्लैब								(₹ करोड़ में)			
क्षेत्र	₹ 10 करोड़ तक		₹ 10 करोड़ से अधिक तथा ₹ 20 करोड़ तक		₹ 20 करोड़ से अधिक तथा ₹ 30 करोड़ तक		₹ 30 करोड़ से अधिक तथा ₹ 40 करोड़ तक		₹ 40 करोड़ से अधिक तथा ₹ 50 करोड़ तक		कुल अभ्युक्तियाँ	कुल कर प्रभाव
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव		
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	135	287	3	46	2	51	2	65	0	0	142	449
बिहार और झारखंड	107	97	3	39	0	0	0	0	0	0	110	136
दिल्ली	429	1045	57	852	47	1,154	22	739	6	258	561	4048
गुजरात	81	113	5	63	0	0	0	0	0	0	86	176
अंतर्राष्ट्रीय कराधान	6	4	2	27	0	0	0	0	0	0	8	31
कर्नाटक और गोवा	45	102	0	0	2	55	0	0	0	0	47	157
केरल	36	59	1	11	0	0	0	0	0	0	37	70
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	233	373	9	133	3	71	5	171	0	0	250	747
मुंबई	74	224	7	96	7	164	0	0	3	130	91	614
नागपुर	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र	38	108	14	213	3	75	1	31	0	0	56	427
ओडिशा	35	50	1	20	0	0	0	0	0	0	36	70
पुणे	30	70	2	22	0	0	0	0	1	42	33	134
राजस्थान	83	71	1	10	0	0	0	0	0	0	84	81
तमिलनाडु और पुडुचेरी	76	226	14	182	2	50	0	0	1	46	93	504
उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	34	69	1	13	0	0	0	0	0	0	35	82
उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) और उत्तराखंड	39	71	3	37	1	20	2	75	1	44	46	247
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	71	144	2	31	3	80	0	0	2	87	78	342
सकल कुल	**1,564**	**3,124**	**125**	**1,795**	**70**	**1,720**	**32**	**1,081**	**14**	**607**	**1,805**	**8,327**

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका 2.4 में देखा गया है, ₹ 50 करोड़ से कम कर प्रभाव वाली 1,805 अभ्युक्तियों में से 1,564 अभ्युक्तियाँ (82 *प्रतिशत*) जारी की गईं, जहाँ कर प्रभाव ₹ 10 करोड़ से कम था। इसके अलावा, इस श्रेणी के अंतर्गत, यानी ₹ 10 करोड़ से कम कर प्रभाव वाली लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में, ₹ 1,045 करोड़ के कर-प्रभाव वाली 429 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के साथ सबसे

अधिक संख्या दिल्ली क्षेत्र में थी, इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ₹ 373 करोड़ के कर प्रभाव वाली 233 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में ₹ 287 करोड़ के कर प्रभाव वाली 135 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ थी।

2.2 अभ्युक्तियों पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की क्षेत्र-वार स्थिति

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में आईटडी के विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन का निर्धारण करने के लिए, लेखापरीक्षा ने उपचारात्मक कार्रवाईयों पर उपलब्ध आँकड़ों का विश्लेषण किया। नीचे दी गई तालिका 2.5 में वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान जारी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में विभाग द्वारा की गई कार्रवाईयों की क्षेत्र-वार स्थिति प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.5: लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की क्षेत्र-वार स्थिति

क्षेत्र	उपचारात्मक कार्रवाई पूर्ण	उपचारात्मक कार्रवाई शुरू	उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई	कोई उत्तर नहीं	कुल
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	116	9	1	18	144
बिहार और झारखंड	91	19			110
दिल्ली	288	151	18	172	629
गुजरात	75	12			87
अंतर्राष्ट्रीय कराधान	5	1		2	8
कर्नाटक और गोवा	39	4	1	4	48
केरल	31	2			33
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	228	20	6	4	258
मुंबई	62	27	5	2	96
नागपुर	5	0			5
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	7	0			7
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र	38	3	7	13	61
ओडिशा	19	17			36
पुणे	23	9	1	3	36
राजस्थान	83	1			84
तमिलनाडु और पुडुचेरी	96	3			99
उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	34	1			35
उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) और उत्तराखंड	46				46
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	76	2		2	80
सकल कुल	**1,362**	**281**	**39**	**220**	**1,902**

कुल 1,902 अभ्युक्तियों में से विभाग ने 1,362 मामलों (71 *प्रतिशत*) में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की है और 281 मामलों (14 *प्रतिशत*) में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है। 39 (दो *प्रतिशत*) अभ्युक्तियों में कोई उपचारात्मक कार्रवाई

नहीं की है, जबकि शेष 220 मामलों (11 *प्रतिशत*) के लिए विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है (मई 2026)।

उपचारात्मक कार्रवाई पूरी करने/शुरू करने वाले मामलों की सबसे अधिक संख्या दिल्ली क्षेत्र (439 मामले) में थी, इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र (248) थे। जबकि उन अभ्युक्तियों की संख्या जहां उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई या विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया, वे भी दिल्ली क्षेत्र (190 मामले) में सबसे अधिक थी, इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र के (19 मामले) थे।

इसके अलावा, विभाग द्वारा उन्हें जारी की गई अभ्युक्तियों पर की गई कार्रवाई सभी चार श्रेणियों में भिन्न होती है। कर/अधिभार की गलत दर, आईटीएनएस में त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्शाई गई निर्धारित आय, धारा 68 से 69डी के अंतर्गत की गई वृद्धि के प्रति हानि का गलत समायोजन और धारा 68 से 69डी के अंतर्गत कर मांग से बचने वाली अस्पष्टीकृत आय, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट 2.3 में चर्चा की गई है।

चार्ट 2.3: विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का श्रेणी-वार वितरण

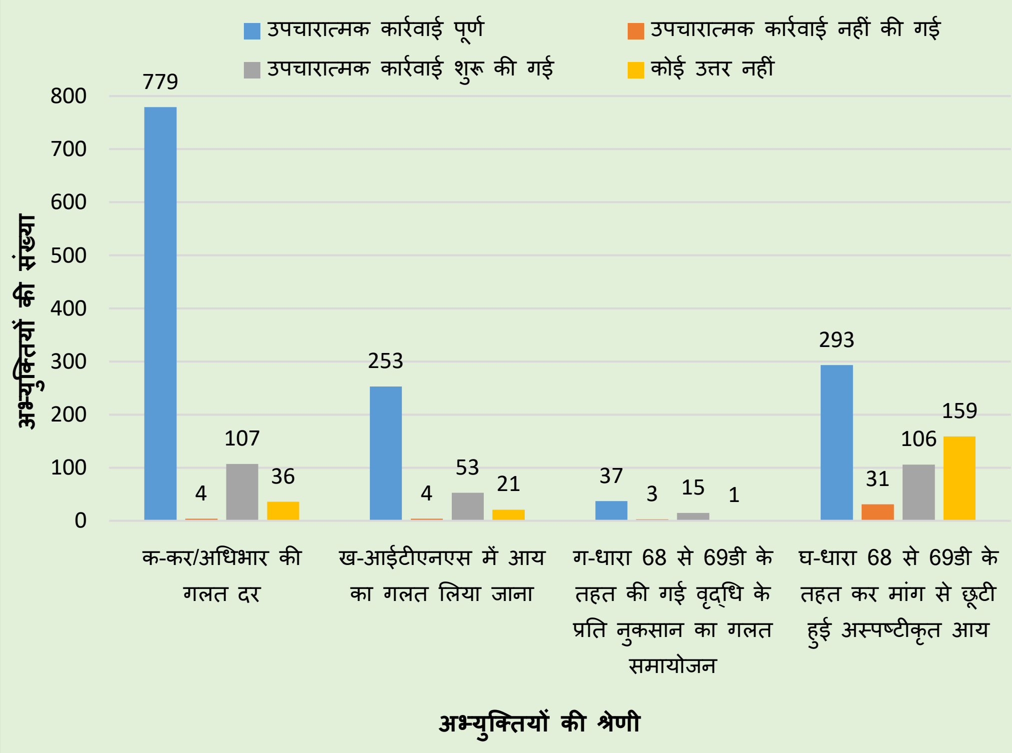

विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के श्रेणी-वार वितरण का लेखापरीक्षा विश्लेषण नीचे विस्तृत है:

क) **श्रेणी क: कर/अधिभार की गलत दरः** लेखापरीक्षा में उल्लेख किया गया है कि 779 अभ्युक्तियों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की गई, जबकि 107 अभ्युक्तियों में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। इसके अलावा, नौ अभ्युक्तियों में कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, और 36 अभ्युक्तियों में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

ख) **श्रेणी ख: आईटीएनएस में गलत तरीके से ली गई निर्धारित आय:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि 253 अभ्युक्तियों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की गई, जबकि 53 अभ्युक्तियों में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि, 4 अभ्युक्तियों में कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, और 21 अभ्युक्तियों में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

ग) **श्रेणी ग: धारा 68 से 69डी के अंतर्गत किए गए परिवर्धनों के प्रति हानियों का गलत समायोजन:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि 37 अभ्युक्तियों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जबकि 15 अभ्युक्तियों में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है। इसके अलावा, तीन अभ्युक्तियों में कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की है, और एक अभ्युक्ति में कोई उत्तर नहीं दिया है।

घ) **श्रेणी घ: धारा 68 से 69डी के अंतर्गत कर मांग से छूट गई अस्पष्टिकृत आय:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि 293 अभ्युक्तियों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जबकि 106 अभ्युक्तियों में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। इसके अलावा, 31 अभ्युक्तियों में कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, और 159 अभ्युक्तियों में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.3 विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण

विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष पूरा किए गए निर्धारणों का विभाग द्वारा तय किए गए मापदंडों के आधार पर विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा दल (आईएपी) द्वारा आंतरिक रूप से लेखापरीक्षण किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में उन निर्धारणों पर विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा की क्षेत्र-वार स्थिति का सारांश दिया गया है जहां इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा द्वारा अभ्युक्तियाँ की गई।

तालिका 2.6: आईएपी द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण				
क्षेत्र	**नहीं किया गया**	**किया गया**	**ज्ञात नहीं**	**कुल**
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	139	5		144
बिहार और झारखंड	110			110
दिल्ली	540	89		629
गुजरात	87			87
अंतर्राष्ट्रीय कराधान	8			8
कर्नाटक और गोवा	48			48
केरल	28	9		37
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	236		22	258
मुंबई	96			96
नागपुर	5			5
पूर्वोत्तर क्षेत्र	7			7
पश्चिमोत्तर क्षेत्र	61			61
ओडिशा	36			36
पुणे	36			36
राजस्थान	84			84
तमिलनाडु और पुडुचेरी	95			95
उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	35			35
उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) और उत्तराखंड	46			46
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	80			80
सकल कुल	**1,777**	**103**	**22**	**1,902**

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका 2.6 में देखा गया है, कुल 1,902 निर्धारणों में से 93 *प्रतिशत* (1,777) का आईएपी द्वारा लेखापरीक्षण नहीं किया गया। इसके अलावा, क्षेत्र-वार विभाजन से पता चलता है कि आईएपी ने केवल चार क्षेत्रों में निर्धारण का लेखापरीक्षण किया है। दिल्ली, केरल, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, और ओडिशा का क्रमशः वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान 89, 9, 3 और 2 निर्धारणों के लिए लेखापरीक्षण किया गया, उन मामलों में जहां लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ की गई थी।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि आईएपी ने दिल्ली क्षेत्र में 17 निर्धारणों में कुछ मुद्दों के बारे में अभ्युक्तियाँ कीं, जिन्हें लेखापरीक्षा द्वारा पहले ही उठाया जा चुका था।

2.4 विभाग द्वारा विस्तृत जांच के लिए मामलों के चयन के कारण

निर्धारिती द्वारा दाखिल आयकर विवरणी (आईटीआर) को सबसे पहले बेंगलुरु में केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) में पूरी तरह से स्वचालित वातावरण में संक्षिप्त तरीके से संसाधित किया जाता है। इसके बाद, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिलेक्शन (सीएएसएस) नामक एक स्वचालित प्रणाली का उपयोग करके विस्तृत जांच के लिए उपरोक्त मामलों की एक छोटी संख्या का चयन किया जाता है। कुछ मामलों में, इन्हें सीबीडीटी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारण अधिकारियों द्वारा भौतिक तौर पर चुना जाता है। इसके अलावा, सर्वेक्षण/तलाशी और जब्ती के आधार पर विस्तृत जांच निर्धारण (धारा 153ए/153सी के अंतर्गत) के लिए भी मामलों का चयन किया जाता है। इसके अलावा, आय को छिपाने के संबंध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, धारा 148/147 के अंतर्गत मामलों को पुनः खोला जाता है।

लेखापरीक्षा में उन कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया जिनके आधार पर विभाग ने उन मामलों का चयन किया जिनमें लेखापरीक्षा संबंधी अभ्युक्तियाँ पाई गईं। इस विश्लेषण के लिए लेखापरीक्षा ने निर्धारण अभिलेखों से उपरोक्त जानकारी एकत्र की और उसका विश्लेषण किया, जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई 1,902 अभ्युक्तियों से संबंधित जानकारी शामिल थी, जिसके परिणाम नीचे चार्ट 2.4 में दर्शाए गए हैं:

चार्ट 2.4: विस्तृत जांच के लिए मामलों के चयन के कारण

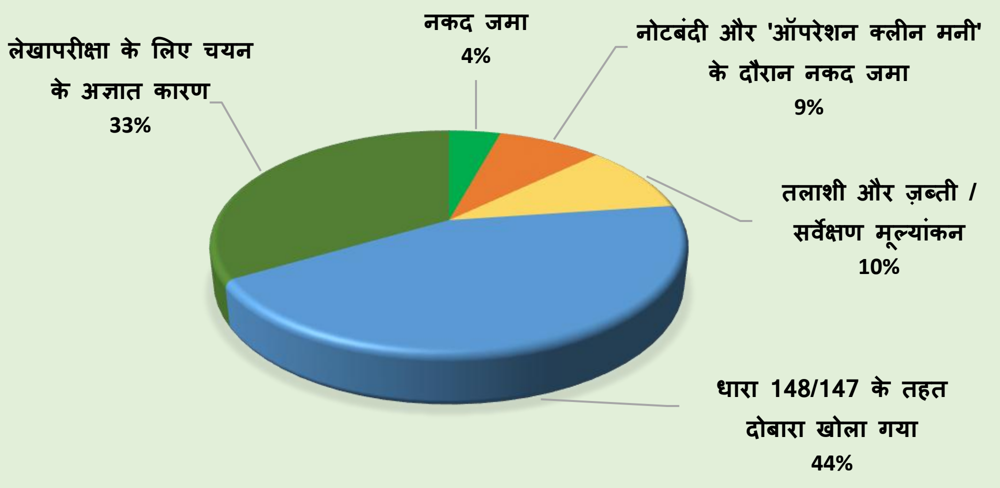

जैसा कि उपरोक्त चार्ट 2.4 से देखा जाता है, 1,902 मामलों में से 836 मामले (44 *प्रतिशत*) धारा 148/147 के अंतर्गत फिर से खोले गए, 191 मामले (10 *प्रतिशत*) तलाशी और जब्ती/सर्वेक्षण निर्धारण के थे, 164 मामले (9 *प्रतिशत*) 'नोटबंदी/ऑपरेशन क्लीन मनी' आदि के दौरान नकद जमा होने के कारण चुने गए। इसके अलावा, लेखापरीक्षा 635 मामलों (33 *प्रतिशत*) में विस्तृत जांच के लिए मामलों के चयन के कारणों का पता नहीं लगा सकी।

अध्याय 3: अनुपालन मुद्दे

इस अध्याय में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है, जिन्हें व्यापक रूप से चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि कर और अधिभार की दर का गलत अनुप्रयोग; गणना विवरण में निर्धारित आय का गलत तरीके से समावेशन; धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के अंतर्गत किए गए परिवर्धनों के प्रति हानियों का गलत समायोजन और धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के अंतर्गत मानी गई आय से संबंधित निर्धारण से छूट गई आय। श्रेणी-वार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सारांश नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 3.1: श्रेणी-वार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

श्रेणी	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या			कुल कर प्रभाव (₹ करोड़ में)		
	नि.व. 2013-14 के पूर्व	नि.व. 2013-14 से आगे	कुल	नि.व. 2013-14 के पूर्व	नि.व. 2013-14 से आगे	कुल
क. कर/ अधिभार के गलत दर का अनु प्रयोग	9	917	926	76	4,631	4,707
ख. कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में निर्धारित आय को गलत तरीके से दर्शाना या निर्धारित आय पर कर की गलत गणना करना	2	329	331	2	1,228	1,230
ग. धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी, 69डी के अंतर्गत किए गए परिवर्धन के प्रति हानि का गलत समायोजन	-	56	56	-	349	349
घ. धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के तहत मानी गई आय से संबंधित ऐसी आय जिस पर कर का आकलन नहीं हो पाया	40	549	589	1,868	16,931	18,799
कुल	**51**	**1,851**	**1,902**	**1,946**	**23,139**	**25,085**

श्रेणी-वार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

3.1 कर/अधिभार की दर का गलत अनुप्रयोग

हमने 23 राज्यों[2] में ₹ 4,707 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े कर/अधिभार की दर के गलत अनुप्रयोग से संबंधित 926 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को देखा। 926 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, ₹ 4,384 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 889 अभ्युक्तियां कर/अधिभार के कम उद्‌ग्रहण से संबंधित थीं, जबकि ₹ 323 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 37 अभ्युक्तियां कर/अधिभार के अतिरिक्त उद्‌ग्रहण से संबंधित थीं।

अधिनियम की धारा 115बीबीई के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी निर्धारिती की कुल आय में धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी या धारा 69डी में उल्लिखित कोई आय शामिल है, तो देय आयकर की राशि ऐसी आय पर साठ प्रतिशत की दर से और इस कर पर पच्चीस प्रतिशत की दर से अधिभार 01/04/2017 से लागू होगा।

3.1.1 कर/अधिभार की दर का गलत अनुप्रयोग - कर/अधिभार का कम उद्‌ग्रहण

889 मामलों में से, जहां निर्धारण अधिकारी ने कर/अधिभार की गलत दर लागू की जिसके परिणामस्वरूप कर/अधिभार का कम उद्‌ग्रहण हुआ, मंत्रालय/विभाग ने 850 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की है/शुरू की है। शेष 39 मामलों में विभाग द्‌वारा या तो कोई कार्रवाई नहीं की गई या उत्तर प्रतीक्षित है। इन 889 मामलों में से, विभिन्न प्रभारों से संबंधित 19 मामलों को नीचे संक्षेपित किया गया है:

तालिका 3.2: कर/अधिभार की दर का गलत अनुप्रयोग - कर/अधिभार का कम उद्‌ग्रहण - (ऐसे मामले जहां विभाग द्‌वारा उपचारात्मक कार्रवाई की गई/शुरू की गई)

क्र. सं.	प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार	निर्धारिती का नाम/ पैन/स्थिति/ नि.व.	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	उत्तर की स्थिति/विभाग द्‌वारा की गई कार्रवाई
1.	प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-1, दिल्ली	मेसर्स एस1/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2017-18	1,003.02	निर्धारण अधिकारी ने धारा 68 के अंतर्गत ₹ 1,669.09 करोड़ जोड़े और 60 *प्रतिशत* की लागू दर और 25 *प्रतिशत* पर अधिभार की अपेक्षा 30 *प्रतिशत* की	विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और अप्रैल 2021 में अधिनियम की धारा 154/143(3) के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि

[2] आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

तालिका 3.2: कर/अधिभार की दर का गलत अनुप्रयोग - कर/अधिभार का कम उद्ग्रहण - (ऐसे मामले जहां विभाग द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की गई/शुरू की गई)					
क्र. सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/ पैन/स्थिति/ नि.व.**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार**	**उत्तर की स्थिति/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई**
				कर दर और 12 *प्रतिशत* का अधिभार लागू किया। धारा 234ए के अंतर्गत अतिरिक्त ब्याज गलत तरीके से पांच महीने की अपेक्षा दो महीने के लिए लगाया गया।	ठीक किया। हालांकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
2.	प्रधान आयकर आयुक्त 6, मुंबई	मेसर्स ए13 प्राइवेट लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2018-19	118.45	निर्धारण अधिकारी ने धारा 68 के अंतर्गत ₹ 177.30 करोड़ जोड़े और 60 *प्रतिशत* की लागू दर और 25 *प्रतिशत* अधिभार की अपेक्षा 25 *प्रतिशत* की कर दर और 12 *प्रतिशत* अधिभार लागू किया।	विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और अगस्त 2024 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। हालांकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
3.	प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-3, दिल्ली	मेसर्स एन4 प्राइवेट लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2017-18	85.55	निर्धारण अधिकारी ने धारा 68/69 के अंतर्गत ₹ 130.24 करोड़ का जोड़ किया और 60 *प्रतिशत* की लागू दर और 25 *प्रतिशत* अधिभार की अपेक्षा कर और अधिभार की सामान्य दर लागू की। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने धारा 68/69 के अंतर्गत किए गए परिवर्धन की अपेक्षा चालू वर्ष के ₹ 20.45 करोड़ के हानि को कम करने की अनुमति दी। इसके अलावा, धारा 234ए(3) के अंतर्गत ₹ 4.02 करोड़ का ब्याज	विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और जनवरी 2022 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। हालांकि, धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करते समय, धारा 234बी के अंतर्गत 38 महीने के लिए गलत तरीके से ब्याज लगाया गया, जिसे ठीक करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा

तालिका 3.2: कर/अधिभार की दर का गलत अनुप्रयोग - कर/अधिभार का कम उद्ग्रहण - (ऐसे मामले जहां विभाग द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की गई/शुरू की गई)					
क्र. सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/ पैन/स्थिति/ नि.व.**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार**	**उत्तर की स्थिति/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई**
				नहीं लगाया गया, धारा 234बी के अंतर्गत 33 महीने की अपेक्षा 38 महीने के लिए गलत तरीके से ब्याज लगाया गया और पहले से जारी किए गए ₹ 13.18 लाख के प्रतिदाय पर धारा 234डी के अंतर्गत ब्याज नहीं लगाया गया।	में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
4	प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-1, मुंबई	एम3 (एचयूएफ) XXXXXXXXXX/ एचयूएफ/ 2018-19	75.33	निर्धारण अधिकारी ने धारा 68 और 69सी के अंतर्गत ₹ 104.02 करोड़ जोड़े और 60 *प्रतिशत* की लागू दर और 25 *प्रतिशत* अधिभार की अपेक्षा कर और अधिभार की सामान्य दर लागू की।	विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और नवंबर 2022 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। हालाँकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
5	प्रधान आयकर आयुक्त-7, दिल्ली	मेसर्स एस3 लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2017-18	70.69	निर्धारण अधिकारी ने धारा 69ए के अंतर्गत ₹ 77.83 करोड़ जोड़े और 60 *प्रतिशत* की लागू दर और 25 *प्रतिशत* अधिभार की अपेक्षा कर और अधिभार की सामान्य दर लागू की।	विभाग ने जुलाई 2023 में अपने उत्तर में कहा कि विभाग द्वारा गलत कर और गणना के मुद्दे पर उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है। उपचारात्मक कार्रवाई के आगे के विवरण की प्रतीक्षा है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
6	प्रधान आयकर आयुक्त, विशाखापटनम	ए9 प्राइवेट लिमिटेड/	64.69	निर्धारण अधिकारी ने धारा 68/69/69ए के अंतर्गत ₹ 108.36	विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और मार्च 2023 में

तालिका 3.2: कर/अधिभार की दर का गलत अनुप्रयोग - कर/अधिभार का कम उद्ग्रहण - (ऐसे मामले जहां विभाग द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की गई/शुरू की गई)					
क्र. सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/ पैन/स्थिति/ नि.व.**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार**	**उत्तर की स्थिति/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई**
		XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2018-19		करोड़ जोड़े और 60 *प्रतिशत* की लागू दर और 25 *प्रतिशत* अधिभार की अपेक्षा कर और अधिभार की सामान्य दर लागू की।	अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। हालाँकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
7	प्रधान आयकर आयुक्त-1, चंडीगढ़	के5/ XXXXXXXXXX/ फर्म/ 2017-18	53.64	निर्धारण अधिकारी ने धारा 69ए के अंतर्गत ₹ 58.24 करोड़ जोड़े और 60 *प्रतिशत* की लागू दर और 25 *प्रतिशत* अधिभार की अपेक्षा कर और अधिभार की सामान्य दर लागू की।	विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और मार्च 2024 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। हालाँकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
8	प्रधान आयकर आयुक्त-6, दिल्ली	मेसर्स एम7 प्राइवेट लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2017-18	51.04	निर्धारण अधिकारी ने धारा 68 के अंतर्गत ₹ 90 करोड़ जोड़े और 60 *प्रतिशत* की लागू दर और 25 *प्रतिशत* अधिभार की अपेक्षा 30 *प्रतिशत* पर कर और 12 *प्रतिशत* पर अधिभार की सामान्य दर लागू की।	विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और दिसंबर 2021 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। हालाँकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

तालिका 3.2: कर/अधिभार की दर का गलत अनुप्रयोग - कर/अधिभार का कम उद्ग्रहण - (ऐसे मामले जहां विभाग द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की गई/शुरू की गई)					
क्र. सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/ पैन/स्थिति/ नि.व.**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार**	**उत्तर की स्थिति/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई**
9.	प्रधान आयकर आयुक्त-8, मुंबई	मेसर्स एन3 प्राइवेट लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2018-19	44.95	निर्धारण अधिकारी ने धारा 69सी के अंतर्गत ₹ 72.33 करोड़ जोड़े और 60 *प्रतिशत* की लागू दर और 25 *प्रतिशत* अधिभार की अपेक्षा कर और अधिभार की सामान्य दर लागू की।	विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपचारात्मक कार्रवाई के विवरण की प्रतीक्षा है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
10.	प्रधान आयकर आयुक्त-1 कानपुर	बी1/ XXXXXXXXXX/ व्यक्तिगत/ 2014-15 और 2015-16	43.54	निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए धारा 69ए के अंतर्गत क्रमशः ₹ 15.51 करोड़ और ₹ 31.66 करोड़ की राशि जोड़ी। आईटीएनएस में निर्धारित आय को सही ढंग से शामिल किया गया था, लेकिन उस पर देय कर की गणना नहीं की गई थी।	विभाग ने दिसंबर 2022 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। हालांकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
11.	प्रधान आयकर आयुक्त-1, मुंबई	मेसर्स एन1 लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2017-18	42.74	निर्धारण अधिकारी ने धारा 68 के अंतर्गत ₹ 49.98 करोड़ जोड़े और 60 *प्रतिशत* की लागू दर और 25 *प्रतिशत* अधिभार की अपेक्षा कर और अधिभार की सामान्य दर लागू की।	विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और फरवरी 2024 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। हालाँकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

तालिका 3.2: कर/अधिभार की दर का गलत अनुप्रयोग - कर/अधिभार का कम उद्ग्रहण - (ऐसे मामले जहां विभाग द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की गई/शुरू की गई)					
क्र. सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/ पैन/स्थिति/ नि.व.**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार**	**उत्तर की स्थिति/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई**
12	आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-1, पुणे	जी1 इंडस्ट्रीज/ XXXXXXXXXX/ फर्म/ 2017-18	42.08	निर्धारण अधिकारी ने धारा 68 के अंतर्गत ₹ 30.69 करोड़ जोड़े और 60 *प्रतिशत* की लागू दर और 25 *प्रतिशत* अधिभार की अपेक्षा कर और अधिभार की सामान्य दर लागू की।	विभाग ने कहा (सितंबर 2022) कि अभ्युक्ति प्रथम दृष्टया स्वीकार्य था और उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही थी। आगे के उत्तर की प्रतीक्षा थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
13.	प्रधान आयकर आयुक्त-4, चेन्नई	मेसर्स पी4 प्राइवेट लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2017-18	29.37	निर्धारण अधिकारी ने धारा 68 के अंतर्गत ₹ 50.37 करोड़ जोड़े और 60 *प्रतिशत* की लागू दर और 25 *प्रतिशत* अधिभार की अपेक्षा कर और अधिभार की सामान्य दर लागू की।	विभाग ने मार्च 2024 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। हालाँकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
14.	प्रधान आयकर आयुक्त-5, कोलकाता	मेसर्स के3 प्राइवेट लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2017-18	24.25	निर्धारण अधिकारी ने धारा 68 के अंतर्गत ₹ 38.17 करोड़ जोड़े और 60 *प्रतिशत* की लागू दर और 25 *प्रतिशत* अधिभार की अपेक्षा कर और अधिभार की सामान्य दर लागू की।	विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और जून 2022 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। हालाँकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

तालिका 3.2: कर/अधिभार की दर का गलत अनुप्रयोग - कर/अधिभार का कम उद्ग्रहण - (ऐसे मामले जहां विभाग द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की गई/शुरू की गई)

क्र. सं.	प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार	निर्धारिती का नाम/ पैन/स्थिति/ नि.व.	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	उत्तर की स्थिति/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
15.	प्रधान आयकर आयुक्त, गांधीनगर	एम2/ XXXXXXXXXX/ व्यक्तिगत/ 2017-18	19.89	निर्धारण अधिकारी ने धारा 69ए के अंतर्गत ₹ 27.97 करोड़ जोड़े और 60 *प्रतिशत* की लागू दर और 25 *प्रतिशत* अधिभार की अपेक्षा कर और अधिभार की सामान्य दर लागू की।	विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और नवंबर 2022 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। हालाँकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
16.	प्रधान आयकर आयुक्त-1 इंदौर	आर4/ XXXXXXXXXX/ व्यक्तिगत/ 2017-18	15.90	निर्धारण अधिकारी ने धारा 69ए के अंतर्गत ₹ 22.23 करोड़ जोड़े और 60 *प्रतिशत* की लागू दर और 25 *प्रतिशत* अधिभार की अपेक्षा कर और अधिभार की सामान्य दर लागू की।	विभाग ने अगस्त 2024 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। हालाँकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
17.	प्रधान आयकर आयुक्त, रांची	मेसर्स आर7 प्राइवेट लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2018-19	14.15	निर्धारण अधिकारी ने धारा 68 के अंतर्गत ₹ 21.12 करोड़ जोड़े और 60 *प्रतिशत* की लागू दर और 25 *प्रतिशत* अधिभार की अपेक्षा कर और अधिभार की सामान्य दर लागू की।	विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और सितंबर 2023 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। हालाँकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है।

तालिका 3.2: कर/अधिभार की दर का गलत अनुप्रयोग - कर/अधिभार का कम उद्ग्रहण - (ऐसे मामले जहां विभाग द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की गई/शुरू की गई)					
क्र. सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/ पैन/स्थिति/ नि.व.**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार**	**उत्तर की स्थिति/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई**
					मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
18.	प्रधान आयकर आयुक्त, आगरा	एस6/ XXXXXXXXXX/ व्यक्तिगत/ 2017-18	13.18	निर्धारण अधिकारी ने धारा 68 के अंतर्गत ₹ 14.58 करोड़ जोड़े और 60 *प्रतिशत* की लागू दर और 25 *प्रतिशत* अधिभार की अपेक्षा कर और अधिभार की सामान्य दर लागू की।	विभाग ने मार्च 2023 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। हालाँकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
19.	प्रधान आयकर आयुक्त-1, हैदराबाद	यू3/ XXXXXXXXXX/ व्यक्तिगत/ 2017-18	79.78	निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, प्रावधानों के अनुसार धारा 68 के अंतर्गत आय के लिए 60 *प्रतिशत* की लागू कर की दर के बजाय, धारा 68 के अंतर्गत किए गए ₹ 93.10 करोड़ के अतिरिक्त पर 20 *प्रतिशत* यानी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर लागू कर की दर लागू की। इस चूक के परिणामस्वरूप धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 79.78 करोड़ का कम उद्ग्रहण हुआ।	विभाग ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार कर लिया और अक्तूबर 2022 में धारा 154 के अंतर्गत सुधार के लिए निर्धारिती को नोटिस जारी किया। हालाँकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

इसके अलावा, जहां निर्धारण अधिकारी ने कर/अधिभार की गलत दर लागू की है, जिसके परिणामस्वरूप कर/अधिभार का कम उद्ग्रहण हुआ, विभिन्न प्रभारों के तीन मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

3.1.1.1 आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त-2, बेंगलुरु
निर्धारिती का नाम : मेसर्स यू1 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2017-18
स्थिति : कंपनी

मार्च 2022 में धारा 147 को धारा 144 और 144बी के साथ मिलाकर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, निर्धारण अधिकारी ने धारा 69सी के अंतर्गत अस्पष्टीकृत व्यय के मद में ₹ 1.97 लाख, धारा 69 के अंतर्गत अस्पष्टीकृत निवेश के मद में ₹ 80.93 लाख, धारा 69सी के अंतर्गत अस्पष्टीकृत व्यय के मद में ₹ 10.58 करोड़ और धारा 69ए के अंतर्गत अस्पष्टीकृत धन के मद में ₹ 14.09 लाख की राशि को जोड़कर ₹ 11.55 करोड़ की आय निर्धारित की। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, अधिनियम की धारा 69, 69ए और 69सी के अंतर्गत किए गए ₹ 11.55 करोड़ के परिवर्धन पर विदेशी कंपनी पर लागू सामान्य कर दर लागू की, जबकि उक्त धारा 115बीबीई के प्रावधानों के अनुसार 60 *प्रतिशत* की विशेष कर दर और 25 *प्रतिशत* का अधिभार लागू होना चाहिए था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 8.36 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति दिसंबर 2022 में विभाग को जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने (फरवरी 2026) कहा कि फरवरी 2025 में धारा 154 के तहत सुधार आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

3.1.1.2 आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त-7, दिल्ली
निर्धारिती का नाम : मेसर्स टी2 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2018-19
स्थिति : कंपनी

निर्धारण अधिकारी ने जून 2021 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 50.85 करोड़ की आय के आकलन को अंतिम रूप देते हुए अविवरणीकृत ऋणों और अग्रिम के कारण ₹ 13.94 करोड़ और अविवरणीकृत दीर्घकालिक ऋण के कारण

₹ 36.92 करोड़ की, दाखिल ₹ 0.91 लाख के हानि में, वृद्धि की। निर्धारण अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्धारित आय पर धारा 115बीबीई के अंतर्गत विशेष दर पर कर लगाया जाएगा। लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते समय, प्रावधानों के अनुसार 60 *प्रतिशत* और 25 *प्रतिशत* की लागू दरों की अपेक्षा ₹ 50.86 करोड़ की अविवरणीकृत आय पर 30 *प्रतिशत* की कर दर और 12 *प्रतिशत* का अधिभार लगाया।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि धारा 68/69 के अंतर्गत किए गए जोड़ को चालू वर्ष के ₹ 0.91 लाख के हानि के प्रति निर्धारित किया गया, जिसे धारा 115बीबीई के संशोधित प्रावधान के अनुसार निर्धारित करने की अनुमति नहीं थी। इस त्रुटि के कारण ब्याज सहित ₹ 35.70 करोड़ कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति अप्रैल 2022 में विभाग को जारी किया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तिको स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने (फरवरी 2026) कहा कि नवंबर 2024 में धारा 154 के तहत एक सुधार आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

3.1.1.3	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-4, हैदराबाद**
	निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स पी1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2018-19**
	स्थिति	**: कंपनी**

निर्धारण अधिकारी ने मई 2021 में अधिनियम की धारा 144बी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत ₹ 42.61 करोड़ और सामान्य आय के अंतर्गत ₹ 1.85 करोड़ का कुछ जोड़ करने के बाद ₹ 39.67 करोड़ की आय निर्धारित की। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने करदाता की कर देनदारी तय करते समय, ₹ 4.78 करोड़ के घोषित हानि में ₹ 1.85 करोड़ सामान्य आय के साथ समायोजित किया और बाकी बचे ₹ 2.93 करोड़ के नुकसान को धारा 69ए के तहत जोड़ी गई आय के साथ समायोजन किया। इसके अलावा, धारा 69ए के

तहत तय की गई ₹ 39.67 करोड़ (₹ 42.61 करोड़ में से ₹ 2.93 करोड़ घटाकर) की बाकी आय पर सामान्य दरों से कर लगाया गया। धारा 115बीबीई के संशोधित प्रावधान के अनुसार, धारा 69ए के तहत तय आय के प्रति हानि को समायोजित करने की अनुमति नहीं है, और धारा 69ए के तहत तय आय पर 60 *प्रतिशत* की विशेष दर से कर लगता है। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 30.93 करोड़ का कर कम लगाया गया।

विभाग को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति दिसंबर 2021 में जारी की गई।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2026) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया और सितंबर 2022 में धारा 154 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। इसके अलावा, यह कहा गया कि धारा 154 के तहत नोटिस के जवाब में, निर्धारिती कंपनी ने कर की विवादित राशि की वसूली सहित सभी आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की प्रार्थना करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 17/06/2021 के आदेश द्वारा निर्धारिती को आगे की सभी कार्यवाहियों पर अंतरिम रोक लगा दी।

लेखापरीक्षा इस मामले में आगे के परिणाम की प्रतीक्षा करेगा।

3.1.2 कर/अधिभार की दर का गलत अनुप्रयोग - कर/अधिभार का अतिरिक्त उद्ग्रहण

37 मामलों में जहां निर्धारण अधिकारी ने कर/अधिभार की गलत दर लागू की जिसके परिणामस्वरूप कर/अधिभार अधिक लगाया गया, मंत्रालय/विभाग ने 36 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की/शुरू की। शेष एक मामला में, मंत्रालय/विभाग से उत्तर प्रतीक्षारत है। 36 मामलों में से, अलग-अलग प्रभारों के दो महत्वपूर्ण मामलों नीचे संक्षेपित किया गया है:

तालिका 3.3: कर/अधिभार की दर का गलत अनुप्रयोग - कर/अधिभार का अधिक उद्ग्रहण (ऐसे मामले जहां विभाग द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की गई/शुरू की गई)					
क्र. सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/पैन/ स्थिति/नि.व.**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार**	**उत्तर की स्थिति/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई**
1.	आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-1, दिल्ली	मेसर्स एल1 लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2016-17	75.13	निर्धारण अधिकारी ने धारा 68 के अंतर्गत ₹ 105.22 करोड़ जोड़े और कर की सामान्य दर की अपेक्षा 60 *प्रतिशत* की कर दर और 25 *प्रतिशत* का अधिभार लागू किया, क्योंकि धारा 115बीबीई के अंतर्गत कर की विशेष दर नि.व. 2017-18 से लागू थी।	विभाग ने जून 2022 और मई 2023 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
2.	प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-1, चेन्नई	मेसर्स के9 प्राइवेट लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2013-14	45.75	निर्धारण अधिकारी ने धारा 69 के अंतर्गत ₹ 66.45 करोड़ जोड़े और कर की सामान्य दर की अपेक्षा 60 *प्रतिशत* की कर दर और 25 *प्रतिशत* का अधिभार लागू किया, क्योंकि धारा 115बीबीई के अंतर्गत कर की विशेष दर नि.व. 2017-18 से लागू थी।	विभाग ने जनवरी 2023 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

इसके अलावा, मामला जहां मंत्रालय/विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है नीचे चर्चा की गई है:

3.1.2.1 आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त-I, चंडीगढ़
निर्धारिती का नाम : मेसर्स एस9 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2013-14
स्थिति : कंपनी

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में धारा 144 और 144बी के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, धारा 69ए के अंतर्गत आय के अविवरणीकृत स्रोत के रूप में ₹ 2.05 करोड़ जोड़ने के बाद ₹ 2.05 करोड़ की आय निर्धारित की। लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय कर की गणना 30 *प्रतिशत* की लागू दर की अपेक्षा 40 *प्रतिशत* की दर से की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 0.61 करोड़ का अतिरिक्त कर लगाया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति अक्तूबर 2022 में विभाग को जारी किया गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.2 कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में निर्धारित आय को गलत तरीके से दर्शाना या निर्धारित आय पर कर की गलत गणना करना

हमने कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में निर्धारित आय के गलत समायोजन या 19 राज्यों[3] में ₹ 1,230.7 करोड़ के कर प्रभाव वाली निर्धारित आय पर कर की गलत गणना से संबंधित 331 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को देखा। 331 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से ₹ 556 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 199 अभ्युक्तियाँ कर के कम उद्ग्रहण से संबंधित थीं, जबकि ₹ 675 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 132 अभ्युक्तियाँ कर के अतिरिक्त उद्ग्रहण से संबंधित थीं।

[3] आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

3.2.1 कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में निर्धारित आय का गलत तरीके से समायोजन करना या निर्धारित आय पर कर की गलत गणना-कर का कम उद्ग्रहण

199 मामलों में से जहां निर्धारण अधिकारी ने कर गणना पत्रक निर्धारित आय पर गलत तरीके से गणना कर लगाया, जिसके परिणामस्वरूप कर का कम उद्ग्रहण हुआ, मंत्रालय/विभाग ने 182 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की/शुरू की। शेष 17 मामलों में, या तो विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की या उत्तर प्रतीक्षित था। 199 मामलों में से, विभिन्न प्रभारों के छः मामलों को नीचे संक्षेपित किया गया है:

तालिका 3.4: कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में निर्धारित आय को गलत तरीके से दर्शाना या निर्धारित आय पर कर की गलत गणना - कर का कम उद्ग्रहण

क्र. सं.	प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार	निर्धारिती का नाम/पैन/ स्थिति/नि.व.	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	उत्तर की स्थिति/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
1	प्रधान आयकर आयुक्त-4, चेन्नई	डी3/ XXXXXXXXXX/ व्यक्तिगत/ 2015-16	72.77	निर्धारण अधिकारी ने धारा 69ए के अंतर्गत ₹ 90.00 करोड़ की राशि को अस्पष्टीकृत धन के रूप में जोड़ा। हालांकि, कर देयता की गणना करते समय, उन्होंने गलत तरीके से निर्धारित आय को ₹ 90.00 करोड़ के बजाय ₹ 9.00 करोड़ मान लिया।	विभाग ने मार्च 2024 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक कर दिया। हालांकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
2	प्रधान आयकर आयुक्त, सम्बलपुर	मेसर्स ओ2 लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ व्यक्तिगत/ 2018-19	19.69	निर्धारण अधिकारी ने धारा 68 के अंतर्गत अस्पष्टीकृत नकद ऋण के रूप में ₹ 18.51 करोड़ जोड़े। हालांकि, आईटीबीए प्रणाली में कर देयता की गणना करते समय, धारा 68 के अंतर्गत आय, जिस पर धारा 115बीबीई के	विभाग ने अक्तूबर 2022 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को दूर किया। हालांकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है।

तालिका 3.4: कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में निर्धारित आय को गलत तरीके से दर्शाना या निर्धारित आय पर कर की गलत गणना - कर का कम उद्ग्रहण					
क्र. सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/पैन/ स्थिति/नि.व.**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार**	**उत्तर की स्थिति/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई**
				अंतर्गत कर लगाया जाना था, को ₹ 18.51 करोड़ के बजाय ₹ शून्य माना गया।	मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
3	आयकर आयुक्त-7, दिल्ली	मेसर्स पी3 प्राइवेट लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2014-15	18.47	निर्धारण अधिकारी ने धारा 69ए के अंतर्गत ₹ 26.25 करोड़ की राशि को अस्पष्टीकृत धन के रूप में जोड़ा। हालांकि, करदाता की कर देयता की गणना करते समय, धारा 69ए के अंतर्गत की गई इस राशि पर कर की गणना करना भूल गए।	विभाग ने जनवरी 2023 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को दूर किया। हालांकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
4	प्रधान आयकर आयुक्त-1, जयपुर	एस15/ XXXXXXXXXX/ व्यक्तिगत/ 2014-15	10.36	निर्धारण अधिकारी ने करदाता की कर देयता की गणना करते समय धारा 69ए के अंतर्गत की गई ₹ 15.53 करोड़ की अतिरिक्त राशि पर कर की गणना करना छोड़ दिया।	विभाग ने अप्रैल 2024 में अधिनियम की धारा 154 ले साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत संशोधन आदेश पारित करके त्रुटि को सुधारा। हालांकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
5	प्रधान आयकर आयुक्त-3, बेंगलुरु	पी5/ XXXXXXXXXX/ व्यक्तिगत/ 2018-19	9.13	निर्धारण अधिकारी ने गणना पत्रक में देय कर की गणना करते समय धारा 68 के अंतर्गत की गई ₹ 8.63 करोड़ की अतिरिक्त राशि पर कर	विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और अगस्त 2022 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को दूर किया।

तालिका 3.4: कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में निर्धारित आय को गलत तरीके से दर्शाना या निर्धारित आय पर कर की गलत गणना - कर का कम उद्ग्रहण					
क्र. सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/पैन/ स्थिति/नि.व.**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार**	**उत्तर की स्थिति/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई**
				की गणना करना छोड़ दिया।	हालांकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
6	प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय, सूरत	आर3/ XXXXXXXXXX/ व्यक्तिगत/ 2020-21	5.98	निर्धारण अधिकारी ने धारा 69सी के अंतर्गत अस्पष्टीकृत व्यय के रूप में ₹ 6.06 करोड़ की राशि जोड़ी। हालांकि, निर्धारित आय की गणना करते समय, इस राशि को करदाता की आय में शामिल करना भूल गए।	विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और मई 2022 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को दूर किया। हालांकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

इसके अलावा, जहां निर्धारण अधिकारी ने गलत तरीके से कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में आकलित आय को अपनाया या आकलित आय पर गलत तरीके से कर की गणना की, जिसके परिणामस्वरूप कर की कम उगाही हुई, विभिन्न प्रभारों से तीन मामलों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है:

3.2.1.1 आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त, रोहतक

निर्धारिती का नाम : एस5

निर्धारण वर्ष : 2017-18

स्थिति : व्यक्तिगत

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए धारा 69ए के अंतर्गत अविवरणीकृत

नकद ऋण के रूप में ₹ 44.78 करोड़ जोड़ने के बाद ₹ 44.80 करोड़ की आय का आकलन किया। लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय ₹ 44.78 करोड़ के उपरोक्त जोड़ पर कर की गणना करने में चूक की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 71.26 करोड़ कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को दिसंबर 2022 में विभाग को सूचित किया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तिको स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने (अप्रैल 2026) कहा कि नवंबर 2025 में धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

3.2.1.2	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: आयकर आयुक्त-1, चंडीगढ़**
	निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स एस12 कंस्ट्रक्शन।**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: फर्म**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए धारा 69ए के अंतर्गत अविवरणीकृत आय के रूप में ₹ 3.81 करोड़ जोड़ने के बाद 3.81 करोड़ की आय निर्धारित की। लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय धारा 69ए के अंतर्गत किए गए परिवर्धन पर कर की गणना करने में चूक की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 6.36 करोड़ कर कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति अगस्त 2022 में विभाग को सूचित किया गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.2.1.3	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-7, हैदराबाद**
	निर्धारिती का नाम	**: के6**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: व्यक्तिगत**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए आय के अविवरणीकृत स्रोत के रूप में ₹ 3.09 करोड़ जोड़ने के बाद ₹ 3.11 करोड़ की आय निर्धारित की। लेखापरीक्षा परीक्षण से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय आय के अविवरणीकृत स्रोत के रूप में किए गए परिवर्धन पर कर की गणना करने में चूक की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 4.82 करोड़ कर कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा अवलोकन को विभाग को जुलाई 2022 में संप्रेषित किया गया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तिको स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने (अप्रैल 2026) कहा कि दिसंबर 2024 में धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी

3.2.2 कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में निर्धारित आय को गलत तरीके से दर्शाना या निर्धारित आय पर कर की गलत गणना - कर का अधिक उद्ग्रहण हुआ

132 मामलों में जहां निर्धारण अधिकारी ने कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में निर्धारित आय को गलत तरीके से अपनाया या निर्धारित आय पर गलत तरीके कर की गणना की, जिसके परिणामस्वरूप कर का अधिक उद्ग्रहण हुआ, मंत्रालय/विभाग ने 124 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की/शुरू की। शेष आठ मामलों में मंत्रालय/विभाग ने या तो कोई कार्रवाई नहीं की या उत्तर प्रतीक्षित है। इन 132 मामलों में से अलग-अलग प्रभारों के तीन मामलों को नीचे संक्षेपित किया गया है:

तालिका 3.5: कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में निर्धारित आय को गलत तरीके से दर्शाना या निर्धारित आय पर कर की गलत गणना - कर का अतिरिक्त उद्ग्रहण (ऐसे मामले जहां विभाग द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की गई हो/उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई हो)

क्र. सं.	प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार	निर्धारिती का नाम/पैन/ स्थिति/नि.व.	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार	उत्तर की स्थिति/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
1	प्रधान आयकर आयुक्त-12, दिल्ली	जे1/ XXXXXXXXXX/ व्यक्तिगत/ 2014-15	73.73	निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम के 115बीबीई के प्रावधान के अंतर्गत ₹ 75.32	विभाग ने मई 2024 में धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश

तालिका 3.5: कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में निर्धारित आय को गलत तरीके से दर्शाना या निर्धारित आय पर कर की गलत गणना - कर का अतिरिक्त उद्ग्रहण (ऐसे मामले जहां विभाग द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की गई हो/उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई हो)					
क्र. सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/पैन/ स्थिति/नि.व.**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार**	**उत्तर की स्थिति/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई**
				करोड़ को कर योग्य बनाया। हालांकि, निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, गलत तरीके से ₹ 75.32 करोड़ की अपेक्षा ₹ 150.64 करोड़ की निर्धारित आय को अपनाया गया।	पारित करके त्रुटि को ठीक किया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2026)।
2	प्रधान आयकर आयुक्त-7, दिल्ली	मेसर्स ओ1 प्राइवेट लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2018-19	51.89	निर्धारण अधिकारी ने धारा 69ए के अंतर्गत अविवरणीकृत नकद जमा के लिए ₹ 48.68 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया। हालांकि, निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, गलत तरीके से ₹ 48.68 करोड़ की अपेक्षा ₹ 97.35 करोड़ की निर्धारित आय को अपनाया गया	विभाग ने नवंबर 2021 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
3	प्रधान आयकर आयुक्त-1, भोपाल	जे2/ XXXXXXXXXX/ व्यक्तिगत/ 2014-15	6.42	निर्धारण अधिकारी ने धारा 69 के अंतर्गत ₹ 6.56 करोड़ की हालांकि, निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, गलत तरीके से ₹ 6.56 करोड़ की अपेक्षा ₹ 13.12 करोड़ की निर्धारित आय को अपनाया गया।	विभाग ने अप्रैल 2023 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

इसके अलावा, जहां निर्धारण अधिकारी ने गलत तरीके से कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में आकलित आय को अपनाया या आकलित आय पर गलत तरीके से कर की गणना की, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण हुआ, विभिन्न प्रभारों से चार मामलों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है:

3.2.2.1	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-1, हैदराबाद**
	निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स एस14 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2016-17**
	स्थिति	**: कंपनी**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत अविवरणीकृत धन के लिए ₹ 24.75 करोड़ जोड़ने के बाद ₹ 24.75 करोड़ की आय निर्धारित की। गणना विवरण की लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय गलत तरीके से ₹ 24.75 करोड़ की अपेक्षा ₹ 49.50 करोड़ की निर्धारित आय को अपनाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 15.67 करोड़ का अतिरिक्त कर का अधिक उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अक्तूबर 2022 में विभाग को सूचित किया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने (मार्च 2026) कहा कि दिसंबर 2022 में धारा 147 के साथ पठित धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

3.2.2.2	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-20, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: ए7**
	निर्धारण वर्ष	**: 2013-14**
	स्थिति	**: व्यक्तिगत**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए अधिनियम के 115बीबीई के प्रावधान के अंतर्गत कर योग्य ₹ 23.64 करोड़ की अतिरिक्त आय करने के बाद ₹ 23.64 करोड़ की आय निर्धारित की। गणना विवरण की लेखापरीक्षा से पता

चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय गलत तरीके से ₹ 23.64 करोड़ की अपेक्षा ₹ 47.28 करोड़ की निर्धारित आय को अपनाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 22.74 करोड़ का अतिरिक्त कर का अधिक उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति फरवरी 2023 में विभाग को सूचित किया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने (अप्रैल 2026) कहा कि दिसंबर 2024 में धारा 147 के साथ पठित धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

3.2.2.3	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-10, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: आर8 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2015-16**
	स्थिति	**: फर्म**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए अधिनियम के 115बीबीई के प्रावधान के अंतर्गत ₹ 5.50 करोड़ की वृद्धि के बाद कर योग्य ₹ 5.50 करोड़ की आय निर्धारित की। गणना विवरण की लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय गलत तरीके से ₹ 5.50 करोड़ की अपेक्षा ₹ 11.00 करोड़ की निर्धारित आय को अपनाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 4.95 करोड़ का अतिरिक्त कर का अधिक उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति विभाग को अक्तूबर 2022 में संप्रेषित किया गया उसके बाद अप्रैल 2024 में एक अनुस्मारक भेजा गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.2.2.4	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-10, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: के1**
	निर्धारण वर्ष	**: 2015-16**
	स्थिति	**: फर्म**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए अधिनियम के 115बीबीई के प्रावधान के अंतर्गत कर योग्य ₹ 5.23 करोड़ की अतिरिक्त आय निर्धारित की। गणना विवरण की लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय गलत तरीके से निर्धारित आय को ₹ 5.23 करोड़ की अपेक्षा ₹ 10.45 करोड़ पर अपनाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 4.71 करोड़ का अतिरिक्त कर का अधिक उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति विभाग को अक्तूबर 2022 में संप्रेषित किया गया, उसके बाद अप्रैल 2024 में एक अनुस्मारक भेजा गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.3 धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के अंतर्गत किए गए परिवर्धन के प्रति हानि का गलत समायोजन

अधिनियम की धारा 115बीबीई के प्रावधानों में कहा गया है कि जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी में निर्दिष्ट कोई भी आय शामिल है, वहां देय आयकर की राशि की गणना ऐसी आय पर साठ प्रतिशत की दर से की जाएगी और इस कर पर 01/04/2017 से प्रभावी 25 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा। इसके अलावा, धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के अंतर्गत किए गए जोड़ के प्रति इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत निर्धारिती को किसी भी व्यय या भत्ते या किसी भी हानि के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हमने 12 राज्यों[4] में ₹ 349 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 56 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को देखा, जो धारा 68 से 69डी के अंतर्गत किए गए परिवर्धन के प्रति हानि के गलत समायोजन से संबंधित हैं, जिसके परिणामस्वरूप कर का कम उद्ग्रहण हुआ। है। इन 56 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, मंत्रालय/विभाग ने 52 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की/शुरू की। शेष चार मामलों में, मंत्रालय/विभाग ने या तो कोई कार्रवाई नहीं की या उत्तर प्रतीक्षित है। 52 मामलों में से, विभिन्न प्रभारों के आठ मामलों को नीचे संक्षेपित किया गया है:

[4] दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल,

तालिका 3.6: धारा 68/69 के अंतर्गत किए गए परिवर्धनों के प्रति हानियों का गलत समायोजन (वे मामले जहां विभाग द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई पूरी/शुरू की गई है)					
क्र. सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/पैन/ स्थिति/नि.व.**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार**	**उत्तर की स्थिति/ विभाग द्वारा की गई कार्रवाई**
1	प्रधान आयकर आयुक्त-1 [पूर्व में प्रधान आयकर आयुक्त-6] हैदराबाद	मेसर्स वी6 एंटरप्राइजेज/ XXXXXXXXX/ फर्म/ 2017-18	33.99	निर्धारण अधिकारी ने निर्धारित आय की गणना करते समय, धारा 68 और धारा 69सी के अंतर्गत की गई अतिरिक्त राशियों के प्रति ₹ 34.84 करोड़ के घाटे के समायोजन की, जो धारा 115बीबीई के प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं थी।	विभाग ने नवंबर 2021 में धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को दूर किया। हालांकि, सुधार आदेश में कुछ विसंगतियां पाई गईं, जैसे सामान्य आय पर अनियमित रूप से कर लगाना और अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत हानि को आगे ले जाने की अनुमति न देना। *लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने (मार्च 2026) कहा कि नवंबर 2021 में धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।*
2	आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-3, दिल्ली	मेसर्स एन5 प्राइवेट लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2017-18	32.68	निर्धारण अधिकारी ने निर्धारित आय पर पहुँचते समय धारा 68/69 के अंतर्गत किए गए अतिरिक्त मदों की अपेक्षा ₹ 30.88 करोड़ के घाटे के समायोजन की अनुमति दी, जो धारा 115बीबीई, उक्त के	विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और जून 2022 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को दूर किया। हालांकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी

तालिका 3.6: धारा 68/69 के अंतर्गत किए गए परिवर्धनों के प्रति हानियों का गलत समायोजन (वे मामले जहां विभाग द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई पूरी/शुरू की गई है)					
क्र. सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/पैन/ स्थिति/नि.व.**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार**	**उत्तर की स्थिति/ विभाग द्वारा की गई कार्रवाई**
				प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं था।	प्रतीक्षित है। विभाग ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को दूर किया। हालांकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
3	प्रधान आयकर आयुक्त, फ़रीदाबाद	मेसर्स एस11 लिमिटेड/ xxxxxxxxxx/ फर्म/ 2017-18	30.88	निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत किए गए परिवर्धन के प्रति ₹ 30.09 करोड़ तक के घाटे के समायोजन की अनुमति दी, जो धारा 115बीबीई के प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं था।	विभाग ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को दूर किया। हालांकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
4	प्रधान आयकर आयुक्त-6 मुंबई	मेसर्स ए14 प्राइवेट लिमिटेड/ xxxxxxxxxx/ कंपनी/ 2018-19	26.41	निर्धारण अधिकारी ने, निर्धारित आय तय करते समय, धारा 68/69 के अंतर्गत किए गए परिवर्धन के प्रति ₹ 30.88 करोड़ के समायोजन की हानि की अनुमति दी, जो धारा	विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और अगस्त 2024 में धारा 148ए(बी) के अंतर्गत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की।

तालिका 3.6: धारा 68/69 के अंतर्गत किए गए परिवर्धनों के प्रति हानियों का गलत समायोजन (वे मामले जहां विभाग द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई पूरी/शुरू की गई है)					
क्र. सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/पैन/ स्थिति/नि.व.**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार**	**उत्तर की स्थिति/ विभाग द्वारा की गई कार्रवाई**
				115बीबीई, आईबीआईडी के प्रावधानों के अनुसार आदेश में नहीं था।	आगे के उत्तर की प्रतीक्षा है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
5	प्रधान आयकर आयुक्त-3 बेंगलुरु	मेसर्स वी4 प्राइवेट लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2018-19	25.73	निर्धारण अधिकारी ने निर्धारित आय की गणना करते समय धारा 68 के अंतर्गत की गई वृद्धि की अपेक्षा ₹ 18.98 करोड़ के घाटे के समायोजन की अनुमति दी, जो उक्त धारा 115 बीबीई के प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं था। इसके अलावा, निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारित आय पर देय कर की गणना सामान्य दर से की, जबकि उस पर 60 *प्रतिशत* की विशेष दर और 25 *प्रतिशत* की दर से अधिभार लगाया जाना था।	विभाग ने त्रुटि को स्वीकार किया और अगस्त 2022 में धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को दूर किया। हालांकि, सुधार आदेश पारित करते समय, टीडीएस और अग्रिम कर के लिए क्रेडिट की अनुमति नहीं दी गई। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
6	प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय) भोपाल	मेसर्स एम9 प्राइवेट लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2017-18	8.61	निर्धारण अधिकारी ने निर्धारित आय की गणना करते समय ₹ 5.87 करोड़ के घाटे के समायोजन की अनुमति दी, जिसमें से ₹ 4.62 करोड़ अधिनियम की धारा 68/69ए/ 69बी/69सी के अंतर्गत	विभाग ने जून 2023 में धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को दूर किया। सुधार आदेश में कुछ विसंगतियां पाई गईं, जैसे कि निर्धारित आय को ₹ 9.56

तालिका 3.6: धारा 68/69 के अंतर्गत किए गए परिवर्धनों के प्रति हानियों का गलत समायोजन (वे मामले जहां विभाग द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई पूरी/शुरू की गई है)					
क्र. सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/पैन/ स्थिति/नि.व.**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार**	**उत्तर की स्थिति/ विभाग द्वारा की गई कार्रवाई**
				किए गए परिवर्धनों के प्रति समायोजित किए गए, जो उक्त धारा 115 बीबीई के प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं था। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय उपरोक्त परिवर्धनों पर 60 *प्रतिशत* की विशेष दर की अपेक्षा सामान्य दर से कर लगाया और 25 *प्रतिशत* अधिभार लगाया, तथा धारा 234ए के अंतर्गत 3 महीने की अपेक्षा 4 महीने का ब्याज लगाया।	करोड़ की अपेक्षा ₹ 9.54 करोड़ के रूप में गलत तरीके से दर्शाना और धारा 234ए(3) के अंतर्गत ब्याज की गलत गणना। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
7	प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), भोपाल	मेसर्स एम9 प्राइवेट लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/ कंपनी/ 2018-19	31.97	निर्धारण अधिकारी ने निर्धारित आय पर पहुँचते समय ₹ 5.53 करोड़ के घाटे के समायोजन की अनुमति दी, जिसमें से ₹ 4.33 करोड़ अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत किए गए अतिरिक्त के प्रति समायोजित किए गए थे, जो धारा 115बीबीई, उक्त के प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं था।	विभाग ने जून 2023 में धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को दूर कर दिया। हालांकि, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति अभी भी प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।
8	प्रधान आयकर आयुक्त, रोहतक	मेसर्स ओ3 लिमिटेड/ XXXXXXXXXX/	16.14	निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 15.71 करोड़ की अविवरणीकृत	विभाग ने (जुलाई 2024) में उत्तर दिया कि मार्च 2024 में धारा 148ए के

तालिका 3.6: धारा 68/69 के अंतर्गत किए गए परिवर्धनों के प्रति हानियों का गलत समायोजन (वे मामले जहां विभाग द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई पूरी/शुरू की गई है)					
क्र. सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/पैन/ स्थिति/नि.व.**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का सार**	**उत्तर की स्थिति/ विभाग द्वारा की गई कार्रवाई**
		कंपनी/ 2017-18		अतिरिक्त राशि को ₹ 104.42 करोड़ के घोषित घाटे के प्रति समायोजित कर दिया, जो धारा 115बीबीई के प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी ने कुल आय की गणना करते समय ₹ 2.44 करोड़, यानी ₹ 24.43 करोड़ के व्यापार देय का 10 *प्रतिशत,* अतिरिक्त रूप से जोड़ दिया, जिसके लिए निर्धारिती ने कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया। प्रासंगिक दस्तावेजों, जैसे कि तुलन पत्र की अनुसूचियों के अभाव में, लेखापरीक्षा विभाग व्यापार देय के 10 *प्रतिशत* को जोड़ने का आधार निर्धारित नहीं कर सका।	अंतर्गत नोटिस जारी करके सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि, उक्त नोटिस में व्यापार देयताओं में 10 *प्रतिशत* की वृद्धि से संबंधित मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

इसके अलावा, चार मामलों में से, जहां मंत्रालय/विभाग ने या तो कोई कार्रवाई नहीं की है या जवाब का इंतजार है, विभिन्न प्रभारों के दो मामलों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है:

3.3.1 आयकर आयुक्त प्रभार : आयकर आयुक्त-1, दिल्ली

निर्धारिती का नाम : मेसर्स ई1 प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2018-19

स्थिति : कंपनी

निर्धारण अधिकारी ने मई 2021 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 24.46 करोड़ के घाटे का आकलन करते समय, अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत अविवरणीकृत/असुरक्षित ऋण के मद में ₹ 12.16 करोड़ की राशि जोड़ दी। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत निर्धारित आय की गणना करते समय की गई वृद्धि के प्रति ₹ 12.16 करोड़ के घाटे का समायोजन कर दिया, जो उक्त धारा 115 बीबीई के प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं था। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 13.06 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

अप्रैल 2022 में लेखापरीक्षा संबंधी अभ्युक्ति विभाग को जारी की गई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.3.2 आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त-1, कोलकाता (अब, प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), कानपुर)

निर्धारिती का नाम : मेसर्स एम1 प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2017-18

स्थिति : कंपनी

दिसंबर 2019 में धारा 144 के अंतर्गत ₹ 55.87 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निर्धारण अधिकारी ने, अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत ₹ 3.09 करोड़ फर्जी लेनदेन और धारा 69 के अंतर्गत ₹ 57.65 करोड़ को अस्पष्टीकृत व्यय के रूप में परिवर्धित कर दिया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारित आय को निर्धारित करने के दौरान, अधिनियम की धारा 68/69 के अंतर्गत किए गए परिवर्धन के सापेक्ष ₹ 4.87 करोड़ की हानि का समायोजन किया था, जो उक्त धारा 115बीबीई के प्रावधानों के अनुसार सही नहीं था। त्रुटियों के परिणामस्वरूप धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 4.99 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था।

फरवरी 2021 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के विषय में विभाग को सूचित किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.4 धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के तहत मानी गई आय से संबंधित ऐसी आय जिस पर कर का आकलन नहीं हो पाया

हमने 20 राज्यों[5] में धारा 68 से 69डी के अंतर्गत अस्पष्टीकृत लेनदेन से संबंधित ₹ 18,799 करोड़ के कर प्रभाव के संदर्भ में 589 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ पायीं, जिनका निर्धारण और कर उद्ग्रहण अधिनियम की धारा 115बीबीई के अनुसार नहीं हो पाया था। 589 मामलों में से, मंत्रालय/विभाग ने 399 मामलों में उपचारी कार्रवाई पूरी कर ली है/प्रारम्भ कर दिया है। शेष 190 मामलों में, विभाग द्वारा या तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है या उत्तर प्रतीक्षित है। लेखापरीक्षा में इंगित किए गए धारा-वार अस्पष्टीकृत लेनदेन जिनका निर्धारण नहीं हो पाया था, निम्नलिखित अनुच्छेदों में उनकी चर्चा की गई है:

3.4.1 धारा 68 के अंतर्गत आने वाले अस्पष्टीकृत लेनदेन जिनका कर निर्धारण और कर उद्ग्रहण अधिनियम की धारा 115बीबीई से बच गया था

3.4.1.1	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-1, पुणे**
	निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स ए15 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2018-19**
	स्थिति	**: कंपनी**

निर्धारण अधिकारी ने अगस्त 2021 में धारा 144बी के साथ पठित धारा 144 के साथ अंतर्गत ₹ 107.38 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए ₹ 107.38 करोड़ का परिवर्धन किया था और निर्धारिती द्वारा दावा की गयी हानि को अस्वीकार कर दिया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने कुल ₹ 561.32 करोड़ का दीर्घकालिक ऋण लिया था। जिसमें से मेसर्स डी11 प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ए16 प्राइवेट लिमिटेड से वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडीएस) जारी करके क्रमशः ₹ 12.00 करोड़ और ₹ 240.88 करोड़ सहित पांच संस्थाओं से ₹ 461.32 करोड़ उधार लिया था। हालांकि, उसी निर्धारण प्रभार में निर्धारिति मेसर्स डी11 प्राइवेट लिमिटेड के निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि मेसर्स डी11 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्धारिती कंपनी में ऐसा कोई निवेश नहीं किया

[5] आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

गया था। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि मेसर्स ए16 प्राइवेट लिमिटेड ने नि.व. 2017-18 में ₹ 0.90 लाख और नि.व. 2018-19 में ₹ 2.44 लाख की हानि बताई और दोनों निर्धारण वर्षों में टर्नओवर शून्य बताया। इस प्रकार, मेसर्स ए16 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया निवेश उसकी वित्तीय स्थिति के अनुरूप नहीं था।

इसलिए, निर्धारण अधिकारी को ₹ 461.32 करोड़ के पूरे संव्यवहार की सत्यता की विस्तार से जांच करने और आवश्यकता पड़ने पर कर लगाने की आवश्यकता थी, जो नहीं किया गया था, यद्यपि निर्धारिती के मामले को मात्रात्मक विवरण प्रस्तुत न करने, निवेश/अग्रिम/ऋण, व्यवसाय हानि, आईसीडीएस अनुपालन और संव्यवहार के समायोजन एवं सत्यापन से संबंधित मुद्दों पर संवीक्षा के लिए चुना गया था। उपरोक्त संव्यवहार के माध्यम से अलेखांकित धन के अघोषित माध्यमों के द्वारा निवेशित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था।

जुलाई 2022 में विभाग को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के विषय में सूचित किया गया था।

विभाग ने जवाब में (फरवरी 2026), लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और मार्च 2025 में धारा 144 के साथ धारा 263 और 144बी के तहत एक आदेश पारित करके गलती को सुधारा।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.4.1.2	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-4, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स जे3 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: कंपनी**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में धारा 144 के अंतर्गत ₹ 149.46 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप दिया था।

लेखापरीक्षा ने नि.व. 2016-17 और नि.व. 2017-18 के तुलन पत्रों से पाया कि निर्धारिती ने वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न संबंधित पक्षों से ₹ 218.85 करोड़ का दीर्घकालिक उधार/ऋण/अग्रिम प्राप्त किया था। लेखापरीक्षा

में देखा गया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय दीर्घकालिक उधार/ऋण/अग्रिम से संबंधित आवश्यक विवरण मांगे थे जो निर्धारिती द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गए थे। इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी पूर्वोक्त संव्यवहार की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं कर सका था, इसे अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमानित आय के रूप में माना जाना चाहिए था।

इसके आगे, लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने इस संव्यवहार की सत्यता की जांच करने का प्रयास किया और कंपनी पंजीयक या रजिस्ट्रार (आरओसी) से प्राप्त अभिलेखों से पाया कि निर्धारिती कंपनी के विभिन्न संबंधित पक्षों ने 31 मार्च 2015 के बाद आरओसी के साथ अपने वार्षिक खातों और अन्य अभिलेख दाखिल करना बंद कर दिया था और आरओसी द्वारा इन कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था और वे वैधानिक इकाइयां नहीं रहीं थीं। यह इंगित करता है कि ये संबंधित पक्ष निष्क्रिय हो गए थे। इसलिए निर्धारिती के खाता बही में जमा किए गए अस्पष्टीकृत ऋणों को कंपनी की आय में परिवर्धित किया जाना आवश्यक था, जो निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 218.85 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 233.31 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने मार्च 2022 में धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत आदेश पारित करके उपचारी कार्रवाई की, जिसे आगे मार्च 2023 में धारा 154 के अंतर्गत सुधार किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.4.1.3 आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय, अहमदाबाद

निर्धारिती का नाम	**: वी3**
निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
स्थिति	**: व्यक्तिगत**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत ₹ 267.23 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए,

अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत अस्पष्टीकृत क्रेडिट के लिए ₹ 267.23 करोड़ का परिवर्धन किया, जिसमें लक्ष्मी विलास बैंक को दिए गए क्रेडिट के संदर्भ में ₹ 232.29 करोड़ सम्मिलित थे। लेखापरीक्षा जांच से लक्ष्मी विलास बैंक के बैंक विवरण से पता चला कि निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवर्धित किए गए ₹ 232.29 करोड़ के बजाय वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान केवल ₹ 99.68 करोड़ की सीमा तक क्रेडिट लेनदेन था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज के साथ ₹ 177.23 करोड़ के कर के अतिरिक्त उद्ग्रहण सहित ₹ 132.61 करोड़ की आय का अधिक निर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति *को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने (मई 2026) कहा कि मार्च 2026 में अधिनियम की धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।*

3.4.1.4 आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), गुरुग्राम

निर्धारिती का नाम : मेसर्स एमर्6 प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2017-18

स्थिति : कंपनी

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में धारा 153बी(1)(बी) के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत ₹ 236.30 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, ₹ 25.24 करोड़ की विवरणीकृत हानि में ₹ 261.54 करोड़ का परिवर्धन किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 261.54 करोड़ के कुल परिवर्धन में से, धारा 69सी के अंतर्गत केवल ₹ 2.68 करोड़ परिवर्धित किया गया था। चूंकि पूरा संव्यवहार या तो अस्पष्टीकृत था या निर्धारण कार्यवाही के दौरान अवैध क्रय आदि के रूप में माना गया था, इसलिए निर्धारण अधिकारी. को धारा 68/69 के अंतर्गत पूरी राशि को परिवर्धित किया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि निर्धारण अधिकारी ने इन परिवर्धनों के साथ ₹ 25.24 करोड़ के हानि के समायोजन की अनुमति दी थी। यह भी देखा गया कि धारा 69सी के अंतर्गत किए गए परिवर्धन पर लागू दर 25 *प्रतिशत* के बजाय 12 *प्रतिशत* की

दर से अधिभार लगाया गया था। इन चूक के परिणामस्वरूप ₹ 144.39 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति *को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने (मई 2026) कहा कि, माननीय आईटीएटी के दिनांक 02/05/2025 के आदेश के अनुसार, आईटीए संख्या 2833/डीईएल/2025, इस मामले को कर योग्य आय के नए निर्धारण के लिए* निर्धारण अधिकारी *को वापस भेज दिया गया है।*

3.4.1.5	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: आयकर आयुक्त केंद्रीय-1, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स पी2 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2019-20**
	स्थिति	**: कंपनी**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2021 में धारा 144 के अंतर्गत ₹ 254.25 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, दीर्घकालिक देनदारियों के लिए धारा 68सी के अंतर्गत ₹ 46.08 करोड़ के परिवर्धन के साथ ₹ 254.13 करोड़ की राशि का परिवर्धन किया था, जिसके लिए संव्यवहार की प्रामाणिकता और ऋण पात्रता निर्धारित नहीं की जा सकी थी।

निर्धारण आदेश की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर कि निर्धारिती इस राशि की ऋण पात्रता और प्रामाणिकता को स्पष्ट करने में विफल रहा था, अधिनियम के सामान्य प्रावधान के अंतर्गत ₹ 208.05 करोड़ की राशि अन्य देनदारियों के रूप में वापस परिवर्धित करने का प्रस्ताव किया था। हालाँकि, ₹ 208.05 करोड़ की राशि को अस्पष्टीकृत होने के कारण, धारा 68 के अंतर्गत जोड़ा जाना चाहिए था और विशेष दर पर कर लगाया जाना चाहिए था, जैसा कि निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 46.08 करोड़ की अस्पष्टीकृत दीर्घकालिक देनदारियों के लिए किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप धारा 243ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 140.34 करोड़ कर का कम उद्ग्रहण किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जून 2022) को स्वीकार कर लिया और कहा कि मार्च 2021 में धारा 144 के

अंतर्गत पारित निर्धारण आदेश को मार्च 2023 में धारा 263 के अंतर्गत जारी आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.4.1.6 आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त-1, दिल्ली

निर्धारिती का नाम : मेसर्स डी2 लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2018-19

स्थिति : कंपनी

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2021 में ₹ 9.31 करोड़ की आय पर धारा 143(3) के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत ₹ 9.35 करोड़ का परिवर्धन किया था।

निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारित आय को निर्धारित करने के दौरान, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत किए गए ₹ 9.35 करोड़ के परिवर्धन से वर्तमान वर्ष के ₹ 3.34 लाख की हानि को अनुचित तरीके से समायोजित करने की अनुमति दी थी। इसके अतिरिक्त, धारा 68 के अंतर्गत किए गए परिवर्धन पर निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, 60 *प्रतिशत* पर विशेष दर के बजाय सामान्य दर पर कर और 25 *प्रतिशत* पर अधिभार लगाया गया था।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 123.02 करोड़ के असुरक्षित ऋण और अग्रिम में वृद्धि हुई और निर्धारिती इस वृद्धि की ऋण पात्रता और वास्तविकता को स्पष्ट करने में विफल रहा था। साथ ही, यह देखा गया कि निर्धारिती ने कोई आय प्राप्त नहीं की और वर्ष के दौरान कोई निर्माण व्यय भी नहीं किया था। इस प्रकार, निर्धारिती से स्पष्टीकरण के अभाव में, ₹ 123.02 करोड़ की राशि को अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट माना जाना चाहिए था और कर लगाया जाना चाहिए था। जो निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था।

उपर्युक्त अशुद्धियों के परिणामस्वरूप ₹ 123.02 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ था, जिसमें धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 137.57 करोड़ कर का कम उद्ग्रहण सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने सितंबर 2022 में अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत किए गए परिवर्धन के सापेक्ष हानि को समायोजित करने और धारा 68 के अंतर्गत किए गए ₹ 9.35 करोड़ के परिवर्धन पर कर की दर के अनुप्रयोग से संबंधित मुद्दों के संबंध में धारा 154 के अंतर्गत उपचारी कार्रवाई की थी। हालांकि, धारा 68 के अंतर्गत ₹ 123.02 करोड़ के परिवर्धन से संबंधित मुद्दे पर उत्तर प्रतीक्षित है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.4.1.7	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त, वलसाड**
	निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स एस4 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2018-19**
	स्थिति	**: कंपनी**

निर्धारण अधिकारी ने अप्रैल 2021 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 3.09 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए अन्य बातों के साथ-साथ विविध लेनदारों के अधीन अस्वीकृति के प्रति ₹ 2.64 करोड़ का परिवर्धन किया था।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण अभिलेखों से देखा कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय बही खातों में पाए गए उन विविध लेनदारों का विवरण मांगा, जिनके लिए देय राशि ₹ 25.00 लाख और उससे अधिक थी। निर्धारिती ने ₹ 11.74 करोड़ की राशि वाले 12 ऐसे पक्षों की सूची प्रदान की थी। लेकिन इन 12 पक्षों में से, केवल आठ पक्षों की पुष्टि निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई थी। निर्धारण अधिकारी ने इन आठ पक्षों को लेनदेन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए धारा 133(6) के अंतर्गत नोटिस जारी करके आवश्यक दस्तावेज की मांग की थी। लेकिन उनमें से केवल छः का उत्तर ही दिया था। इसलिए, इन दोनों पक्षों के संदर्भ में निर्धारण अधिकारी ने इन्हें अस्पष्टीकृत और बनावटी विविध लेनदार मानते हुए अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत ₹ 2.64 करोड़ का परिवर्धन किया था। हालाँकि, शेष चार पक्षों के संदर्भ में निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश मे न तो ₹ 7.27 करोड़ की चर्चा की और न ही उसे वापस कुल आय में परिवर्धित किया, हालाँकि इसे भी इसी तरह से निर्धारिती की आय में वापस परिवर्धित किए जाने की आवश्यकता थी। इस चूक

के परिणामस्वरूप ₹ 7.27 करोड़ की अस्पष्टीकृत आय का निकास हुआ, जिसमें ब्याज सहित ₹ 7.71 करोड़ कर का कम उद्ग्रहण सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने (मई 2026) कहा कि मार्च 2024 में अधिनियम की धारा 263 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है (मई 2026)।

3.4.1.8	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-1, कोच्चि**
	निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स आई3 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: कंपनी**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 25.23 लाख की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, ₹ 45.85 लाख का परिवर्धन किया जिसमें अप्रमाणित विविध लेनदारों के लिए ₹ 18.70 लाख की अस्वीकृति सम्मिलित थी।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण का समापन करते समय निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती से ₹ 4.09 करोड़ की राशि के विविध लेनदारों की सूची पुष्टिकरण पत्र के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा था। जिसमें से निर्धारिती ने ₹ 1.35 करोड़ के क्रेडिट की सत्यता प्रमाणित की थी। निर्धारण अधिकारी ने अप्रमाणित पूरे लेनदारी के बजाय केवल अप्रमाणित लेनदारी का पाँच *प्रतिशत* को परिवर्धित किया है। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.70 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने (अप्रैल 2026) कहा कि मार्च 2023 में धारा 143(3) के साथ धारा 263 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

3.4.2 धारा 69 के अंतर्गत आने वाले अस्पष्टीकृत संव्यवहार जो अधिनियम की धारा 115बीबीई के अनुसार निर्धारण और उस पर कर के उद्ग्रहण से बच गए थे

3.4.2.1 आयकर आयुक्त प्रभार : आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-2, दिल्ली

निर्धारिती का नाम : मेसर्स ई2 लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2018-19

स्थिति : कंपनी

निर्धारण अधिकारी ने जून 2021 में धारा 144 के अंतर्गत ₹ 62.55 लाख के विवरणीकृत हानि के सापेक्ष ₹ 304.48 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप दिया था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण का समापन करते समय, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती से संबंधित पक्षों का विवरण मांगा था, जिनसे निर्धारिती ने ₹ 299.82 करोड़ के ऋण और अग्रिम लिए थे। हालांकि, निर्धारण कार्यवाही के दौरान विभिन्न सांविधिक नोटिसों के माध्यम से सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, निर्धारिती इन संव्यवहारों के संदर्भ में ऐसे उत्तर/विवरण और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा जिससे इस तरह के भारी ऋण और अग्रिम के स्रोत का पता लगाया जा सके। इस प्रकार, ₹ 299.82 करोड़ की इस राशि को अस्पष्टीकृत माना जाना चाहिए और धारा 69 के अंतर्गत कर लगाया जाना चाहिए, धारा 115 बीबीई के प्रावधान के अनुसार 60 *प्रतिशत* की विशेष दर से कर और 25 *प्रतिशत* पर अधिभार लगाया जाना चाहिए था। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने इस राशि को अधिनियम के सामान्य प्रावधान के अंतर्गत निर्धारिती की कुल आय में परिवर्धित कर दिया और तदनुसार कर लगाया था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने नियम 8डी के साथ पठित धारा 14ए के अंतर्गत अस्वीकृति के कारण ₹ 5.29 करोड़ अर्थात ₹ 1,057.69 करोड़ के औसत निवेश का 0.5 *प्रतिशत* परिवर्धित किया, बजाय एक *प्रतिशत* के औसत निवेश के, जो 02 जून 2016 के सीबीडीटी परिपत्र के अनुसार ₹ 10.58 करोड़ था।

उपर्युक्त त्रुटियों के परिणामस्वरूप धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित कुल ₹ 205.34 करोड़ का कम कर उद्ग्रहण किया गया था।*लेखापरीक्षा अभ्युक्ति अक्टूबर 2021 में विभाग को जारी की गयी थी, जिसके बाद अगस्त 2022 और अप्रैल 2023 में अनुस्मारक जारी किए गए थे।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.4.2.2	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: आयकर आयुक्त-10, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: आई2**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: व्यक्तिगत**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत ₹ 23.44 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, अचल संपत्ति की खरीद के लिए ₹ 22.98 करोड़, अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ₹ 42.72 लाख और नकद जमा आदि के कारण ₹ 3.25 लाख का परिवर्धन किया था।

निर्धारिती ने पूर्वोक्त निर्धारण वर्ष के लिए आय विवरणी दाखिल नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने हालांकि धारा 69ए के अंतर्गत ₹3.25 लाख नकद जमा राशि परिवर्धित की थी, लागू 60 *प्रतिशत* विशेष दर और 25 *प्रतिशत* के अधिभार के बजाय कर की गणना सामान्य दरों पर की गयी थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने धारा 56(2)(vii)(बी) के अंतर्गत अन्य स्रोतों से आय के रूप में अचल संपत्ति की खरीद के कारण ₹ 22.98 करोड़ का और धारा 45 के अंतर्गत पूंजीगत लाभ के रूप में अचल संपत्ति की बिक्री पर ₹ 42.72 लाख का परिवर्धन किया था। तथापि, इसके अस्पष्टीकृत होने के कारण, अधिनियम की धारा 69 के अनुसार परिवर्धन करने और अधिनियम की धारा 115 बीबीई के प्रावधान के अनुसार कर लगाने की आवश्यकता थी क्योंकि निर्धारिती ने न तो आय का रिटर्न दाखिल किया और न ही अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत जारी नोटिस का अनुपालन किया था। इन अशुद्धियों के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 21.16 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने मार्च 2024 में अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत आदेश द्वारा, विचाराधीन निर्धारण आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें निर्धारण अधिकारी को सत्यापन/जांच करने और धारा 69 के अनुसार परिवर्धन करने एवं ₹ 22.98 करोड़ की अचल संपत्ति की खरीद के संबंध में अधिनियम की धारा 115बीबीई के प्रावधान के अनुसार आय पर कर लगाने का निर्देश दिया गया था। उपचारात्मक कारवाई का आगे का विवरण प्रतीक्षित था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.4.3 धारा 69ए के अंतर्गत आने वाले अस्पष्टीकृत संव्यवहार जो अधिनियम की धारा 115बीबीई के अनुसार निर्धारण और उस पर कर उद्ग्रहण से बच गए थे

3.4.3.1

आयकर आयुक्त प्रभार	**: प्रधान आयकर आयुक्त-10, दिल्ली**
निर्धारिती का नाम	**: आर9**
निर्धारण वर्ष	**: 2016-17 और 2017-18**
स्थिति	**: फर्म**

मार्च 2022 में धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण का समापन करते हुए, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कुल आय में कुल निर्यात बिलों के आठ *प्रतिशत* का परिवर्धन करने के पश्चात नि.व. 2016-17 और 2017-18 के लिए क्रमशः ₹ 42.17 करोड़ और ₹ 29.88 करोड़ की आय निर्धारित की थी। कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) की लेखापरीक्षा जांच (जुलाई 2022) से पता चला कि निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, हालांकि निर्धारित आय को गणना शीट में सही रूप से दर्शाया गया था, लेकिन उस पर कर की गणना नहीं की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप, जिसमें धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित नि.व. 2016-17 के लिए ₹ 35.02 करोड़ और नि.व. 2017-18 के लिए ₹ 22.34 करोड़ का कर उद्ग्रहण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर, विभाग ने फरवरी 2023 में एक सुधार आदेश पारित करके गलती को सुधारा था। हालाँकि, अनुस्मारकों के

बावजूद सुधार आदेशों की गणना शीट प्रस्तुत नहीं की गई थी। चूंकि विसंगतियां कर की गणना के संबंध में थीं, और सुधार गणना शीट के अभाव में लेखापरीक्षा कर के सुधार गणना की शुद्धता को सत्यापित नहीं कर सकता था।

बाद में लेखापरीक्षा ने नि.व. 2016-17 और 2017-18 दोनों के निर्धारण आदेशों में दर्शाए गए निर्धारिती के निर्यात संव्यवहार की तालिकाओं से पाया (मई 2024) कि इन दोनों नि.व. की दोनों तालिकाओं में बीजक की तिथि, आयात-निर्यात कोड, जी.बी.पी. (ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग) में बीजक मुद्रा, एफ.ओ.बी. (फ्री ऑन बोर्ड) मूल्य, ड्यूटी ड्रॉबैक और वित्त वर्ष 2015-16 के अंतर्गत आने वाले वित्त वर्ष 2014-15 से संबंधित निर्यात संव्यवहार के लिए शिपिंग बिलों के लिए बीजक मूल्य की समान सूचना सम्मिलित थी। इसलिए, कुल ₹ 372.28 करोड़ मूल्य के संव्यवहार, जो बीजक की तिथि और एफओबी एवं बीजक मूल्य के संदर्भ में समान थे, का निर्धारण नि.व. अर्थात 2015-16 में किया जाना था। उसके निर्धारण की नए सिरे से जाँच किए बिना, सुधार की प्रक्रिया के दौरान दोनों निर्धारण आदेशों के विसंगतियों की जांच निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं की गयी थी। चूंकि, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कुल निर्धारित निर्यात मूल्य के सापेक्ष ₹ 372.28 करोड़ की आय नि.व. 2015-16 के लिए निर्धारण से बच सकती थी, इसलिए इसके उचित सत्यापन के बाद सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि नि.व. 2016-17 और नि.व. 2017-18 के लिए निर्धारण आदेशों में उल्लिखित तालिका और तथ्य इन निर्धारण वर्षों से संबंधित नहीं हैं, बल्कि नि.व. 2015-16 के लिए हैं, नि.व. 2016-17 और 2017-18 के निर्धारण आदेशों को सही तालिका और तथ्यों को दर्शाकर ठीक करने की आवश्यकता है।

दो निर्धारण आदेशों में, अर्थात वित्त वर्ष 2015-16 हेतु प्रासंगिक नि.व. 2016-17 और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए प्रासंगिक नि.व. 2017-18, निर्धारण अधिकारी ने कराधान के उद्देश्य से आयात (निर्यात होना चाहिए और सत्यापन की आवश्यकता है) बिलों के मूल्य के रूप में क्रमशः ₹ 527.17 करोड़ और ₹ 373.51 करोड़ लिए थे। निर्धारण आदेश के अनुसार, निर्धारिती ने निर्धारण कार्यवाही के दौरान जारी विभिन्न सांविधिक नोटिसों का अनुपालन नहीं किया था एवं न तो आई.टी.आर. और न ही कोई अन्य विवरण प्रस्तुत किये थे। हालाँकि, जब निर्धारण अंतिम रूप में था, तो निर्धारिती ने विघटन विलेख एवं

व्यापार लाइसेंस तथा आयात/निर्यात कोड में संबंधित सांपत्तिक की साझेदारी में संशोधन के संदर्भ में भी दस्तावेज़ उपलब्ध कराते हुए उत्तर दिया कि फर्म 10/10/2011 को भंग हो गई थी। चूंकि सत्यापन इकाई से निर्धारण अधिकारी को भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी खाता बही के उस समय उपलब्ध दस्तावेजों के साथ निर्धारण पूरा करने का निर्णय लिया और दोनों निर्धारण वर्षों 2016-17 और 2017-18 में धारा 44एडी के प्रावधानों का हवाला देते हुए निर्धारिती की व्यवसाय आय की गणना निर्यात संव्यवहार के आठ *प्रतिशत* पर की थी। निर्धारण अधिकारी की यह कार्रवाई निम्नलिखित कारणों से सही नहीं है:

(क) निर्धारण अधिकारी को इस निर्यात संव्यवहार की प्रकृति और स्रोत के संबंध में निर्धारिती से संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी और इस तथ्य के लिए कि इस निर्धारिती का कोई आयकर विवरण फाइलिंग इतिहास नहीं है (निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान की गई 360 डिग्री सूचना के अनुसार), और इन दो निर्धारण आदेशों में कोई उल्लेख नहीं है कि इन निर्यात संव्यवहार के सापेक्ष धन प्रेषण, प्रासंगिक विधानों के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में प्राप्त किया गया था। इसलिए, इस विवरण प्रस्तुत एवं अनुपालन न करने वाली निवासी कंपनी निर्धारिती के खाता बही के बाहर सृजित सभी अस्पष्टीकृत निर्यात संव्यवहारों को सम्मिलित करते हुए ₹ 527.17 करोड़ (नि.व. 2016-17) और ₹ 373.51 करोड़ (नि.व. 2017-18) की कुल राशि धारा 69ए के अंतर्गत आती है और धारा 69ए के अंतर्गत इस प्रकार परिवर्धित जानी थी और धारा 115बीबीई के अंतर्गत निर्धारित दर पर कर लगाया जाना था जो नि.व. 2016-17 के लिए 30 *प्रतिशत* है और नि.व. 2017-18 के लिए 60 *प्रतिशत* की दर के साथ 25 *प्रतिशत* की दर पर अधिभार है।

(ख) धारा 44एडी के प्रावधान निवासी व्यक्तिगत, हिन्दू अविभाजित परिवार और साझेदारी निर्धारितियों पर लागू होते हैं, जबकि यह निर्धारिती निर्धारण के अंतर्गत निवासी कंपनी निर्धारिती है। इसके अतिरिक्त, धारा 44एडी के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए निर्धारिती, व्यवसाय में नि.व. 2015-16, नि.व. 2016-17 और नि.व. 2017-18 के लिए ₹ 1.00 करोड़ से कम व्यवसाय टर्नओवर हेतु

संभावित कराधान के संबंध में आयकर विवरण दाखिल करता है, जबकि यह निर्धारिती आयकर विवरण प्रस्तुत नहीं करता था और आरोप के अनुसार अस्पष्टीकृत निर्यात टर्नओवर निर्धारित सीमा अर्थात् ₹ 527.17 करोड़ (नि.व. 2016-17) और ₹ 373.51 करोड़ (नि.व. 2017-18) से अधिक था। इसलिए, इस निर्धारिती के निर्धारण को पूरा करने के लिए धारा 44एडी का प्रयोग करने का निर्धारण अधिकारी का निर्णय न्यायसंगत नहीं था, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था और राजस्व के हित में नहीं था।

उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए, नि.व. 2015-16 के लिए ₹ 372.28 करोड़, निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 527.17 करोड़ और निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 373.51 करोड़ के कुल निर्यात बिलों को धारा 69ए के अंतर्गत परिवर्धित किया जाना था और अधिनियम की धारा 115बीबीई के प्रावधान के अंतर्गत उन पर कर लगाया जाना था। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने कुल अस्पष्टीकृत और अघोषित निर्यात बिलों के केवल आठ *प्रतिशत* को निर्धारिती की आय के रूप में परिवर्धित किया था।

2015-16, 2016-17 और 2017-18 के निर्धारण आदेशों में त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 1,393.90 करोड़ कर का कम उद्ग्रहण किया जा सकता था, जिसमें धारा 234ए और धारा 234बी के अंतर्गत परिणामी ब्याज का कम उद्ग्रहण सम्मिलित था, इसके लिए निर्धारण प्रभार में उचित स्तर पर तथ्यों के सत्यापन और निर्धारण के समीक्षा की आवश्यकता है। यह मई 2024 में तथ्यों के विवरण के माध्यम से जारी किया गया था, जिसके बाद जून 2024 में प्रत्युत्तर दिया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.4.3.2	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय, भोपाल**
	निर्धारिती का नाम	**: एम4**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: व्यक्तिगत**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में धारा 144 के अंतर्गत ₹ 20.80 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, बैंक लेखाओं में ₹ 693.46 करोड़ के तीन *प्रतिशत* क्रेडिट प्रविष्टियों के संदर्भ में ₹ 20.80 करोड़ परिवर्धित किया

था। इस मामले में, लेखापरीक्षा ने शुरू में देखा कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय अधिभार नहीं लगाया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने अप्रैल 2022 में धारा 154 के अंतर्गत अशुद्धि को सुधारा था।

इस बीच, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती फाइलर नहीं था। निर्धारिती ने न तो विभाग द्वारा जारी नोटिस का उत्तर दिया और न ही निर्धारण अधिकारी के समक्ष कुछ प्रस्तुत किया था। इस प्रकार, बैंक खाते में ₹ 693.46 करोड़ के कुल क्रेडिट/जमा की प्रकृति और स्रोत अस्पष्टीकृत रहा था। इस प्रकार ₹ 693.46 करोड़ के क्रेडिट के केवल तीन *प्रतिशत* का परिवर्धन करने के बजाय, धारा 69ए के प्रावधानों के अंतर्गत पूरी राशि को कर के दायरे में लाया जाना चाहिए था और अधिनियम की धारा 115बीबीई के अनुसार कर लगाया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के दो अन्य खातों में सामने आई ₹ 6.04 करोड़ की राशि को संज्ञान में नहीं लिया था, जिसे निर्धारिती की आय में भी सम्मिलित किया जाना था और अधिनियम की धारा 115बीबीई के अनुसार कर लगाया जाना था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 678.70 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 865.20 करोड़ कर का कम उद्ग्रहण सम्मिलित था। जनवरी 2023 में इस मुद्दे के विषय में विभाग को सूचित किया गया।

मंत्रालय ने उत्तर में (मई 2026), नीचे उल्लिखित कारणों के साथ अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया:

(क) अधिनियम की धारा 133ए के तहत 06/04/2016 और 09/11/2016 को एक सर्वेक्षण किया गया था। तदनुसार, निर्धारिती के मामले को अनिवार्य जांच के लिए चुना गया था, और दिसंबर 2019 में धारा 144 के तहत निर्धारण पूरा किया गया था।

(ख) निर्धारिती व्यावसायिक गतिविधियों में लगा हुआ था, जिसकी पुष्टि रिकॉर्ड में उपलब्ध विवरण और दस्तावेजों के साथ-साथ सर्वेक्षण कार्यवाही के दौरान जब्त की गई सामग्री से हुई थी।

(ग) तीन प्रतिशत के लाभ दर के आवेदन के संबंध में, विचाराधीन नि.व. 2017-18 के लिए इसे तुरंत पहले निर्धारण वर्ष 2016-17 में निर्धारिती द्वारा दिखाए गए लाभ के आधार पर सही ढंग से अपनाया गया है, जो कि काफी तार्किक है।

(घ) ऐक्सिस बैंक में रिकॉर्ड पर पड़े बैंक खाते के अवलोकन से पता चलता है कि 01/04/2026 को ₹ 17.63 लाख की शुरुआती शेष राशि थी। बैंक खाते में नियमित अंतराल पर क्रेडिट और डेबिट प्रविष्टियाँ थीं। अधिकांश मामलों में, क्रेडिट प्रविष्टियाँ बैंकिंग चैनल के माध्यम से थीं और न कि नकद के माध्यम से, क्योंकि धारा 69ए के प्रावधान लागू नहीं किए गए थे। 31.03.2017 को शेष राशि ₹ 10.08 लाख थी। किसी भी बिंदु पर शिखर शेष राशि निर्धारण अधिकारी द्वारा अपनाए गए ₹ 20.80 करोड़ के शुद्ध लाभ की राशि से अधिक नहीं थी। इस प्रकार, व्यावसायिक गतिविधियों में निर्धारिती की भागीदारी को देखते हुए, बैंक खाते में क्रेडिट प्रविष्टियों पर लाभ की गणना की गई थी, और निर्धारण अधिकारी द्वारा संकलन सही ढंग से किया गया था।

(ङ) इस मामले में 31/12/2015 को भी तलाशी अभियान चलाया गया था। निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2016-17 के लिए धारा 153ए के तहत निर्धारण कार्यवाही के दौरान, यह पाया गया कि निर्धारिती कुछ व्यावसायिक गतिविधियों में लगा हुआ था।

निम्नलिखित कारणों से मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

(क) इस मामले में, निर्धारिती एक गैर-फाइलर था, और निर्धारिती द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों का कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। निर्धारिती ने लाभ और हानि खाता, बैलेंस शीट, बिक्री और खरीद रजिस्टर और कोई अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। इसके अलावा, जैसा कि निर्धारण आदेश में कहा गया है, निर्धारिती को अपने खातों की लेखापरीक्षा करानी थी, क्योंकि निर्धारिती की कुल प्राप्तियां ₹ 1.00 करोड़ से अधिक थीं, और लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी थी, जो नहीं की गई थी।

(ख) इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि निर्धारिती पिछले निर्धारण वर्षों में फर्जी लेनदेन में शामिल था और तदनुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा संकलन की गईं, जिसमें अस्पष्टीकृत नकदी प्राप्तियां शामिल थीं। इसलिए, कुल क्रेडिट प्रविष्टियों को निर्धारिती के कारोबार के रूप में मानने और निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारिती के लाभ के रूप में तीन *प्रतिशत* क्रेडिट प्रविष्टियों को अपनाने को उचित नहीं ठहराया गया था।

(ग) धारा 69ए के प्रावधानों का आह्वान करने के लिए, मुख्य रूप से तीन शर्तों को पूरा किया जाना है, अर्थात बही-खाता के बाहर धन पाया गया, निर्धारिती उस धन का मालिक है, और धन के अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत अस्पष्ट है। निर्धारिती ने निर्धारण कार्यवाही के दौरान पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद अपने बैंक खातों में ₹ 699.50 करोड़ के क्रेडिट की प्रकृति और स्रोत को स्पष्ट करने में विफल रहा। इसलिए, ₹ 699.50 करोड़ के अस्पष्टीकृत क्रेडिट धारा 69ए के तहत जोड़े जाने और धारा 115बीबीई के तहत कर लगाए जाने के मानदंडों को पूरा करते हैं।

उपरोक्त को देखते हुए, मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

3.4.3.3	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-1, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: ए2**
	निर्धारण वर्ष	**: 2013-14**
	स्थिति	**: व्यक्तिगत**

निर्धारण अधिकारी ने शुरू में दिसंबर 2018 में धारा 153ए के अंतर्गत जांच निर्धारण का निष्कर्ष निकाला और ₹ पाँच लाख की आय निर्धारित की थी। इसके बाद विभाग के जांच स्कन्ध से प्राप्त सूचना के आधार पर मई 2020 में धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करके निर्धारिती के बैंक खाते में ₹ 527.64 करोड़ की क्रेडिट प्रविष्टियों के लिए मामला खोला गया था। निर्धारिती ने नोटिस का अनुपालन नहीं किया था। परिणामस्वरूप, मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 148/144 के अंतर्गत पुनर्निर्धारण पूरा किया गया था, जिसमें धारा 69 ए के अंतर्गत आय के रूप में ₹ 0.66 करोड़ की आय सहित

₹ 0.61 का परिवर्धन निश्चित किया गया था (अर्थात 100 प्रति लाख की दर पर कमीशन के बाजार मानदंडों का हवाला देते हुए कुल ऐसे अस्पष्टीकृत क्रेडिट का केवल 0.001 *प्रतिशत*)। चूँकि, किसी भी आय के स्रोत के लिए,यदि कोई हो तो, उसके द्वारा खाता बही में हिसाब दर्ज नहीं किया गया था, और निर्धारिती ऐसे धन के अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत ₹ 527.64 करोड़ का पूर्ण अस्पष्टीकृत क्रेडिट परिवर्धित किया जाना था और धारा 115बीबीई के अंतर्गत निर्धारित 30 *प्रतिशत* की दर से कर लगाया जाना था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 374.59 करोड़ का कम कर उद्ग्रहण किया गया, जिसमें परिणामी ब्याज भी सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने मई 2024 में धारा 148/144 के साथ पठित धारा 263 के अंतर्गत आदेश पारित करके उपचारी कार्रवाई की थी। हालांकि, विभाग ने परिशोधन आदेश पारित करते हुए, अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत ₹ 527.38 करोड़ के अस्पष्टीकृत बैंक क्रेडिट को निर्धारिती की पहले से निर्धारित ₹ 0.66 करोड़ की आय में परिवर्धित किया था, जिसमें पहले से ही ₹ 0.61 करोड़ के बैंक क्रेडिट सम्मिलित थे। नतीजतन, आय में ₹ 0.61 करोड़ दो बार परिवर्धित किया गया था। इसके अतिरिक्त, धारा 234ए(3) के अंतर्गत 22 महीने के बजाय 129 महीने की अवधि के लिए ब्याज लगाया गया था और धारा 234बी(3) के अंतर्गत 108 महीने के बजाय 134 महीने की अवधि के लिए ब्याज लगाया गया था।. इसके अतिरिक्त, धारा 234सी के अंतर्गत ₹ 6.04 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहण किया गया था जो कि निर्धारिती के आयकर विवरण प्रस्तुतकर्ता न होने के कारण प्रभार्य नहीं था। इन विसंगतियों को अगस्त 2024 में विभाग को सूचित किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.4.3.4	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: आयकर आयुक्त-10, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: डी1**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: व्यक्तिगत**

दिसंबर 2019 में धारा 144 के अंतर्गत ₹ 22.06 करोड़ की आय पर कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने, नकद जमा के आधार पर अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत ₹ 31.64 लाख और सामान्य आय के अंतर्गत ₹ 217.45 करोड़ की क्रेडिट प्रविष्टियों के 10 *प्रतिशत* के रूप में ₹ 21.75 करोड़ जोड़े। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निर्धारिती ने रिटर्न दाखिल नहीं की थी और 'ऑपरेशन क्लीन मनी' के अंतर्गत एकत्रित जानकारी के आधार पर यह मामला खोला गया था। निर्धारिती ने कर निर्धारण कार्यवाही के दौरान जारी किए गए विभिन्न वैधानिक नोटिसों का अनुपालन नहीं किया और बैंक क्रेडिट का कोई विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया। हालाँकि, निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी आधार और भौतिक तथ्य के, निर्धारिती के बैंक खाते में पाए गए ₹ 217.45 करोड़ के अस्पष्टीकृत अन्य बैंक क्रेडिट (नकद के अतिरिक्त) को उसका व्यावसायिक टर्नओवर मान लिया और ऐसे क्रेडिट का 10 *प्रतिशत* यानी ₹ 21.75 करोड़ व्यावसायिक लाभ मानते हुए जोड़ दिया।

चूंकि निर्धारिती ने रिटर्न दाखिल नहीं की थी और ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे जिनसे यह सिद्ध हो सके कि क्रेडिट प्रविष्टियां निर्धारिती के व्यवसाय से संबंधित थीं, इसलिए निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत ₹ 217.75 करोड़ के अस्पष्टीकृत बैंक क्रेडिट की संपूर्ण राशि को निर्धारिती की आय में अस्पष्टीकृत धन के रूप में जोड़ना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 195.70 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसके कारण अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 260.04 करोड़ के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर, विभाग ने निम्नलिखित कारणों का हवाला देते हुए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया:

(क) उच्चतम न्यायालय ने बृज भूषण लाल प्रदुमन कुमार बनाम सीआईटी (1978) 115 आईटीआर 524 (एससी) के मामले में यह निर्णय दिया कि अनुमान सही और निष्पक्ष होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, केरलम राज्य बनाम सी वेलुकुट्टी (1966) 60 आईटीआर 239 (एस.सी.) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी यह कहा गया है कि सर्वोत्तम

निर्णय के आधार पर किए गए निर्धारण का उपलब्ध सामग्री से उचित संबंध होना आवश्यक है।

(ख) निर्धारिती द्वारा संचालित चालू खाता 10/03/2015 को खोला गया था, जो कि संवीक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष से पूर्व के दो वर्षों का है। आगे, निर्धारिती के बैंक खाता विवरण में दर्शाए गए अधिकांश लेन-देन केवल व्यावसायिक इकाइयों के साथ ही किए गए थे। अतः यह नकारा नहीं जा सकता कि निर्धारिती ने संदर्भित वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में व्यवसाय किया है। इसलिए, ₹ 217.45 करोड़ की समस्त क्रेडिट राशियों को निर्धारिती की आय मानना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि व्यवसाय संवीक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष से दो वर्ष पूर्व ही स्थापित हो चुका था और उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान निरंतर जारी रहा।

(ग) यह स्पष्ट है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निर्धारिती का व्यवसाय वास्तव में अस्तित्व में था। अभिलेख में मौजूद चालू खाता विवरण से पता चलता है कि वास्तव में व्यवसाय स्थापित किया गया था और वह पिछले वर्ष से अस्तित्व में था। निर्धारण वर्ष से पूर्व के वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण प्राप्तियां देखी गईं। इसके अतिरिक्त, यह लेखापरीक्षा का यह तर्क कि निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर यह माना जाए कि निर्धारिती का व्यवसाय अस्तित्व में नहीं था, तथ्यात्मक रूप से गलत और वास्तविकता से इतर है। यह उल्लेखनीय है कि जिस वित्तीय वर्ष में व्यवसाय के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया गया है, वह वित्तीय वर्ष 2016-17 है, जबकि निरीक्षक को वित्तीय वर्ष 2019-20 में नियुक्त किया गया था। अतः इसे वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्धारिती के व्यवसाय के अस्तित्व में न होने का आधार नहीं माना जा सकता।

(घ) इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा का उद्देश्य तकनीकी और अंकगणितीय सटीकता दोनों ही दृष्टियों से निर्धारण की शुद्धता की जाँच करना है। यह बार-बार दोहराया गया है कि निर्धारण अधिकारी, निर्धारण अधिकारी के विवेकाधीन अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

लेखापरीक्षा संबंधी अभ्युक्तियों पर निर्धारण अधिकारी के उपरोक्त उत्तर निम्नलिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं थे:

(i) निर्धारण कार्यवाही के दौरान, निर्धारिती को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद वह इन बैंक जमा राशियों की प्रकृति और स्रोत को समझाने में विफल रहा| निर्धारण अधिकारी ने स्वयं निष्कर्ष निकाला कि ₹ 217.45 करोड़ की पूरी राशि अज्ञात स्रोतों से प्राप्त अस्पष्टीकृत बैंक क्रेडिट है।

(ii) सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किए गए निर्धारण का उपलब्ध सामग्री से उचित संबंध होना आवश्यक है। हालांकि, वर्तमान मामले में निर्धारण अधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत निर्धारण किया है, जैसे कि ₹ 217.45 करोड़ की अस्पष्टीकृत बैंक क्रेडिट को निर्धारिती के व्यावसायिक टर्नओवर के रूप में मानना,, जबकि इस विवरणी न दाखिल करने वाले निर्धारिती ने अपने दावों के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिसमें लाभ-हानि खाता, तुलन-पत्र, विक्रय एवं क्रय रजिस्टर, उक्त क्रेडिट/डेबिट का विवरण/प्रकृति तथा अन्य संबंधित लेखा-बही सम्मिलित हैं, जिससे यह स्थापित हो सके कि बैंक में जमा राशियाँ उसके व्यावसायिक लेन-देन से संबंधित थीं। अतः धारा 69ए के प्रावधानों को लागू किया जाना आवश्यक था। निर्धारिती की ओर से किसी भी प्रकार का साक्ष्य/उत्तर/प्रस्तुति के अभाव में, निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 217.45 करोड़ के सकल टर्नओवर के साथ निर्धारिती की व्यावसायिक गतिविधियों के अस्तित्व को मान लेना उचित नहीं था।

(iii) निर्धारण अधिकारी ने अस्पष्टीकृत नकद जमा को पूरी तरह से व्यावसायिक संचालन से असंबंधित मानते हुए शामिल कर लिया। अतः निर्धारण अधिकारी की ओर से यह तर्क देना उचित नहीं है कि अस्पष्टीकृत नकद जमा प्रविष्टियों का व्यवहार, अस्पष्टीकृत नकद-रहित लेन-देन से अलग होना चाहिए और केवल अस्पष्टीकृत नकद जमा प्रविष्टियों पर ही धारा 69ए लागू होती है। अधिनियम की धारा 69ए इस प्रकार का कोई भेद नहीं करती है।

(iv) केवल यह कि निर्धारिती द्वारा बैंक अभिलेखों में अपने व्यवसाय का स्वरूप “व्यवसाय” अंकित कर दिया गया है, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला

जा सकता कि एक अनुपालन न करने वाले एवं रिटर्न न दाखिल करने वाले निर्धारिती ने संबंधित निर्धारण वर्ष में वास्तव में कोई व्यवसायिक गतिविधियाँ की थीं। इसी कारण से, निर्धारण वर्ष 2017-18 (जिसमें विमुद्रीकरण की अवधि भी सम्मिलित है) के दौरान निर्धारिती (आयकर-फाइल न करने वाले व्यक्ति)) के बैंक खातों में ₹ 217.45 करोड़ की इतनी बड़ी अघोषित एवं अस्पष्टीकृत बैंक लेन-देन को व्यवसायिक लेन-देन माना जाना उचित नहीं है।

(v) यह तर्क कि निरीक्षक को वित्त वर्ष 2019-20 में, विचाराधीन वर्ष के तीन साल बाद नियुक्त किया गया था, त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इतने बड़े टर्नओवर वाला कोई भी व्यवसाय इतने कम समय में पूरी तरह से बंद नहीं हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, नियुक्त निरीक्षक ने बताया कि *"पते के आस-पास के पड़ोसियों और दुकानदारों से आगे की पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त पते पर ऐसा कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है या व्यवसाय नहीं करता है"।* अतः यह ₹ 217.45 करोड़ के टर्नओवर के साथ व्यवसायिक गतिविधियों के अस्तित्व के संबंध में निर्धारण अधिकारी की धारणा के अनुरूप नहीं था।

(vi) लेखापरीक्षा का उद्देश्य निर्धारण अधिकारी के विवेकाधीन अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं है। परंतु किसी प्रकरण का निर्धारण करते समय निर्धारण अधिकारी का विवेक उपलब्ध तथ्यात्मक सामग्री और अभिलेखों पर आधारित होना चाहिए तथा अधिनियम की धारा 69ए के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। इस निर्धारण में ऐसा नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा ने निर्धारण आदेश में तथ्यात्मक त्रुटियों को उजागर किया, क्योंकि अभिलेखों पर किसी भी सहायक साक्ष्य के बिना निर्धारिती का ₹ 217.45 करोड़ का व्यवसायिक टर्नओवर मान लेना एक तर्कसंगत निर्णय नहीं था।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण के उद्देश्य से अस्पष्टीकृत गैर-नकद बैंक जमा का 10 *प्रतिशत* को आय के रूप में मानने का निर्णय मनमाना था तथा इसमें पारदर्शिता का अभाव था। विभाग के उत्तर का खंडन मई 2024 में जारी किया गया।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.4.3.5 आयकर आयुक्त प्रभार : आयकर आयुक्त-10, दिल्ली

निर्धारिती का नाम : यू2

निर्धारण वर्ष : 2017-18

स्थिति : व्यक्तिगत

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 20.83 करोड़ की आय निर्धारित की, जिसमें ₹ 208.31 करोड़ के नकद जमा एवं क्रेडिट प्रविष्टियों के 10 *प्रतिशत* के रूप में ₹ 20.83 करोड़ जोड़े गए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने रिटर्न दाखिल नहीं किया था और यह प्रकरण 'ऑपरेशन क्लीन मनी' के अंतर्गत एकत्रित जानकारी के आधार पर खोला गया था। निर्धारिती एक समायोजन प्रविष्टि (एकोमोडेसन एंट्री) प्रदाता था। निर्धारिती ने निर्धारण कार्यवाही के दौरान जारी विभिन्न सांविधिक नोटिसों का भी अनुपालन नहीं किया तथा लाभ-हानि खाता, तुलनपत्र, बिक्री और खरीद रजिस्टर, नकद जमा का विवरण/प्रकृति और स्रोत तथा अन्य संबंधित लेखा-बही सहित नकद जमा/ऋण प्रविष्टियों का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी आधार एवं ठोस तथ्य के, निर्धारिती के बैंक खाते में पाए गए ₹ 208.31 करोड़ के अस्पष्टीकृत नकद जमा/बैंक क्रेडिट को उसका व्यवसायिक टर्नओवर मान लिया और ऐसे जमा/क्रेडिट के 10 *प्रतिशत* के रूप में ₹ 20.83 करोड़ को व्यवसाय के लाभ के रूप में जोड़ दिया।

चूँकि निर्धारिती ने आयकर विवरण फ़ाइल नही किया था और उसने ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे जिनसे यह प्रमाणित हो सके कि नकद जमा/क्रेडिट प्रविष्टियाँ उसके व्यवसाय से संबंधित थीं, अतः निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत ₹ 208.31 करोड़ की संपूर्ण अस्पष्टीकृत बैंक जमा/क्रेडिट राशि को निर्धारिती की आय के रूप में "अस्पष्टीकृत धन" मानकर जोड़ना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 187.48 करोड़ की आय का अल्प-निर्धारण हुआ, जिससे अधिनियम की धारा 234ए एवं 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 234.62 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा के अवलोकनों के उत्तर में, निर्धारण अधिकारी ने अपने उत्तर (जुलाई 2021, सितंबर 2021, दिसंबर 2022 एवं जनवरी 2023) में कहा कि

लेखापरीक्षा के अवलोकन स्वीकार्य नहीं हैं, मुख्यतः निम्नलिखित कारणों का हवाला देते हुए:

(क) निर्धारिती का बैंक खाता मात्र व्यवसायिक लेन-देन के लिए एक माध्यम के रूप में था। निर्धारिती के बैंक खातों के माध्यम से धन का आवागमन होने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उस धन का स्वामी निर्धारिती ही था।

(ख) अनेक क्रेडिट एवं डेबिट प्रविष्टियों से इस बात का संकेत मिलता हैं कि निर्धारिती द्वारा सामान्य व्यवसाय के दौरान किसी प्रकार के व्यवसायिक लेन-देन किए गए थे। निर्धारिती ऐसे लेन-देन से सामान्य व्यवसाय के दौरान लाभ अथवा कमीशन के रूप में कुछ धन अर्जित कर सकता है और निर्धारिती की ओर से कोई जानकारी प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में निर्धारण अधिकारी कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उचित शुद्ध लाभ का उपयोग करके ऐसे लेन-देनों से लाभ/कमीशन के रूप में आय का सर्वोत्तम अनुमान ही लगा सकता है। आय का यह अनुमान अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि धारा 69ए के दायरे में धन, सोने आदि के रूप में अघोषित संपत्ति शामिल है, लेकिन लाभ या कमीशन के रूप में आय का कोई उल्लेख नहीं है।

(ग) इस प्रकार के गैर-नकद लेन-देन का व्यवहार नकद जमा प्रविष्टियों से भिन्न होता है और केवल बैंक खाते में जमा की गई नकदी ही धन की प्रकृति की होती है और धारा 69ए के अंतर्गत आती है।

(घ) निर्धारिती द्वारा संचालित बैंक खातों के केवाईसी दस्तावेज निर्धारण कार्यवाही के दौरान प्राप्त किए। अभिलेखों में उपलब्ध केवाईसी दस्तावेज दर्शाते हैं कि बैंक खाता वित्तीय वर्ष 2015-16 से पहले से ही अस्तित्व में था तथा निर्धारिती के चालू खाते के समय फेडरल बैंक के अधिकारियों द्वारा व्यवसायिक परिसर का विधिवत सत्यापन किया गया था। दिल्ली वैट पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज तथा वैट रिटर्न अभिलेखों में उपलब्ध हैं। निर्धारिती के बैंक विवरण में दर्शाए गए अधिकांश लेन-देन केवल व्यावसायिक इकाइयों के साथ किए गए थे। अतः यह स्पष्ट है कि संदर्भित वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारिती वास्तव में व्यवसाय कर रहा था। इसलिए ₹ 208.31 करोड़ की समस्त क्रेडिट प्रविष्टियों को निर्धारिती की आय मान लेना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है,

क्योंकि अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि निर्धारिती उक्त वित्तीय वर्ष में वास्तव में व्यवसाय कर रहा था।

निम्नलिखित कारणों से निर्धारण अधिकारी के जवाब स्वीकार्य नहीं थे।

(क) सर्वोत्तम निर्णय आदेश के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी की विवेकाधीन शक्ति एक प्रकार का तर्कसंगत आदेश होना चाहिए जिसमें प्रासंगिक तथ्यों से उत्पन्न होने वाले कारण बताए गए हों। लेखापरीक्षा के उत्तरों में दिए गए औचित्य और तर्क निर्धारण आदेश का हिस्सा नहीं हैं, जिसमें उन्होंने अघोषित बैंक लेन-देन पर पूरी राशि के बजाय केवल 10 *प्रतिशत* कर लगाया। निर्धारण अधिकारी द्वारा अघोषित बैंक लेन-देन को अघोषित व्यावसायिक लेन-देन से संबंधित मानने की धारणा साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है। निर्धारण अधिकारी द्वारा यह मान लेना कि ये अस्पष्टीकृत बैंक लेन-देन अघोषित व्यवसायिक लेन-देन से संबंधित हैं, साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है।

(ख) केवल बैंक खाते का स्वामी/खाताधारक ही बैंक में उपलब्ध राशि को अन्य व्यक्तियों को भेज सकता है। जब निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश में यह निष्कर्ष निकाला कि निर्धारिती के बैंक खाते में अस्पष्टीकृत जमा/क्रेडिट (जिसमें विमुद्रीकरण अवधि के नकद जमा राशि भी शामिल है) को निर्धारिती द्वारा उसी दिन या अगले दिन अन्य व्यक्तियों के खातों में भेज दिया गया, तब निर्धारण अधिकारी यह कहना उचित नहीं होगा कि निर्धारिती के बैंक खाते में ऐसी क्रेडिट प्रविष्टियाँ उसकी धनराशि के स्वामित्व का प्रमाण नहीं हैं।

(ग) निर्धारण अधिकारी के तर्कों में विरोधाभास है, क्योंकि एक ओर उन्होंने यह कहा कि निर्धारिती एक समायोजन प्रविष्टि (एकोमोडेसन एंट्री) प्रदाता है एवं निर्धारिती के बैंक खाते में पाई गई धनराशि समायोजन लेन-देन से संबंधित है। दूसरी ओर, अपने उत्तर में उसने तर्क दिया कि उसके बैंक खाते में पाए गए ₹ 208.31 करोड़ उसके व्यावसायिक लेन-देन से प्राप्त व्यापारिक टर्नओवर हैं यह मानते हुए कि निर्धारिती एक समायोजन प्रविष्टि (एकोमोडेसन एंट्री) प्रदाता हो सकता है, इसका अर्थ है कि निर्धारिती के बैंक खाते में पाई गई ₹ 208.31 करोड़ की अघोषित राशि, जिसमें ₹ 164.78 करोड़ नकद शामिल है, निर्धारिती द्वारा वास्तविक लाभार्थियों को उनके अघोषित धन को सफेद धन में बदलने या उनके व्यावसायिक लाभ को कम करने के लिए प्रदान किए गए

समायोजन लेनदेन से संबंधित हो सकती है। हालांकि, यह निर्धारण अधिकारी का दायित्व था कि वह इन कथित समायोजन लेनदेन के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करे और उस पर कर लगाए। हालाँकि, ऐसा नहीं किया गया। साथ ही, निर्धारिती न तो यह स्पष्ट करने के लिए आगे आया कि उसके बैंक खातों में पाई गई राशि उसकी नहीं थी और न ही उसने उन वास्तविक लाभार्थियों के नाम बताए, जिन्होंने अघोषित आय पर कर अपवंचन के लिए उसके बैंक खातों का उपयोग किया था। अतः, ऐसी स्थिति में भी, निर्धारिती के बैंक खाते में पाई गई राशि का वास्तविक लाभार्थियों के विवरण के अभाव में, उक्त राशि को निर्धारण में धारा 69ए के अंतर्गत अस्पष्टीकृत आय के रूप में (वास्तविक आधार पर या सुरक्षात्मक आधार पर, इस पर निर्भर करते हुए कि निर्धारिती समायोजन प्रविष्टि (एकोमोडेसन एंट्री) प्रदाता था या स्वयं लाभार्थी) जोड़ा जाना चाहिए था, न कि ₹ 208.31 करोड़ की व्यावसायिक प्राप्तियों से अर्जित व्यवसायिक आय के रूप में।

(घ) लेखापरीक्षा में विभाग के अभिलेखों से यह भी पाया गया कि इस निर्धारिती ने न तो निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए और न ही किसी पिछले निर्धारण वर्षों के लिए आयकर विवरणी (आईटीआर) दाखिल की थी। अतः, निर्धारिती की ओर से ऐसे अघोषित लेन-देन के स्पष्टीकरण हेतु किसी भी प्रस्तुति के अभाव में, निर्धारण अधिकारी के पास अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर यह मानने के लिए कोई ठोस तथ्य उपलब्ध नहीं थे कि बैंक खाते में की गई क्रेडिट/डेबिट प्रविष्टियाँ निर्धारिती के सामान्य व्यापारिक लेन-देन थीं।

(ङ) जनवरी 2023 में दिए गए निर्धारण अधिकारी के उत्तर के अनुसार, निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में बैंक खाता खोला था, जो संबंधित निर्धारण वर्ष से ठीक एक वर्ष पहले का वर्ष है। बैंक अभिलेखों एवं वैट अभिलेखों में व्यवसाय का उल्लेख मात्र से यह सिद्ध नहीं होता कि एक अनुपालन न करने वाला एवं विवरणी न दाखिल करने वाला निर्धारिती की संबंधित निर्धारण वर्ष में व्यवसायिक गतिविधियाँ थीं। इसी कारण से, निर्धारिती के बैंक खातों में ₹ 208.31 करोड़ के अघोषित एवं अस्पष्टीकृत लेन-देन, जिसमें ₹ 164.78 करोड़ की नकद जमा (जिसमें विमुद्रीकरण अवधि के दौरान जमा नकद भी सम्मिलित है) शामिल है, को व्यवसायिक लेन-देन से प्राप्त मान लेना उचित नहीं था। यह

विशेष रूप से ऐसे निर्धारिती के लिए लागू होता है जिसने किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए कभी आयकर विवरणी दाखिल नहीं की। इसके अतिरिक्त, निष्पक्ष न्याय का प्रश्न भी पहले ही हल हो चुका है क्योंकि निर्धारण अधिकारी ने स्वयं यह कहा है कि निर्धारण कार्यवाही के दौरान निर्धारिती को उत्तर देने/अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।

(च) अधिनियम की धारा 69ए में कहा गया है कि, "यदि किसी वित्तीय वर्ष में निर्धारिती किसी धनराशि, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु का स्वामी पाया जाता है और ऐसी धनराशि, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु उसके द्वारा किसी आय स्रोत के लिए रखी गई लेखा-बही में अभिलिखित नहीं है, तथा निर्धारिती उस धनराशि, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु के अधिग्रहण की प्रकृति एवं स्रोत के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में संतोषजनक नहीं है, तो ऐसी धनराशि, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु को उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की आय माना जा सकता है।" अतः, धारा 69ए उन अस्पष्टीकृत धनराशियों से संबंधित है, जो इस मामले में निर्धारिती के बैंक विवरणों में पाई गई थीं। विवरणी न दाखिल करने वाला होने के कारण, निर्धारिती ऐसी धनराशि का खुलासा करने में विफल रहा तथा निर्धारण के दौरान उसका स्पष्टीकरण देने में भी असफल रहा। इसके अतिरिक्त, धारा 69ए अस्पष्टीकृत एवं अघोषित नकद जमा और अस्पष्टीकृत एवं अघोषित नकद-रहित जमा के बीच कोई अंतर नहीं करती है।

अतः, सभी तथ्यों के आधार पर, बैंक विवरणों में अंकित ₹ 208.31 करोड़ की समस्त अघोषित एवं अस्पष्टीकृत क्रेडिट, धारा 69ए के दायरे में आती हैं और निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे अस्पष्टीकृत क्रेडिट के केवल 10 *प्रतिशत* (₹ 20.83 करोड़) को आय के रूप में लेने का निर्णय मनमाना, अपारदर्शी और अनुचित था। विभाग के उत्तर का खंडन अगस्त 2022 में जारी किया गया था। मंत्रालय से प्रत्युतर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.4.3.6	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: आयकर आयुक्त-10, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: ए11**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: व्यक्तिगत**

अधिनियम की धारा 147 सहपठित धारा 144 के अंतर्गत मार्च 2022 में निर्धारिती का निर्धारण शून्य आय पर अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने यह कहा कि चूँकि मामला समय-सीमा समाप्त होने के कगार पर था तथा निष्पक्ष न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए, बिना किसी प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाए इस मामले का निपटान किया जा रहा है। निर्धारण अधिकारी ने आगे यह भी कहा कि विधि के अनुसार उपयुक्त समझे जाने पर आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निर्धारिती ने विवरणी दाखिल नही की थी तथा मामला वार्षिक सूचना विवरण (एआईआर) के आधार पर खोला गया था, जिसमें निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 88.47 करोड़ की नकदराशि जमा की थी। निर्धारिती ने निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिसों का पालन नहीं किया और न ही अपना आयकर विवरण प्रस्तुत किया। इस प्रकार, निर्धारिती द्वारा की गई ₹ 88.47 करोड़ की नकद जमा अस्पष्टीकृत रही और इस पर अधिनियम की धारा 69ए सहपठित धारा 115बीबीई के प्रावधान लागू होते हैं। किन्तु, निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अस्पष्टीकृत नकद जमा का परीक्षण/निर्धारण नहीं किया गया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 88.47 करोड़ की आय का अल्प-निर्धारण हुआ, जिससे ब्याज सहित ₹ 147.63 करोड़ के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, अतिरिक्त आयकर आयुक्त, रेंज-46, नई दिल्ली ने में बताया (मई 2024) कि धारा 263 के अंतर्गत मार्च 2024 में प्रधान आयकर आयुक्त10, दिल्ली द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा निर्धारण आदेश को निरस्त करते हुए निर्धारण अधिकारी को सत्यापन/जांच करने तथा अधिनियम की धारा 69ए के अनुसार जोड़ने और धारा 115बीबीई के प्रावधानों के अनुसार आय पर कर लगाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा,

सेक्शन 263 के तहत दिए गए आदेश को लागू करने वाला आदेश मार्च 2025 में पास किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा अभियुक्ति का ध्यान रखा गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.4.3.7	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त (सेंट्रल)-3, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स एफ1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: कंपनी**

जनवरी 2020 में अधिनियम की धारा 143(3) सहपठित धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 1,697.89 करोड़ की आय में फर्जी खरीद के लिए ₹ 203.86 करोड़ जोड़े और सामान्य दर पर कर देयता की गणना की। लेखापरीक्षा में यह उल्लेख किया गया कि जनवरी 2017 में निर्धारिती, एन4 समूह की कंपनी मेसर्स एफ1 लिमिटेड के मामले में तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही की गई थी। लेखापरीक्षा ने निर्धारण आदेश से यह भी पाया कि निर्धारण अधिकारी ने ₹ 203.86 करोड़ की राशि जोड़ते समय यह स्थापित किया कि निर्धारिती ने संबंधित पक्षों से कुछ भी नहीं खरीदा था। अतः, निर्धारिती की लेखा-बही में दर्शाई गई यह फर्जी खरीद, जो कि अस्पष्टीकृत थी, उसमें अधिनियम की धारा 69ए सहपठित धारा 115बीबीई के प्रावधान लागू होते है, किन्तु निर्धारण अधिकारी ने इन्हें लागू नहीं किया|

हालाँकि, एक अन्य मामले में, एन4 समूह की ही एक कंपनी, मेसर्स सी2 प्रा. लि., के संदर्भ में उसी निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए अधिनियम की धारा 153सी सहपठित धारा 144 के अंतर्गत आय का निर्धारण करते हुए ₹ 20.40 करोड़ की उसी प्रकार की फर्जी खरीद को अधिनियम की धारा 69सी के प्रावधानों को लागू करते हुए जोड़ा तथा धारा 115बीबीई के अनुसार 60 *प्रतिशत* की दर से कर उद्ग्रहित किया।

अधिनियम की धारा 69सी सहपठित धारा 115बीबीई के प्रावधानों को लागू करते हुए फर्जी खरीद के निर्धारण में चूक के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 116.49 करोड़ के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (सितंबर 2022), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (जून 2023) तथा यह बताया कि उपयुक्त समय पर आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.4.3.8	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-2, कोलकाता**
	निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स एम5 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2018-19**
	स्थिति	**: कंपनी**

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 144 सहपठित धारा 143(3ए एवं 3बी) के अंतर्गत अप्रैल 2021 में ₹ 1.59 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए ₹ 56.56 करोड़ की खरीद का मात्र ₹ 2.83 करोड़, अर्थात पाँच *प्रतिशत*, को ही अस्पष्टीकृत मानकर जोड़ा। चूँकि निर्धारिती ने किसी भी नोटिस का उत्तर नहीं दिया तथा उक्त लेन-देन के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया, अतः संपूर्ण खरीद राशि को अधिनियम की धारा 69सी के अंतर्गत जोड़ा जाना चाहिए था तथा धारा 115बीबीई के प्रावधानों के अनुसार उस पर कर लगाया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 53.73 करोड़ की आय का अल्प-निर्धारण हुआ, जिसमें धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 61.85 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने मार्च 2024 में अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत आदेश पारित कर निर्धारण को निरस्त कर दिया तथा निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिया कि वह निर्धारिती को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर पूछताछ करने के बाद पुनः निर्धारण करे। धारा 144 के साथ पठित धारा 263 के तहत प्रभाव आदेश मार्च 2025 में पारित किया गया था, जिसमें विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तिको आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और ₹ 60.08 करोड़ के कुल कारोबार का आठ प्रतिशत, यानी ₹ 4.81 करोड़, निर्धारिती की शुद्ध कर योग्य आय के रूप में जोड़ा।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया और कहा कि निर्धारिती थोक व्यापार व्यवसाय में लगा हुआ था और उसने क्रमशः निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए ₹ 26.65 करोड़, ₹ 30.75 करोड़ और ₹ 56.56 करोड़ की खरीद की थी। निर्धारण कार्यवाही के दौरान, निर्धारण अधिकारी ने 360° दृश्य देखा था और पांच प्रतिशत की दर से सकल लाभ का अनुमान लगाया था। बाद में, पीसीआईटी-2, कोलकाता ने निर्धारण की समीक्षा की और निर्धारण अधिकारी को पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। धारा 144 के साथ पठित धारा 263 के तहत निर्धारण कार्यवाही के दौरान, निर्धारिती ने कोई अनुपालन नहीं किया, और धारा 145(3) लागू करने के बाद, निर्धारण अधिकारी ने बही-खातों को खारिज कर दिया और व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार कुल कारोबार के आठ प्रतिशत की दर से सकल लाभ निर्धारित किया। तदनुसार, ₹ 4.81 करोड़ निर्धारित किए गए थे।

मंत्रालय का जवाब उचित नहीं है, क्योंकि धारा 263 के तहत आदेश मार्च 2024 में लेखापरीक्षा (जून 2022) के कहने पर पारित किया गया था, जिसमें मूल रूप से अप्रैल 2021 में पारित निर्धारण आदेश में एओ द्वारा पांच *प्रतिशत* के स्थान पर कारोबार के आठ *प्रतिशत* पर परिवर्धन माना गया था।

इसे देखते हुए, मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

3.4.3.9 आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), हैदराबाद

निर्धारिती का नाम : ए1

निर्धारण वर्ष : 2017-18

स्थिति : व्यक्तिगत

निर्धारिती के मामले में फरवरी 2021 में तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही की गई तथा अधिनियम की धारा 153ए के अंतर्गत मार्च 2022 में निर्धारण पूर्ण किया गया, जिसमें उप-अनुबंध आय के रूप में ₹ 38.48 करोड़ और नकद व्यय के रूप में ₹ 1.50 लाख की वृद्धि करने के बाद ₹ 45.38 करोड़ की आय निर्धारित की गई, जो दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत पहले से ही निर्धारित ₹ 6.89 करोड़ की आय में जोड़ी गई थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारित ₹ 6.89 करोड़ की आय में ₹ 3.28 करोड़ सम्मिलित था, जिसमें धारा 69सी के अंतर्गत निर्धारित ₹ 2.34 करोड़ की अस्पष्टीकृत व्यय राशि तथा धारा 68 के अंतर्गत निर्धारित ₹ 0.93 करोड़ की अस्पष्टीकृत नकद जमा राशि सम्मिलित थी। हालांकि, इस पर धारा 115बीबीई के अंतर्गत निर्धारित दरों के स्थान पर सामान्य दरों से कर लगाया गया। ब्याज सहित ₹ 2.48 करोड़ के कर संबंधी त्रुटि की सूचना विभाग को दी गई थी, जिसे विभाग ने स्वीकार कर लिया और नवंबर 2022 में धारा 154 के अंतर्गत आदेश पारित करके इसमे सुधार किया गया।

इसके अतिरिक्त, मार्च 2022 में धारा 153ए के अंतर्गत पारित निर्धारण आदेश के विस्तृत परीक्षण पर लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निर्धारिती के स्वामित्व वाली एकल स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स ए17 के परिसर में तलाशी ली गई थी तथा निर्धारिती मेसर्स एम10 प्रा. लि. तथा और अन्य कंपनियों से आय प्राप्त करने वाला एक संविदाकार था। यह भी पाया गया कि निर्धारिती को निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित पूर्ववर्ती वर्ष के लिए ₹ 38.48 करोड़ की अनुबंध प्राप्तियाँ हुई थीं तथा उप-अनुबंध कार्यों को विभिन्न उप-संविदाकारों को दिए जाने का दावा किया गया था। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने पाया कि कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया था तथा उप-संविदाकार फर्जी थे और राशि को नकद में निकालकर मुख्य संविदाकार को दे दिया गया था। परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी ने संबंधित कंपनियों के उप-अनुबंध व्यय को फर्जी व्यय मानते हुए मूल आधार पर अस्वीकार कर दिया तथा उक्त व्यय को निर्धारिती के सुरक्षात्मक आधार पर करयोग्य माना। तदनुसार, ₹ 38.48 करोड़ का उप-संविदाकार व्यय निर्धारिती की आय में संरक्षात्मक आधार पर जोड़ा गया।

चूँकि अनुबंध प्राप्तियाँ फर्जी अनुबंधों से संबंधित थीं तथा इनमें किसी भी कार्य का निष्पादन नहीं हुआ था, अतः उक्त राशि को धारा 69ए के अंतर्गत अस्पष्टीकृत धन के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए था तथा धारा 115बीबीई के अंतर्गत कर लगाया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इन विसंगतियों के परिणामस्वरूप धारा 234ए एवं 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित

₹ 28.22 करोड़ की कुल अल्प मांग हुई। यह विषय अगस्त 2024 में विभाग को सूचित किया गया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए, मंत्रालय ने (मई 2026) कहा कि 26एएस और मूल्यांकन आदेश में उपलब्ध विवरणों के अवलोकन पर, यह देखा गया है कि निर्धारिती को मुख्य रूप से दो पार्टियों से अनुबंध रसीदें प्राप्त हुई हैं, अर्थात ₹ 20.83 करोड़ की मेसेर्स एम10 प्राइवेट लिमिटेड और ₹ 17.61 करोड़ की मेसेर्स एच1 प्राइवेट लिमिटेड। धारा 153ए के तहत मूल्यांकन आदेश के पैरा 18 से 25 पर, इस पर विस्तार से चर्चा की गई थी कि प्रमुख ठेकेदार, मेसर्स एम11, मेसर्स एम10 प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एच1 प्राइवेट लिमिटेड मेसर्स ए17 के नाम पर उप-अनुबंध व्यय का दावा किया है, लेकिन न तो मेसर्स एम11 के परिसर में और न ही मेसर्स ए17 के परिसर में समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला। इसके अलावा, निर्धारिती के मामले में तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान, मेसर्स ए17 के कुछ उप-ठेकेदारों को गैर-मौजूद पाया गया।

उपरोक्त से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निर्धारिती धन का मालिक नहीं है, अर्थात. उप-अनुबंध रसीदें, लेकिन उसने केवल उप-ठेकेदारों के नाम पर आवास प्रविष्टियाँ प्रदान की हैं।

'फर्जी' शब्द लेनदेन की वास्तविकता से संबंधित है, जबकि धारा 68 से 69डी के तहत 'अस्पष्टीकृत' धन के स्रोत से संबंधित है; दोनों अलग-अलग कानूनी क्षेत्रों में काम करते हैं और एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। इस मामले में यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि निर्धारिती ने उपठेकेदारों के नाम पर प्रमुख ठेकेदारों को पैसे पारित किए हैं। "बोगस" का अर्थ है लेनदेन की वास्तविकता की कमी, लेकिन इस तत्काल मामले में इसे अस्पष्ट नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त को देखते हुए, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 38.48 करोड़ के उप-अनुबंध व्यय को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया है क्योंकि काम नहीं किया गया है और सामान्य प्रावधानों के तहत निर्धारिती की कुल आय में वापस जोड़ दिया गया है।

अधिनियम की धारा 69ए के प्रावधान केवल तभी लागू होते हैं जब (i) जहां वित्तीय वर्ष में निर्धारिती को किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु का मालिक पाया जाता है और (ii) यदि ऐसे धन, बुलियन, आभूषण या मूल्यवान वस्तु को उसके द्वारा बनाए गए लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता है, तो आय के किसी भी स्रोत के लिए और (iii) जहां निर्धारिती धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु के अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, निर्धारण अधिकारी की राय में, संतोषजनक नहीं है, तो ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की आय माना जा सकता है।

वर्तमान मामले में, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि विवादित राशि को अनुबंध प्राप्तियों के रूप में खाते की नियमित पुस्तकों में विधिवत दर्ज किया गया है। एक बार जब राशि पुस्तकों में दर्ज हो जाती है, तो धारा 69ए को लागू करने का आधार समाप्त हो जाता है।

मंत्रालय का उत्तर निम्नलिखित कारणों से उचित नहीं है:

निर्धारिती एक समायोजन प्रविष्टि (एकोमोडेसन एंट्री) प्रदाता है और किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं है। इसलिए, निर्धारिती के हाथों में फर्जी रसीद/व्यय का उपचार वास्तविक निर्धारिती के मामले के समान नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा, यदि तलाशी नहीं हुई होती, तो प्रमुख ठेकेदारों के हाथों में फर्जी खर्च की ठोस अस्वीकृति नहीं की गई होती। इस प्रकार, उपरोक्त व्यय की अस्वीकृति पर धारा 115बीबीई के प्रावधानों के अनुसार कर लगाया जाना चाहिए था।

उपरोक्त को देखते हुए, मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

3.4.3.10 आयकर आयुक्त प्रभार : आयकर आयुक्त-10, दिल्ली

निर्धारिती का नाम : वी2

निर्धारण वर्ष : 2017-18

स्थिति : व्यक्तिगत

दिसंबर 2019 में धारा 144 के अंतर्गत ₹ 7.15 करोड़ की आय पर निर्धारण अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने नकद जमा के मद में अधिनियम

की धारा 69ए के अंतर्गत ₹ 4.88 करोड़ और ₹ 22.67 करोड़ की क्रेडिट प्रविष्टियों के 10 *प्रतिशत* के रूप में ₹ 2.27 करोड़ जोड़े। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निर्धारिती ने विवरण दाखिल नही किया था तथा मामला 'ऑपरेशन क्लीन मनी' के अंतर्गत एकत्रित जानकारी के आधार पर दर्ज किया गया था। निर्धारिती ने निर्धारण कार्यवाही के दौरान जारी विभिन्न सांविधिक नोटिसों का अनुपालन नहीं किया तथा उसने बैंक जमा क्रेडिट के संबंध में कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी आधार और ठोस तथ्य के, निर्धारिती के बैंक खाते में पाए गए ₹ 22.67 करोड़ के अस्पष्टीकृत अन्य बैंक क्रेडिट (नकद के अतिरिक्त) को उसके व्यवसायिक टर्नओवर के रूप में मान लिया और ₹ 2.27 करोड़, यानी ऐसे नकद क्रेडिट का 10 *प्रतिशत*, व्यवसाय के लाभ के रूप में जोड़ दिया।

निर्धारण अधिकारी (एओ) की यह कार्रवाई मनमानी/एकपक्षीय प्रतीत होती है क्योंकि निर्धारिती करविवरण प्रस्तुतकर्ता नहीं था और ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे जिनसे यह सिद्ध हो सके कि क्रेडिट प्रविष्टियाँ निर्धारिती के व्यवसाय से संबंधित थीं। अतः, निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत अस्पष्टीकृत बैंक क्रेडिट की पूरी राशि ₹ 22.67 करोड़ को निर्धारिती की आय में अस्पष्टीकृत धन के रूप में जोड़ना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 20.40 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 27.10 करोड़ की कम वसूली शामिल है।

विभाग ने मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों का हवाला देते हुए लेखापरीक्षा की टिप्पणियों (जुलाई 2021, सितंबर 2021 और दिसंबर 2022) को स्वीकार नहीं किया:

(क) ये प्रविष्टियाँ निर्धारिती द्वारा सामान्य व्यवसाय में किए गए व्यावसायिक लेन-देन की प्रकृति की हैं। ये ऐसे लेन-देन हैं जिनमें एक खाते में जमा राशि को डेबिट प्रविष्टि के माध्यम से दूसरे खाते में स्थानांतरित किया गया है। निर्धारिती का बैंक खाता केवल व्यावसायिक लेन-देन के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन एक बैंक खाते के माध्यम से पूंजी का ऐसा स्थानांतरण उस धन के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है।

(ख) ऐसे गैर-नकद लेन-देन का उपचार नकद जमा प्रविष्टियों से भिन्न होता है और केवल बैंक खाते में जमा की गई नकदी ही धन की प्रकृति की होती है और धारा 69ए के प्रावधान इस पर लागू होते हैं।

(ग) यह माना जाता है कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि से निर्धारिती को कुछ आय प्राप्त होती है और निर्धारिती की ओर से कोई जानकारी प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में, ऐसी व्यावसायिक गतिविधि से होने वाली आय को कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उचित शुद्ध लाभ का उपयोग करके प्रभारित किया जाता है।

(घ) चूंकि निर्धारिती ने निर्धारण कार्यवाही में कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए निर्धारण अधिकारी केवल लाभ/कमीशन के रूप में आय का सर्वोत्तम अनुमान ही लगा सके। बैंक स्टेटमेंट में निर्धारिती की सभी गैर-नकद जमा प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए टर्नओवर की गणना की गई। आय का यह अनुमान अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि धारा 69ए के दायरे में धन, सोने आदि के रूप में अघोषित संपत्ति आती है, लेकिन लाभ या कमीशन के रूप में आय का कोई उल्लेख नहीं है।

(ङ) बैंक खातों के केवाईसी दस्तावेज़ और अप्रत्यक्ष कर पंजीकरण प्रमाण पत्र दस्तावेज़ निर्धारिती को व्यावसायिक इकाई के रूप में दर्शाते हैं। करदाता के बैंक विवरण में दर्शाए गए अधिकांश लेनदेन व्यावसायिक इकाई के खाते में ही दर्ज किए गए थे। अतः, यह संभावना बनी रहती है कि निर्धारिती ने उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में व्यवसाय किया है।

(च) अतः ₹ 22.67 करोड़ के पूरे क्रेडिट को निर्धारिती की आय मानना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि अभिलेखों में मौजूद दस्तावेज़ दर्शाते हैं कि निर्धारिती वास्तव में संदर्भित वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवसाय कर रहा था।

(छ) इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा का उद्देश्य तकनीकी और अंकगणितीय सटीकता दोनों ही दृष्टियों से निर्धारण की सटीकता की जाँच करना है। यह बार-बार दोहराया गया है कि निर्धारण अधिकारी, निर्धारण अधिकारी के विवेकाधीन निर्धारण अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

विभाग के उत्तर निम्नलिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं:

(क) विभाग द्वारा दिए गए औचित्य और तर्क पूर्णतः निर्धारण आदेश का हिस्सा नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 69ए के प्रावधान लागू होने के लिए मोटे तौर पर तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए, अर्थात् निर्धारिती के पास ऐसी धनराशि पाई गई हो जो उसके बहीखातों में दर्ज नहीं थी, और निर्धारिती अपने इस दावे को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा हो कि बैंक में जमा राशि उसके व्यावसायिक लेन-देन से संबंधित प्राप्तियों से थी। इस मामले में, निर्धारिती संबंधित निर्धारण वर्ष में आयकर विवरण दाखिल नहीं करने वाला था और उसके बैंक खातों में ₹ 27.55 करोड़ की धनराशि पाई गई जो उसके बहीखातों में दर्ज नहीं थी। पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, करदाता लाभ-हानि खाता, बैलेंस शीट, विक्रय-खरीद रजिस्टर, ऐसे क्रेडिट/डेबिट का विवरण/प्रकृति और अन्य संबंधित बहीखाते जैसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा जिससे यह साबित हो सके कि बैंक विवरणों में क्रेडिट और डेबिट उसके व्यावसायिक लेन-देन से संबंधित थे। अतः धारा 69ए के प्रावधानों को लागू करना आवश्यक था।

(ख) करदाता के व्यवसाय संचालन के अस्तित्व या बैंक विवरणों में डेबिट को व्यावसायिक व्यय के रूप में दर्शाने वाली किसी भी जानकारी के अभाव में, या निर्धारिती से किसी अन्य विपरीत साक्ष्य/उत्तर/प्रस्तुति के अभाव में, निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं ही ₹ 22.67 करोड़ के सकल टर्नओवर के साथ निर्धारिती की व्यावसायिक गतिविधियों के अस्तित्व को मान लेना उचित नहीं था।

(ग) निर्धारण अधिकारी का यह तर्क देना सही नहीं है कि अस्पष्टीकृत नकद जमा प्रविष्टियों का उपचार अस्पष्टीकृत गैर-नकद लेनदेन से अलग होना चाहिए और केवल अस्पष्टीकृत नकद जमा प्रविष्टियों पर ही धारा 69ए लागू होती है। अधिनियम की धारा 69ए ऐसा कोई अंतर नहीं करती है।

(घ) निर्धारिती एक व्यक्तिगत निर्धारिती है। उसके बैंक खातों में अस्पष्टीकृत जमा राशि पाई गई और अस्पष्टीकृत निकासी से पता चलता है कि इन बैंकों से धन का हस्तांतरण/निकासी निर्धारिती के हस्ताक्षर/प्राधिकरण के बिना संभव नहीं थी। इसलिए, निर्धारण अधिकारी का यह तर्क देना भी उचित नहीं है कि निर्धारिती अपने बैंक विवरणों में दर्ज लेन-देन का स्वामी नहीं था।

(ङ) अगस्त 2023 में आईटीबीए प्रणाली से लिए गए 360 डिग्री पृष्ठ स्क्रीनशॉट के अनुसार, जो निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध था, यह भी पता चला कि निर्धारिती ने पिछले निर्धारण वर्ष यानि 2016-17 और उसके बाद के निर्धारण वर्षों 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में भी आयकर दाखिल नहीं किया था। निर्धारिती द्वारा दाखिल किया गया अंतिम आयकर निर्धारण वर्ष 2015-16 का था, जिसे अनुमानित व्यावसायिक आय कर के रूप में दाखिल किया गया था। इस आयकर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए करदाता द्वारा घोषित कुल व्यावसायिक प्राप्ति मात्र ₹ 14.19 लाख थी। इस आयकर न दाखिल करने वाले निर्धारिती के ₹ 22.67 करोड़ के अस्पष्टीकृत बैंक क्रेडिट को निर्धारण वर्ष 2017-18 की व्यावसायिक प्राप्ति मानना, जिसके व्यवसाय संचालन का पता और स्थान भी अज्ञात है, निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध ज्ञात व्यावसायिक तथ्यों के अनुरूप नहीं है।

(च) निर्धारिती ने इस लेखापरीक्षा के अंतर्गत आने वाले निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर विवरण (आईटीआर) दाखिल नहीं किया। निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारिती द्वारा दाखिल किए गए अंतिम उपलब्ध आयकर विवरण के अनुसार, निर्धारिती ने अपने व्यवसाय संचालन के संबंध में केवल एक बैंक खाता, एचडीएफसी बैंक में चालू खाता (सभी बैंक खातों का विवरण देना अनिवार्य), दिखाया था। लेकिन निर्धारण अधिकारी द्वारा नोट की गई ₹ 4.88 करोड़ की अस्पष्टीकृत नकद जमा राशि और ₹ 22.67 करोड़ की अन्य जमा राशि करदाता के अज्ञात बैंक खातों, अर्थात् पीएनबी और आईसीआईसी बैंक में थी। इसलिए, ₹ 22.67 करोड़ की अस्पष्टीकृत जमा राशि को व्यावसायिक प्राप्ति मानना ज्ञात तथ्यों पर आधारित नहीं है।

(छ) वास्तविक कारोबारी परिवेश में, इन डेबिट और क्रेडिट को खरीद और व्यय के भुगतान या बिक्री की रसीद नहीं माना जा सकता, विशेष रूप से तब जब निर्धारिती ने आयकर विवरण दाखिल नहीं किया है और निर्धारण कार्यवाही के दौरान उसने खरीद और बिक्री का कोई विवरण, वाउचर/चालान आदि प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए, निर्धारिती के बैंक खाते में पाए गए ₹ 22.67 करोड़ के अस्पष्टीकृत क्रेडिट को बिना किसी सहायक साक्ष्य के व्यावसायिक रसीद मानना सही नहीं है। इसके अतिरिक्त, निर्धारण आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि क्या

निर्धारण अधिकारी ने व्यावसायिक संस्थाओं से आने वाले इन डेबिट/क्रेडिट का सत्यापन किया है या क्या निर्धारण अधिकारी ने इन कथित व्यावसायिक संस्थाओं की साख और प्रामाणिकता की जांच करने के लिए धारा 133 (6) के अंतर्गत विवरण प्राप्त किए हैं।

(ज) बैंक के साथ केवाईसी सत्यापित खाते और बैंक खातों तथा अप्रत्यक्ष कर पंजीकरण दस्तावेजों में व्यवसाय को व्यवसाय के रूप में उल्लेखित करना अपने आप में यह नहीं दर्शाता है कि निर्धारिती का निर्धारण वर्ष 2017-18 में व्यावसायिक संचालन था और वित्तीय वर्ष 2016-17 में उसे ₹ 22.67 करोड़ की व्यावसायिक प्राप्तियाँ हुई थीं।

(झ) लेखापरीक्षा का उद्देश्य निर्धारण अधिकारी के विवेकाधीन अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं है। लेखापरीक्षा ने केवल निर्धारण आदेश में तथ्यात्मक त्रुटियों को उजागर किया है, क्योंकि अभिलेख में मौजूद किसी भी सहायक साक्ष्य के बिना निर्धारिती के ₹ 22.67 करोड़ के व्यावसायिक टर्नओवर का अनुमान लगाना तर्कसंगत निर्णय नहीं था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी के विवेकाधीन अधिकार तथ्यों और आयकर अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित होने चाहिए। इस निर्धारण आदेश के मामले में ऐसा नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्पष्टीकृत गैर-नकद बैंक जमाओं के 10 *प्रतिशत* को आय के रूप में मानने का निर्णय एकपक्षीय/मनमाना और पारदर्शिता का अभाव दर्शाता है। विभाग के उत्तर का खंडन सितंबर 2023 में भेजा गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.4.3.11 आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त-1, पटना

निर्धारिती का नाम : ए4

निर्धारण वर्ष : 2018-19

स्थिति : व्यक्तिगत

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मई 2021 में अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत ₹ 1.11 करोड़ की आय पर निर्धारण करते समय, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के बैंक खाते में जमा कुल ₹ 13.90 करोड़ का आठ *प्रतिशत* सामान्य

प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारिती की आय में जोड़ दिया। हालांकि, निर्धारिती ने भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का कमीशन एजेंट होने के अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। साथ ही, निर्धारिती द्वारा दावा किया गया टीडीएस भारतीय स्टेट बैंक द्वारा काटा नहीं गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय धारा 115बीबीई के अंतर्गत विशेष कर दर के बजाय सामान्य कर दर लागू की। चूंकि उपरोक्त जमा राशि का स्रोत स्पष्ट नहीं था, इसलिए अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत पूरी जमा राशि को निर्धारिती की आय में जोड़ा जाना चाहिए था, न कि केवल ₹ 12.82 करोड़, और तदनुसार कर की गणना की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 12.82 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 14.30 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है।

जुलाई 2022 में लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने कहा कि अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत मई 2023 में सुधार आदेश पारित किया गया था। हालांकि, सुधार आदेश में, अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवर्धन की गई राशियों पर ही विशेष दर से कर लगाया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.4.4 धारा 69सी के अंतर्गत आने वाले अस्पष्टीकृत लेनदेन जिन पर अधिनियम की धारा 115बीबीई के अनुसार कर का निर्धारण और वसूली नहीं हुई थी

3.4.4.1

आयकर आयुक्त प्रभार	**: आयकर आयुक्त (सेंट्रल)-1, दिल्ली**
निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स एल1 लिमिटेड**
निर्धारण वर्ष	**: 2018-19**
स्थिति	**: कंपनी**

अप्रैल 2021 में अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत ₹ 1,370.07 करोड़ की आय पर आकलन को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी (एओ) ने अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत ₹ 157.13 करोड़ (₹ 153.38 करोड़ +

₹ 3.75 करोड़) की अतिरिक्त राशि जोड़ी, जिस पर अधिनियम की धारा 115बीबीई के अंतर्गत विशेष दरों से कर लगाया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, धारा 68 के अंतर्गत ₹ 157.13 करोड़ के बजाय ₹ 153.38 करोड़ की गलत अतिरिक्त राशि अपनाई और 60 *प्रतिशत* की विशेष दर लागू की।

लेखापरीक्षा में निर्धारण आदेश से यह भी पाया गया कि बिक्री से प्राप्त आय, खरीद, व्यवसाय संवर्धन व्यय, निर्धारिती की सहायक कंपनी को दिए गए अग्रिम और स्क्रैप की नकद बिक्री आदि से संबंधित ₹ 1,173.52 करोड़ के व्यय वास्तविक नहीं थे, फर्जी थे, लेन-देन की वास्तविकता साबित नहीं हुई थी, और ये अघोषित/अस्पष्टीकृत थे।

उपर्युक्त व्यय फर्जी/अवास्तविक, अस्पष्टीकृत/अघोषित होने के कारण, निर्धारण अधिकारी को इसे धारा 69सी /68 के अंतर्गत जोड़कर धारा 115बीबीई के प्रावधानों के अंतर्गत कर लगाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। इन चूकों के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत क्रमशः ₹ 155.62 करोड़ और ₹ 185.74 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 843.38 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने (फरवरी 2022 में) बताया कि धारा 69सी/68 के अंतर्गत ₹ 1,173.52 करोड़ के व्यय को जोड़ने से संबंधित लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों की जानकारी प्रारंभ में नहीं दी गई थी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा कि इन अस्वीकृतियों को सामान्य परिवर्धन के रूप में सही ढंग से किया गया था क्योंकि ये धारा 69सी/68 के प्रावधानों के अंतर्गत उच्च दर से कर और अधिभार लगाने के लिए नहीं आते थे।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वयं निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश में उल्लेख किया है कि ये लेनदेन फर्जी, वास्तविक नहीं, अस्पष्टीकृत/ अघोषित आदि थे, इसलिए निर्धारण अधिकारी को धारा 115बीबीई के प्रावधानों को धारा 69सी/68 के साथ लागू करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने एन.के. प्रोटीन्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त के मामले में यह माना था कि फर्जी लेनदेन से उत्पन्न संपूर्ण अघोषित आय को अधिनियम की धारा 69सी के अंतर्गत कुल आय में जोड़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त,

प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय) दिल्ली-1 ने उसी निर्धारिती के निर्धारण वर्ष 2019-20 के निर्धारण आदेश को रद्द करते हुए उपरोक्त निर्णय का हवाला दिया और उसे अधिनियम की धारा 69ए और धारा 115बीबीई के प्रावधानों को लागू करते हुए नया निर्धारण करने के लिए कहा।

विभाग ने आगे उत्तर दिया (अप्रैल 2024) कि धारा 263 के अंतर्गत आदेश मार्च 2024 में पारित किया गया था, जिसमें अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत अप्रैल 2021 में पारित निर्धारण आदेश को रद्द कर दिया गया था और निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिया कि वह अविवरणीकृत नकद ऋण के कारण अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत ₹ 887.20 करोड़ की राशि पर कर लगाए और निर्धारिती को उचित अवसर देने के बाद अधिनियम 1961 की धारा 115बीबीई के प्रावधान को लागू करे। आगे कि प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2026)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.4.4.2	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-2, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स ए8 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2018-19**
	स्थिति	**: कंपनी**

निर्धारण अधिकारी ने, अप्रैल 2021 में धारा 144 के अंतर्गत ₹ 731.48 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, ₹ 818.12 करोड़ की राशि को फर्जी खरीद मानते हुए वापस जोड़ दिया और उस पर सामान्य कर दर से कर लगाया। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी ने, ₹ 2.85 करोड़ की राशि को आय के अघोषित स्रोतों के रूप में मानते हुए जोड़ दिया, क्योंकि निर्धारिती एफडीआर में निवेश किए गए धन के स्रोत को स्थापित करने के लिए कोई सहायक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा, लेकिन कर गणना पत्रक में कर लगाना भूल गया। चूंकि निर्धारण अधिकारी ने स्वयं उन्हें फर्जी खरीद माना और निर्धारिती धन के स्रोत को स्थापित करने के लिए कोई सहायक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा, इसलिए अधिनियम की धारा 69सी/69 के अंतर्गत इसे वापस जोड़ना आवश्यक था और तदनुसार, धारा 115बीबीई के अंतर्गत 60 *प्रतिशत* की उच्च कर दर और 25 *प्रतिशत* की दर से अधिभार लगाया गया।

इसके अतिरिक्त, चूंकि निर्धारिती ने आयकर विवरण दाखिल करने की नियत तिथि के बाद अपना आयकर विवरण दाखिल किया था, इसलिए निर्धारिती धारा 234ए के अंतर्गत 2 महीने के लिए ₹ 12.68 करोड़ का ब्याज देने के लिए उत्तरदायी था, लेकिन विभाग द्वारा इसे वसूल नहीं किया गया था।

इन कमियों के परिणामस्वरूप उपकर और ब्याज सहित ₹ 536.07 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने (अप्रैल 2026) कहा कि जनवरी 2023 में धारा 144 के साथ पठित धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

3.4.4.3	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-1, ठाणे**
	निर्धारिती का नाम	**: ए3 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: कंपनी**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने अप्रैल 2021 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 647.33 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, सामान्य दर पर कर योग्य फर्जी खरीद के लिए ₹ 641.39 करोड़ और अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत विशेष दर पर कर योग्य असत्यापित लेनदारों के लिए ₹ 5.81 करोड़ जोड़े।

लेखापरीक्षा में आगे यह भी पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने स्वयं यह निष्कर्ष निकाला कि निर्धारिती ने कोई पुष्टिकरण पत्र/बही खाते नहीं दिए थे, माल विक्रेता ने खरीद की पुष्टि नहीं की थी और निर्धारिती ने लेनदेन के सत्यापन के लिए आवश्यक बैंक विवरण जमा नहीं किए थे, और खरीद को फर्जी माना था, इसलिए इसे धारा 69सी के अंतर्गत अविवरणीकृत व्यय के रूप में अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए था। तदनुसार, अधिनियम की धारा 115बीबीई के प्रावधानों को लागू करते हुए ₹ 641.39 करोड़ की राशि पर सामान्य कर के बजाय विशेष दर से कर लगाया जाना चाहिए था। ऐसा न करने के कारण ₹ 428.52 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि विभाग ने, निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, ₹ 641.51 करोड़ की आय पर 25 *प्रतिशत* की दर से कर लगाया, जबकि वित्त अधिनियम 2017 के अनुसार 25 *प्रतिशत* की रियायती कर दर केवल उन मामलों में लागू होती है जहां कंपनी का टर्नओवर या सकल प्राप्ति ₹ 50.00 करोड़ से अधिक नहीं होती है। इस मामले में निर्धारिती की कुल बिक्री ₹ 691.49 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा (मई 2026) कि मार्च 2025 में अधिनियम की धारा 263 और 144बी के साथ पठित धारा 144 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

3.4.4.4	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-1, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स एल1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: कंपनी**

निर्धारण अधिकारी ने अप्रैल 2021 में अधिनियम की धारा 144/153ए के अंतर्गत ₹ 662.30 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए ₹ 552.28 करोड़ की बढ़ोतरी की, जिसमें अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत ₹ 173.98 करोड़ की बढ़ोतरी शामिल है, जिस पर अधिनियम की धारा 115बीबीई के अंतर्गत विशेष दरों पर प्रभार लगाया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने, निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, ₹ 173.98 करोड़ की अतिरिक्त राशि पर 60 *प्रतिशत* की विशेष दर के बजाय सामान्य कर दर यानी 30 *प्रतिशत* की दर लगाई।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि फरवरी 2018 में निर्धारिती के मामले में जांच और जब्ती अभियान चलाया गया था और उसके बाद निर्धारिती के व्यावसायिक परिसर में सर्वेक्षण भी किया गया था। निर्धारिती ने विभाग द्वारा जारी नोटिस का अनुपालन नहीं किया। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश में यह उल्लेख किया कि निर्धारिती द्वारा एक शेल कंपनी से ₹ 213.93 करोड़ की खरीद वास्तविक नहीं थी और इसलिए इसे फर्जी खरीद माना गया क्योंकि निर्धारिती ने खरीद की प्रामाणिकता का समर्थन करने के लिए एक भी दस्तावेज प्रदान नहीं किया था। इसलिए, निर्धारण अधिकारी को उपर्युक्त अतिरिक्त राशि

में धारा 69सी के प्रावधानों को लागू करना चाहिए था और अधिनियम की धारा 115बीबीई के प्रावधानों के अनुसार कर लगाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

इसी प्रकार, ₹ 42.99 करोड़ की खरीद, जिसे फर्जी माना गया था, को धारा 69सी के अंतर्गत वापस जोड़ा जाना आवश्यक था और अधिनियम की धारा 115बीबीई के अंतर्गत सामान्य कर दर के बजाय विशेष दर पर कर लगाया जाना आवश्यक था।

इसके अतिरिक्त, व्यापार संवर्धन के लिए किए गए ₹ 1.77 करोड़ के व्यय, जो अविवरणीकृत/असत्यापित थे, को धारा 69सी के अंतर्गत निर्धारिती की आय में वापस जोड़ा जाना आवश्यक था और अधिनियम की धारा 115बीबीई के अनुसार सामान्य कर दर के बजाय विशेष दर पर कर लगाया जाना चाहिए था। साथ ही, धारा 234बी और 234सी के अंतर्गत ब्याज लगाने में भी त्रुटि थी।

इन कमियों के परिणामस्वरूप ₹ 166.60 करोड़ के कर की कम वसूली हुई, जिसमें अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज की कम वसूली और धारा 234सी के अंतर्गत ब्याज की अधिक वसूली शामिल है।

अक्टूबर 2021 में लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने धारा 234सी के अंतर्गत ब्याज की अधिक वसूली के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया, जबकि अधिनियम की धारा 69सी के अंतर्गत ₹ 213.93 करोड़ और ₹ 42.99 करोड़ की फर्जी खरीद को शामिल न करने के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि ये खरीद फर्जी प्रकृति की थीं और इनका उपयोग कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाने के लिए किया गया था, इसलिए इन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए, जिसे निर्धारण अधिकारी ने किया था।

विभाग का उत्तर निम्नलिखित आधारों पर स्वीकार्य नहीं था:

(क) अधिनियम की धारा 69सी के अंतर्गत अतिरिक्त राशि लगाने के लिए, मोटे तौर पर दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, अर्थात्, निर्धारिती ने कोई व्यय किया है और वह ऐसे व्यय या उसके किसी भाग के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, या उसके द्वारा दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण, निर्धारण अधिकारी की राय में, संतोषजनक नहीं है, तो ऐसे व्यय या उसके किसी भाग से संबंधित

राशि को, जैसा भी मामला हो, उस वर्ष के लिए निर्धारिती की आय माना जाए। इस मामले में, निर्धारिती ने इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और स्वयं निर्धारण अधिकारी ने इन खर्चों को फर्जी लेनदेन माना। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, निर्धारिती खरीद/खर्चों की प्रामाणिकता साबित करने में विफल रहा। अतः, इस पर धारा 69सी के प्रावधान लागू होते हैं।

(ख) जैसा कि स्वयं निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश में निष्कर्ष निकाला कि निर्धारिती द्वारा शेल कंपनियों से की गई ₹ 213.93 करोड़ और ₹ 42.99 करोड़ की खरीदारी फर्जी प्रकृति की थी और ये लेनदेन केवल इन फर्जी खरीदारी का दावा करके व्यवसाय की लाभप्रदता को कम करने के लिए किए गए थे।

(ग) इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी ने स्वयं धारा 68 (69सी होना चाहिए) के अंतर्गत अविवरणीकृत खरीद के लिए ₹ 173.98 करोड़ की राशि जोड़ी, जिसमें इन शेल कंपनियों से की गई फर्जी खरीद के लिए बताए गए समान कारणों का हवाला दिया गया। इस निर्धारिती के अतिरिक्त, मेसर्स एफ11 इन शेल कंपनियों द्वारा प्रदान की गई प्रविष्टियों का एक अन्य लाभार्थी था और मेसर्स एफ11 के नि.व. 2017-18 के लिए निर्धारण आदेश में, निर्धारण अधिकारी ने क्रमशः इन दो शेल कंपनियों से फर्जी खरीद के लिए धारा 69सी के अंतर्गत ₹ 132.96 करोड़ और ₹ 419.51 करोड़ जोड़े और धारा 115बीबीई के अंतर्गत निर्धारित दरों पर कर भी लगाया। इसलिए, इसी तर्ज पर, ₹ 213.93 करोड़ और ₹ 42.99 करोड़ की ये बढ़ोतरी धारा 69सी के अंतर्गत की जानी चाहिए थी और अधिनियम की धारा 115बीबीई के अनुसार कर लगाया जाना चाहिए था।

(घ) एन.के. प्रोटीन्स लिमिटेड बनाम सीआईटी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि फर्जी लेनदेन से उत्पन्न संपूर्ण अघोषित आय को अधिनियम की धारा 69सी के अंतर्गत कुल आय में जोड़ा जाना चाहिए। प्रधान आयकर आयुक्त (सेंट्रल) दिल्ली1 ने इसी निर्धारिती के मामले में निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारण वर्ष के निर्धारण आदेश को रद्द करते हुए इस मामले का हवाला दिया था, और उसे अधिनियम की धारा 69ए के प्रावधानों

को धारा 115बी.बी.ई. के साथ मिलाकर नया निर्धारण करने के लिए कहा था। इस मुद्दे की जानकारी अगस्त 2023 में विभाग को दी गई थी।

उपरोक्त की प्रतिक्रिया में, विभाग ने अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत आदेश पारित कर निर्धारण आदेश को रद्द कर दिया और निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा 69सी के साथ धारा 115बीबीई के अंतर्गत ₹ 213.93 करोड़ और ₹ 42.99 करोड़ की राशि पर कर लगाने का निर्देश दिया, जिसमें निर्धारितियों को उचित अवसर दिया गया। इस आदेश पर संबंधित क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रभावी आदेश की प्राप्ति विभाग से प्रतीक्षित है

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.4.4.5 आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त-2, कानपुर

निर्धारिती का नाम : बी2

निर्धारण वर्ष : 2017-18

स्थिति : व्यक्तिगत

सितंबर 2021 में अधिनियम की धारा 144 के साथ धारा 153ए के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, ₹ 17.02 करोड़ की आय पर, नकद जमा/क्रेडिट प्रविष्टियों के मद में अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत ₹ 28.46 लाख की राशि जोड़ी गई। हालांकि, कुल नकद जमा/क्रेडिट प्रविष्टियाँ ₹ 15.88 करोड़ की थीं। चूंकि निर्धारिती द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, इसलिए पूरी राशि को अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत जोड़ा जाना चाहिए था और धारा 115बीबीई के अंतर्गत कर लगाया जाना चाहिए था, जो विभाग द्वारा नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.60 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 39.61 करोड़ के कर की कम वसूली शामिल है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने में कहा (मई 2026) कि जुलाई 2025 में धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

हालांकि, जुलाई 2025 में धारा 154 के तहत पारित सुधार आदेश की जांच करने पर, यह देखा गया कि हालांकि विभाग ने कुल आय में शेष क्रेडिट

प्रविष्टियों को वापस जोड़ दिया, लेकिन विभाग ने धारा 115बीबीई के अनुसार निर्धारित कर और अधिभार की विशेष दर को लागू करने से चूक गया, जिसे सुधार करने की आवश्यकता थी।

ऊपर को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय अपने जवाब पर फिर से विचार कर सकता है।

3.4.4.6 आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त, पटियाला

निर्धारिती का नाम : एस7

निर्धारण वर्ष : 2017-18

स्थिति : फ़र्म

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने आयकर रिटर्न फाईल नहीं किया था और उसके बैंक खाते में ₹ 3.62 करोड़ की जमा प्रविष्टियाँ थीं। मार्च 2022 में धारा 147 के साथ धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 44.30 लाख पर ₹ 3.62 करोड़ की इन क्रेडिट प्रविष्टियों पर कुल बिक्री/टर्नओवर मानकर आठ *प्रतिशत* की वृद्धि की। हालांकि, निर्धारिती ने न तो विभाग द्वारा जारी नोटिस का उत्तर दिया और न ही अधिनियम की धारा 44एबी के प्रावधानों के अनुसार कोई जानकारी/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत की। निर्धारिती की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण, धारा 69ए के अंतर्गत संपूर्ण क्रेडिट प्रविष्टियों को अस्पष्टीकृत आय माना जाना आवश्यक था, जो कि नहीं किया गया। इस चूक के परिणामस्वरूप आय का ₹ 3.33 करोड़ का कम निर्धारण हुआ, जिससे ₹ 5.85 करोड़ का कर प्रभाव पड़ा।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने (अप्रैल 2026) कहा कि मार्च 2024 में धारा 263 के साथ पठित धारा 147/144 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

3.5 नि.व. 2013-14 से पहले की अवधि से संबंधित मामले, यानी धारा 115बीबीई की शुरुआत से पहले, जिसमें धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के तहत अस्पष्टीकृत लेनदेन से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्ति सम्मिलित थे

वित्त अधिनियम, 2012 के तहत 01/04/2013 (नि.व. 2013-14 से लागू) से प्रभावी 115बीबीई की शुरुआत से पहले, धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के तहत उल्लिखित अस्पष्टीकृत आय के लिए कोई विशेष कर दर निर्धारित नहीं थी और उन पर सामान्य कर दरों पर कर लगाया जाता था, जैसा कि संबंधित वित्त अधिनियम में निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के तहत उपरोक्त अस्पष्टीकृत आय के खिलाफ नुकसान की सेट ऑफ सहित कटौती का दावा करने/अनुमति देने में कोई प्रतिबंध नहीं था।

धारा 115बीबीई 01/04/2013 से लागू की गई (नि.व. 2013-14 से लागू)। लेखापरीक्षा धारा 115बीबीई के कार्यान्वयन से पहले और बाद में अस्पष्टीकृत लेनदेन के कराधान में तुलना करने के लिए, इस प्रतिवेदन में नि.व. 2013-14 से पहले की अवधि से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है, जिन पर इस पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

इस प्रतिवेदन में दर्ज किए गए 1,902 मामलों में से, छह राज्यों[6] में 51 मामले, जिनमें ₹ 1,946.19 करोड़ के कर प्रभाव शामिल हैं, नि.व. 2013-14 से पहले की अवधि से संबंधित हैं, जो कर की दर/अधिभार के गलत अनुप्रयोग, कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में निर्धारित आय को गलत तरीके से अपनाने और धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के तहत मानी गई आय के आकलन से बचने से संबंधित है।

51 मामलों में से, विभाग ने 22 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की/शुरू की, पांच मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार नहीं की, और शेष 24 मामलों में, विभाग से जवाब का इंतजार है। इन 51 मामलों में से, विभिन्न प्रभारों के छह मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

---

[6] दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू और तेलंगाना

3.5.1	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: आयकर आयुक्त-4, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स के8 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2012-13**
	स्थिति	**: कंपनी**

निर्धारिती कंपनी ने 30 सितंबर 2012 को ₹ 15.54 लाख की आय पर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए अपना रिटर्न दाखिल किया था। प्रारंभिक रूप से मार्च 2015 में धारा 143(3) के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 16.89 लाख की आय निर्धारित की गई थी। इसके बाद, निर्धारिती के बैंक खाते में ₹ 947.29 करोड़ के डेबिट और ₹ 947.18 करोड़ के क्रेडिट के विषय में विभाग की जांच इकाई से प्राप्त सूचना के आधार पर, निर्धारण अधिकारी ने 18 मार्च 2019 को निर्धारिती को धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी किया, जिसमें निर्धारिती को निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए 30 दिनों के भीतर आय का रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता थी। निर्धारण कार्यवाही के दौरान निर्धारिती की ओर से कोई अनुपालन और प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ। निर्धारण अधिकारी ने नवम्बर 2019 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत संवीक्षा के उपरांत निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारिती का निर्धारण पूरा कर लिया था, जिसमें ₹ 4.89 करोड़ की आय और उस पर ₹ 1.59 करोड़ की कर देयता निर्धारित की गई थी।

(i) लेखापरीक्षा ने शुरू में, जनवरी 2021 में, अप्रैल 2019 से 08 महीने की देरी के लिए धारा 234ए(3) के तहत ब्याज की कम कर की ओर इंगित किया था, यानी मूल्यांकन आदेश की तारीख तक नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद, धारा 234बी(3) के तहत ब्याज की कम कर यानी 92 महीनों के बजाय 57 महीनों के लिए लगाया गया ब्याज और अधिनियम की धारा 234सी के तहत ब्याज की गैर लेवी। लेखा परीक्षक ने 31 मार्च 2022 को धारा 154 के तहत आदेश के माध्यम से इन विसंगतियों को सुधारा। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने इस सुधार आदेश और नवंबर 2019 में धारा 144/147 के तहत पारित मूल्यांकन आदेश के साथ-साथ मूल्यांकन कार्यालय से बुलाए गए अन्य स्पष्टीकरण/रिकॉर्ड की समीक्षा की, और लेखापरीक्षा ने आगे टिप्पणियां कीं, जिन पर आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

(ii) निर्धारण अधिकारी ने धारा 144/147 के तहत अपने आदेश में परिवर्धन को मार्च 2015 में धारा 143(3) के तहत निर्धारित ₹ 16.89 लाख की आय में जोड़ने के बजाय ₹ 15.54 लाख की दाखिल आय में जोड़ दिया। यह 31 मार्च 2022 के संशोधन आदेश में असंशोधित/बिना सुधार के रहा, जो धारा 154 के तहत पारित किया गया था। इस प्रकार, ₹ 1.35 लाख का कम मूल्यांकन किया गया था। इसके अलावा, आयकर विभाग के व्यक्तिगत लेनदेन विवरण के अनुसार, निर्धारिती ने बैंक से ₹ 25.98 लाख की ब्याज आय अर्जित की, जिसके एवज में बैंक द्वारा 10 *प्रतिशत* की दर से टीडीएस ₹ 2.60 लाख की कटौती भी की गई। हालांकि, निर्धारिती ने आईटीआर में केवल ₹ 12.99 लाख का खुलासा किया और ₹ 1.29 लाख का टीडीएस दावा किया। इस प्रकार, निर्धारिती ने ₹ 12.99 लाख की आय का खुलासा किया। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2015 में धारा 143(3) के तहत पारित मूल्यांकन आदेश में इस अघोषित आय को कर के दायरे में नहीं लाया, और दिसंबर 2019 में धारा 144/147 और मार्च 2022 में धारा 154 के तहत पारित बाद के आदेशों में ऐसा करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, ₹ 12.99 लाख की आय का कम मूल्यांकन किया गया।

(iii) धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित 5 नवंबर 2019 के मूल्यांकन आदेश में कहा गया है कि जांच इकाई से प्राप्त जानकारी के अलावा, निर्धारिती के आईसीआईसीआई बैंक खाते में डेबिट और क्रेडिट के बारे में, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 133(6) के तहत शक्ति का उपयोग करके आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से वित्त वर्ष 2011-12 और वित्त वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारिती के बैंक विवरण भी प्राप्त किए हैं। इस प्रकार प्राप्त जानकारी से, निर्धारण अधिकारी ने पाया कि निर्धारिती 25 सितंबर 2010 को खोले गए आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक बैंक खाता संचालित कर रहा था, और लेनदेन पैटर्न मुख्य रूप से नकद जमा के माध्यम से खाते में जमा और मुख्य रूप से विदेशी प्रेषण के लिए डेबिट दिखाता है। निर्धारण अधिकारी ने आगे कहा कि 24/11/2011 से 26/11/2011 तक अकेले तीन दिनों की अवधि में:

(क) निर्धारिती के इस आईसीआईसीआई बैंक खाते में ₹ 947.18 करोड़ का क्रेडिट और ₹ 947.29 करोड़ का डेबिट था।

(ख) ₹ 947.18 करोड़ के इन क्रेडिट में ₹ 930.08 करोड़ शामिल हैं, जिसमें ₹ 691.72 करोड़ नकद जमा के माध्यम से जमा किए गए हैं, और शेष क्रेडिट में से, ₹ 238.36 करोड़ मुख्य रूप से डैज़ल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड से हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त हुए थे

(ग) ₹ 947.29 करोड़ की देनदारी थी, जिसमें ₹ 930.59 करोड़ की देनदारी विदेशी प्रेषण से थी, जिसमें ₹ 789.30 करोड़ की देनदारी मुख्य रूप से यूएई में ओरेकल जनरल ट्रेडिंग को यूएसडी में प्रेषित किया गया था, और ₹ 141.29 करोड़ की देनदारी डी12 प्राइवेट लिमिटेड से हस्तांतरण के माध्यम से थी।

(iv) निर्धारिती द्वारा मार्च 2019 और अक्टूबर 2019 के दौरान जानकारी/स्पष्टीकरण/सुनवाई प्रस्तुत करने के लिए जारी किए गए नोटिस 148 और 142(1) का अनुपालन/जवाब देने में विफलता के बाद, जिसमें स्पीड पोस्ट/ईमेल के माध्यम से कारण बताओ नोटिस शामिल है, निर्धारण अधिकारी ने अपने सर्वोत्तम निर्णय में निर्धारिती के आईसीआईसीआई बैंक खाते में ₹ 947.29 करोड़ (यह ₹ 947.18 करोड़ होना चाहिए और इसमें ऊपर बताए गए ₹ 691.72 करोड़ के कैश डिपॉज़िट शामिल थे) के इन अस्पष्टीकृत क्रेडिट को निर्धारिती का अनुबंध प्राप्तियों से टर्नओवर माना और इस अनुबंध प्राप्ति के औसत कमीशन दर के रूप में 0.5 *प्रतिशत* का कर प्रयोजन के लिए निर्धारिती आय के रूप में छूट गया आय के रूप में आकलन किया गया है (अर्थात, ₹ 4.74 करोड़ जो ₹ 947.29 करोड़ का 0.5 *प्रतिशत* है, हालांकि मूल्यांकन आदेश के पृष्ठ 2 पर 10 *प्रतिशत* के रूप में उल्लेख किया गया है)। निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 144/147 के तहत केवल 0.5 *प्रतिशत* अस्पष्टीकृत क्रेडिट का आकलन करने के लिए किया गया सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं था और राजस्व के हित में भी नहीं था क्योंकि मूल्यांकन आदेश में की गई धारणा मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड में लाए गए भौतिक तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं थी और मूल्यांकन आदेश में अन्य विसंगतियां थीं जैसा कि नीचे टिप्पणी की गई है

(क) निर्धारिती कंपनी ने अपने आईटीआर में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) को अपने बैंकर के रूप में खुलासा किया। सितंबर 2010 में खोले गए आईसीआईसीआई बैंक में रखे गए बैंक खातों का विवरण निर्धारिती कंपनी द्वारा छुपाया गया था, जिसमें निर्धारण अधिकारी को तीन दिनों के भीतर ₹ 947.18 करोड़ जमा मिले, जिसमें ₹ 691.72 करोड़ की नकद जमा भी शामिल थी। इस अघोषित बैंक खाते में तीन दिनों के भीतर ₹ 947.29 करोड़ की अस्पष्टीकृत देनदारियां थीं, जिसमें ₹ 930.59 करोड़ का विदेशी प्रेषण भी शामिल था। ओबीसी के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार, आईसीआईसीआई बैंक खाते में इन क्रेडिट/डेबिट का ओबीसी के साथ निर्धारिती के घोषित बैंक खाते से कोई संबंध नहीं था। इसलिए, निर्धारिती के अघोषित बैंक खातों में नोट किए गए ऐसे विशाल अस्पष्टीकृत क्रेडिट/डेबिट को निर्धारिती के घोषित व्यावसायिक लेनदेन से नहीं जोड़ा जा सकता है। वास्तव में, भारी नकद जमा और विदेशी प्रेषण से जुड़े ऐसे संदिग्ध लेनदेन को प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसे जांच प्राधिकरणों को भेजा जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया था, जैसा कि इस तथ्य से प्रतीत होता है कि निर्धारण अधिकारी ने ऐसी धारणा का समर्थन करने के लिए भौतिक तथ्यों के बिना व्यावसायिक लेनदेन को स्वीकार किया। इसके अलावा, विभाग की 360 डिग्री स्क्रीन से पता चलता है कि निर्धारिती ने नि.व. 2013-14 के बाद आईटीआर दाखिल नहीं किया था।

(ख) निर्धारण अधिकारी ने इस अघोषित आईसीआईसीआई बैंक खाते में 24/11/2011 से 26/11/2011 तक की तीन दिनों की अवधि से संबंधित डेबिट और क्रेडिट पर विचार किया और वित्त वर्ष 2011-12 की अन्य तारीखों के डेबिट और क्रेडिट पर चर्चा नहीं की। निर्धारण अधिकारी ने अनुस्मारक के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्त निर्धारिती के बैंक विवरण को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के एचसीएफडी के साथ अघोषित बैंक विवरण भी प्राप्त किया जो वित्त वर्ष 2011-12 में केवल ₹ 10.00 लाख के एक जमा लेनदेन के साथ 02/03/2012 को खोला गया था। हालाँकि, आगामी वित्त वर्ष 2012-13 (वित्तीय वर्ष 2013-2014) में इस एचडीएफसी खाते में ₹ 442.81 करोड़

का कुल डेबिट और ₹ 442.72 करोड़ का क्रेडिट था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने आगामी नि.व. 2013-14 के लिए दाखिल किए गए अपने आईटीआर में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक खातों के अस्तित्व का खुलासा नहीं किया था। एचडीएफसी में इतनी बड़ी मात्रा में संदिग्ध लेनदेन पाए जाने के बावजूद, लेकिन निर्धारिती द्वारा दाखिल आईटीआर में घोषित किए गए लेनदेन के साथ तालमेल नहीं होने के कारण, विभागीय आईटी सिस्टम के 360 डिग्री व्यू स्क्रीन से पता चला कि अनुगामी नि.व. 2013-14 का मूल्यांकन नहीं खोला गया था।

(ग) तीन दिनों की अवधि के भीतर बैंक में अस्पष्टीकृत धन का इतना बड़ा प्रवाह, जिसमें ₹ 691.72 करोड़ की नकद जमा भी शामिल है, को ऐसे ही नहीं माना जा सकता है कि यह उस हीरे के कारोबार से प्राप्त हुआ है जो निर्धारिती द्वारा वित्त वर्ष के दौरान शुरू किया गया था। {फॉर्म 3सीडी के भाग बी के पैरा 8(बी) जिसमें कर लेखा परीक्षक ने व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन के लिए कहा था कि निर्धारिती ने कच्चे हीरे और पत्थरों में करना व्यवसाय शुरू कर दिया था। इसके अलावा, प्राप्तकर्ता कंपनी होने के नाते, अनुबंध प्राप्तियों पर दो *प्रतिशत* की दर से टीडीएस, लागू होने वाले नि.व. 2012-13 के अनुसार अधिनियम की धारा 194सी(1) के तहत भुगतानकर्ताओं द्वारा काटा जाना था। लेकिन फॉर्म 26एएस के अनुसार, ऐसी भारी प्राप्तियों पर टीडीएस काटे जाने का कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा, इस तरह की प्राप्तियों को तार्किक रूप से तीन दिनों की खुदरा बिक्री या खुदरा नकद बिक्री के रूप में प्राप्त हुआ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, निर्धारण अधिकारी के लिए ₹ 947.18 करोड़ के अस्पष्टीकृत क्रेडिट , जिसमें ₹ 691.72 करोड़ की नकद जमा भी शामिल थी, जो कर उद्देश्यों के लिए अनुबंध प्राप्तियों के रूप में निर्धारिती की व्यावसायिक प्राप्तियां थीं।

(घ) इस प्रकार, विभाग की जांच इकाई द्वारा सूचित किए गए ये संदिग्ध क्रेडिट अस्पष्ट रहे क्योंकि निर्धारिती आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए जारी विभिन्न वैधानिक नोटिसों का अनुपालन नहीं कर रहा था, और निर्धारिती ने किसी भी तरह से मूल्यांकन कार्यवाही में

भाग नहीं लिया था। सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन में निष्कर्ष के लिए अपेक्षित था। दो पृष्ठों के मूल्यांकन आदेश में, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के बैंक खाते में तीन दिनों के भीतर पाए गए ₹ 947.18 करोड़ के अस्पष्टीकृत क्रेडिट को मानने के कारण नहीं लिखे, जिसमें ₹ 691.72 करोड़ की नकदी जमा भी शामिल थी, अनुबंध प्राप्तियों से व्यवसाय कारोबार और साथ ही, मूल्यांकन आदेश में कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि ये प्राप्तियां कमीशन व्यवसाय से संबंधित थीं और औसत कमीशन दर 0.5 *प्रतिशत* थी।

(ङ) 05 दिसंबर 2018 के नि.व. 2011-12 के पिछले मूल्यांकन आदेश में, यह भी उल्लेख किया गया था कि 24/11/2010 और 26/11/2011 के बीच बैंक खातों में क्रमशः ₹ 947.18 करोड़ (₹ 691.72 करोड़ की नकद जमा राशि सहित) और ₹ 947.18 करोड़ का कुल क्रेडिट और डेबिट पाया गया था। यह अवधि दो वित्त वर्ष और परिणामस्वरूप दो निर्धारण वर्ष के बीच आती है, अर्थात 2011-12 और 2012-13. लेकिन इन क्रेडिटों का मूल्यांकन नि.व. 2011-12 में किया गया था, जिसमें निर्धारण अधिकारी ने ₹ 15.09 लाख की रिटर्न/घोषित आय में ₹ 4.74 करोड़ (₹ 947.18 करोड़ का 0.5 *प्रतिशत*) की वृद्धि की थी। हालांकि, जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, नि.व. 2012-13 दिनांक 05 नवंबर 2019 के मूल्यांकन आदेश में समान क्रेडिट और डेबिट राशि पर चर्चा की गई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उक्त क्रेडिट और डेबिट 24/11/2011 से 26/11/2011 के बीच हुए थे और ₹ 15.54 लाख की रिटर्न की गई आय में ₹ 4.74 करोड़ (₹ 947.18 करोड़ का 0.5 *प्रतिशत*) की वृद्धि की गई थी। हालाँकि, समान विवरण के साथ समान राशि का दो अलग-अलग नि.व. में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस कार्यालय ने विभिन्न पत्रों के माध्यम से नि.व. 2011-12 और नि.व. 2012-13 के संबंध में निर्धारिती के क्रेडिट के संबंध में ब्रेकडाउन/स्पष्टीकरण मांगा था; हालाँकि, अभी तक यह प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए, यह विसंगति अनसुलझी रही।

(v) उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए और इस तथ्य के लिए कि निर्धारण अधिकारी ने स्वयं अघोषित लेनदेन से ऐसे क्रेडिट को अस्पष्टीकृत के रूप में निष्कर्ष

निकाला, वही धारा 69ए के मानदंडों को पूरा करता है, अर्थात लेखा बही के बाहर पाए गए क्रेडिट और अस्पष्ट रहते हैं। इसलिए, ₹ 947.18 करोड़ की अस्पष्टीकृत बैंक क्रेडिट की पूरी राशि, जिसमें ₹ 691.72 करोड़ की नकद जमा भी शामिल थी, का मूल्यांकन ऊपर बताए गए कारणों के लिए धारा 69ए के तहत निर्धारिती की अनुमानित आय के रूप में किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, केवल 0.5 *प्रतिशत* अस्पष्टीकृत क्रेडिट का आकलन करने का मतलब न केवल शेष 99.5 *प्रतिशत* अस्पष्टीकृत क्रेडिट प्राप्तियों को वैध बनाना है, जो ₹ 942.44 करोड़ (₹ 947.18 करोड़ - ₹ 4.74 करोड़) है, सफेद धन में, बल्कि कुछ मायनों में, यह निर्धारिती को मूल्यांकन कार्यवाही में गैर-अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के बराबर है।

(vi) मूल्यांकन आदेश में उपरोक्त विसंगतियों के परिणामस्वरूप कम से कम ₹ 942.59 करोड़ की आय का कम मूल्यांकन और ₹ 612.31 करोड़ के कर का कम उदग्रहन हुआ, जिसमें धारा 234ए(3), 234बी(3) और 234सी के तहत ब्याज का कम उदग्रहन भी शामिल है। उपरोक्त विसंगतियों पर विचार करते हुए, जिसमें दो नि.व. और एक महत्वपूर्ण कर प्रभाव में समान विवरण के साथ समान राशि का आकलन शामिल है, इसके लिए उचित मूल्यांकन प्रभार स्तर पर समीक्षा की आवश्यकता है। इसके अलावा, आगे के वित्त वर्ष 2012-13 (नि.व. 2013-14) में एचडीएफसी खाते में ₹ 442.72 करोड़ की क्रेडिट राशि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, को मूल्यांकन के लिए लाने के लिए, जांच की जानी है।

(vii) नि.व. 2012-13 और 2011-12 के लिए पारित मूल्यांकन आदेश में विसंगतियों को इंगित करते हुए एक स्पष्टीकरण पत्र भी इस कार्यालय के डीओ पत्र दिनांक 9 जून 2023 के माध्यम से सीआईटी-4 मूल्यांकन प्रभार को जारी किया गया था।

(viii) निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 10/10/2023 को अतिरिक्त सीआईटी, रेंज-13 को संबोधित जवाब में, जिसे 21/10/2024 को इस कार्यालय को भेजा गया था, निर्धारण अधिकारी ने निम्नलिखित कारणों का हवाला देते हुए लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया है:

(क) अधिनियम की धारा 69ए के तहत, मूल्यांकन अधिकारी पर यह साबित करने का दायित्व है कि बैंक में अस्पष्टीकृत क्रेडिट के रूप में सभी धन निर्धारिती कंपनी का है। यह स्पष्ट है कि निर्धारिती के बैंक खाते में धनराशि निर्धारिती के पास नहीं रही, और निर्धारिती ने फर्जी प्रविष्टियाँ प्रदान करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य किया था। किसी भी समायोजन लेनदेन में, संचालक या कंड्यूट इकाई धन का मालिक नहीं है। वे केवल व्यवस्थित लेनदेन की मात्रा पर कमीशन का एक निश्चित *प्रतिशत* अर्जित करते हैं। डीडीआईटी (आईएनवी), यूनिट-6(4), मुंबई द्वारा दिनांक 20/02/2018 को भेजे गए पत्र के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को सूचित किया गया था कि ये संस्थाएं (के10 प्रा. लि. और के8 प्रा. लि.) कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं कर रही थी, बल्कि चेक प्रविष्टियाँ प्रदान करने में शामिल थी। इन संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों ने शपथ पर दिए बयान में स्वीकार किया कि वे व्यवस्थित लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं का प्रबंधन कर रहे थे।

(ख) मामलों को फिर से खोलने के लिए दर्ज किए गए कारणों में बैंक लेन-देन के माध्यम से दी गई कागजी प्रविष्टियों के बदले में अर्जित आय "कमीशन" के रूप में आय का छूट जाना शामिल है। के10 प्रा. लि. के मामले में, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने 0.5 *प्रतिशत* की दर से संकलित या कमीशन को भी हटा दिया था, यह मानते हुए कि बिक्री/खरीद वास्तविक थी। इसके विरुद्ध, राजस्व ने माननीय आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की। माननीय आईटीएटी ने आदेश दिनांक 07/09/2022 में आईटीए सं. 8341/डीईएल/2019 ने आंशिक रूप से राजस्व की अपील को स्वीकार कर लिया। अपने आदेश में, माननीय आईटीएटी ने एलडी सीआईटी(ए)। के निर्णय की पुष्टि करने के लिए कोई निष्कर्ष नहीं दिया। जाहिर तौर पर, माननीय आईटीएटी को बैंक क्रेडिट/दावा किए गए कारोबार के 0.5 *प्रतिशत* की दर से केवल कमीशन जोड़ने के लिए निर्धारण अधिकारी के अवलोकन में कोई गलती नहीं मिली। इसलिए, राजस्व लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया आक्षेप माननीय आईटीएटी के निर्णय की भावना में नहीं है।

(ग) राजस्व लेखापरीक्षा ने पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान निर्धारिती कंपनी की ओर से अनुपालन न करने/अनुपस्थिति की ओर इंगित किया था। यह बताया गया था कि किसी स्पष्टीकरण के अभाव में, पूरी राशि का निर्धारण निर्धारिती के आय में किया जाना था। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो, निर्धारिती ने लेनदेन प्रविष्टियों को अपने बिक्री/खरीद/ऋण लेनदेन के रूप में स्पष्टीकरण दिया होगा या अधिक से अधिक, उसने जांच विंग के समक्ष दर्ज किए गए बयान में कमीशन अर्जित करने के अपने दावे को दोहराया होगा। उस परिदृश्य में भी, उच्च-स्तरीय मूल्यांकन आदेश से बचने के लिए, इसी तरह का एक संकलन जोड़ा गया होगा। इसलिए, राजस्व का यह तर्क टिकने वाला नहीं माना गया।

(घ) बिना किसी पूर्वाग्रह के, यह नोट किया गया कि प्रारंभिक लेखापरीक्षा *अभ्युक्ति* दिनांक 31/01/2020 शीर्षक "आयकर/ब्याज की गणना में टाली जा सकने वाली त्रुटियां" ने नि.व. 2011-12 के लिए ₹ 69.23 लाख के कर और ब्याज की कम उगाही की ओर इंगित किया। इसके बाद, दिनांक 08/05/2021 के पत्राचार के माध्यम से, लेखापरीक्षा ने दिनांक 08/07/2021 के धारा 154/148 के तहत सुधार आदेश में धारा 234सी के ब्याज की गणना त्रुटियों को इंगित किया, जिसे दिनांक 31/01/2020 के लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के कारण पारित किया गया था। इसी तरह, नि.व. 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति ने बताया कि कर और ब्याज पर ₹ 69.21 लाख की राशि से कम शुल्क लगाया गया था। इस त्रुटि को दिनांक 08/04/2022 के तहत धारा 154 के तहत आदेश द्वारा सुधारा गया था।

(ङ) बाद में दिनांक 23 फरवरी 2023 के पत्र के माध्यम से किए गए टिप्पणियों का शीर्षक 'आय के आकलन में विसंगतियां' है, जिसमें धारा 69ए के तहत वर्ष के लिए आय के रूप में निर्धारिती के हाथों में पूरे क्रेडिट का आकलन नहीं करने की कथित चूक की ओर इंगित किया गया है। यह अतिरिक्त लेखापरीक्षा अभ्युक्ति/आपत्ति राजस्व लेखापरीक्षा द्वारा मूल लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जनवरी 2020 में जारी होने के दो साल से अधिक समय बाद दी गई है। दो वर्षों की इस मध्यवर्ती अवधि के दौरान भौतिक तथ्यों में कोई बदलाव नहीं हुआ और कोई नया दस्तावेज़/साक्ष्य नहीं था,

और जनवरी 2020 में लेखापरीक्षा के समय राजस्व लेखापरीक्षा के पास समान जानकारी थी। इसलिए, फरवरी 2023 में लेखापरीक्षा द्वारा किए गए बाद के अवलोकन अतिरिक्त अभ्युक्ति/आपत्तियां थीं, जो ऐसे समय में उठाई गई थीं जब उपचारात्मक कार्रवाई की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

(ix) उपरोक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों के लिए निर्धारण अधिकारी का उपरोक्त उत्तर ऊपर पैराग्राफ (iii) से (viii) में पहले से बताए गए तथ्यों के लिए उचित नहीं था, और इसके अलावा, निम्नलिखित कारणों से:

(क) दिनांक 21/10/2024 के साथ प्राप्त दिनांक 10/10/2023 के उत्तरों में दिए गए स्पष्टीकरण पर निर्धारण अधिकारी के दो पृष्ठों के मूल्यांकन आदेश में चर्चा नहीं की गई थी, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपये के अस्पष्टीकृत बैंक क्रेडिट शामिल थे। ₹ 947.18 करोड़, जिसमें तीन दिनों के भीतर निर्धारिती के बैंक खाते में जमा ₹ 691.72 करोड़ की नकदी भी शामिल है। इसने मूल्यांकन के प्रति एक आकस्मिक दृष्टिकोण दिखाया जिसमें इस तरह के उच्च-मूल्य अस्पष्टीकृत लेनदेन शामिल थे।

(ख) इसके अलावा, यह किसी भी तर्क और तथ्यों के समर्थन से परे था कि समान विवरणों के साथ समान अस्पष्टीकृत क्रेडिट का दो अलग-अलग नि.व. अर्थात 2011-12 & 2012-13 में मूल्यांकन किया गया था। इन विसंगतियों को लेखापरीक्षा द्वारा दिनांक 30/05/2023, 09/06/2023 और 26/07/2023 के पत्र द्वारा इंगित किया गया था। लेकिन इस संबंध में निर्धारण अधिकारी की ओर से कोई जवाब नहीं आया, न ही दो मूल्यांकन वर्षों से जुड़ी ऐसी स्पष्ट विसंगतियों को ठीक करने के लिए कोई सुधार किया गया।

(ग) मूल्यांकन आदेश के अनुसार, यूएई के ओरेकल जनरल ट्रेडिंग को ₹ 789.30 करोड़ के विदेशी प्रेषण को दर्शाने वाले निर्धारिती के बैंक खाते में डेबिट किया गया था। निर्धारण अधिकारी पत्र दिनांक 10/10/2023 के अनुसार अतिरिक्त सीआईटी, रेंज-13, यह यूएई फर्म एक संदिग्ध हवाला ऑपरेटर थी। 10/10/2023 की तारीख वाले इस पत्र में यह भी कहा गया

है कि निर्धारिती कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं कर रहा था, बल्कि फर्जी प्रविष्टियाँ प्रदान करने में शामिल था। इसमें यह भी कहा गया कि हवाला ऑपरेटर धन के मालिक नहीं थे, और इन संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति व्यवस्थित लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं का प्रबंधन कर रहे थे।

(घ) यदि इस स्तर पर निर्धारण अधिकारी ने तीन दिनों के भीतर ₹ 691.72 करोड़ के नकद जमा सहित कई सौ करोड़ रुपये के इन अस्पष्टीकृत बैंक क्रेडिट को फर्जी प्रवेश लेनदेन से संबंधित माना, तो निर्धारण अधिकारी को यह स्थापित करना था कि क्या यह निर्धारिती एक फर्जी प्रवेश प्रदाता था, या निर्धारिती कई सौ करोड़ रुपये के इन लेनदेन का लाभार्थी था। यदि निर्धारण अधिकारी इस निर्धारिती को इन फर्जी लेनदेन के लाभार्थी के रूप में मानता है, तो इस निर्धारिती के मूल्यांकन में धारा 69ए के तहत अस्पष्टीकृत बैंक क्रेडिट जोड़े जाने हैं। यदि निर्धारिती को फर्जी प्रविष्टि प्रदाता माना जाता था और अंतिम लाभार्थियों का निर्धारण नहीं किया गया था, तो इन अस्पष्टीकृत बैंक प्रविष्टियों को पूर्ण रूप से राजस्व के हित की रक्षा के लिए एक सुरक्षात्मक आधार पर धारा 69ए के तहत जोड़ा जाना है, जब तक कि अंतिम लाभार्थियों की पहचान और आकलन नहीं किया जाता है। इस स्थिति को धारा 69ए के प्रावधानों द्वारा समर्थित किया गया था, राजस्व के हित में कई अन्य मूल्यांकनों में इसका अनुपालन किया जा रहा था और विभिन्न मामले कानून (उदाहरण - मेसर्स प्रागया मल्टी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड - नि.व. 2017-18 के मामले में सीआईटी अपील-19, नई दिल्ली का दिनांक 23 नवंबर 2021 का आदेश)। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने अपने दो पृष्ठों के मूल्यांकन आदेश में इन लेन-देन के अंतिम लाभार्थियों का कोई निर्धारण नहीं किया था ताकि उन्हें उनके अघोषित वित्तीय लेन-देन के लिए कर के दायरे में लाया जा सका। इस प्रकार, ₹ 942.59 करोड़, जिसे स्वयं निर्धारण अधिकारी द्वारा हवाला लेनदेन से संबंधित बताया गया था, कर दायरे से बाहर रहा।

(ड़) लेखापरीक्षा निष्कर्षों को कैग की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए संसाधित किया जा रहा था, और इसलिए, सटीकता और पूर्णता के लिए, और निर्धारण में स्पष्ट और महत्वपूर्ण विसंगतियों पर विचार करते हुए, इस निर्धारण कन की नए सिरे से समीक्षा की गई। 23 फरवरी 2023 को सीआईटी निर्धारण प्रभार पर तथ्यों का एक बयान जारी किया गया था, जिसके बाद एक डीओ पत्र और निर्धारण प्रभार में उचित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा, यह निर्धारण प्रभार की जिम्मेदारी है कि वह पर्याप्त तत्परता के साथ, त्रुटियों/विसंगतियों से मुक्त, और राजस्व के हित में आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार (इस मामले में धारा 69ए) मूल्यांकन को पूरा करे। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा, अस्पष्टीकृत लेनदेन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें ₹ 691.72 करोड़ की नकद जमा भी शामिल थी, मूल्यांकन प्रभार से इस मामले को अन्य कानूनों के तहत जांच के लिए जिम्मेदार अन्य एजेंसियों को संदर्भित करने की उम्मीद थी। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि निर्धारण अधिकारी ने ऐसा किया। इसलिए, सीबीडीटी संरचना के भीतर उचित कार्यालय की ओर से राजस्व के महत्वपूर्ण कर निहितार्थों पर विचार करते हुए मामले की समीक्षा करना अनिवार्य है, क्योंकि कम से कम ₹ 612.31 करोड़ का करोड़ का कम उद्ग्रहण हुआ था जैसा कि ऊपर बताया गया।

उपर्युक्त खंडन नवंबर 2024 में प्रधान आयकर आयुक्त-4/आयकर अधिकारी वार्ड-14(3) नई दिल्ली को जारी किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.5.2 आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-I, चेन्नई

निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स के9 प्राइवेट लिमिटेड**
निर्धारण वर्ष	**: 2010-11**
स्थिति	**: कंपनी**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153सी के तहत नि.व. 2010-11 के लिए निर्धारिती का

मूल्यांकन पूरा कर लिया है, जिसमें ₹ 63.90 करोड़ की आय और ₹ 122.46 करोड़ की कर देयता निर्धारित की गई है। निर्धारिती ने ₹ 0.14 लाख की आय स्वीकार करते हुए आईटीआर दाखिल किया था।

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 68 के तहत अघोषित नकद क्रेडिट के रूप में ₹ 63.90 करोड़ की वृद्धि की, जिस पर अधिनियम में निर्धारित 30 *प्रतिशत* की दर से कर लगाया जाएगा। हालांकि, कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में कर देयता की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 115बीबीई के तहत निर्धारित 60 *प्रतिशत* की विशेष दर और 25 *प्रतिशत* अधिभार पर कर लगाया, जो कि इस मामले में लागू नहीं था।

कर की दर और अधिभार के गलत अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप धारा 234बी और 234सी के तहत ब्याज सहित ₹ 68.78 करोड़ का अतिरिक्त कर लगाया गया। जवाब में, विभाग ने जनवरी 2023 में धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके सुधार पूरा किया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.5.3	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-10, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: आर5**
	निर्धारण वर्ष	**: 2012-13**
	स्थिति	**: व्यक्तिगत**

विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर धारा 147 के तहत मामले को फिर से खोला गया कि निर्धारिती ने अपने दो बैंक खातों में कुल ₹ 248.08 करोड़ (नकद और अन्य आवक जमा) का क्रेडिट बनाया था: (i) बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ रखा गया खाता (नकद जमा ₹ 137.42 लाख)। (ii) भारतीय स्टेट बैंक के साथ खाता (नकद और अन्य क्रेडिट ₹ 246.70 करोड़)। निर्धारिती ने ₹ 0.85 लाख का ब्याज भी अर्जित किया था। निर्धारिती ने धारा 148 के तहत दी गई नोटिस के जवाब में अपना आय विवरणी दाखिल नहीं किया, और मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान जारी विभिन्न नोटिसों का भी अनुपालन नहीं किया। आय का निर्धारण ₹ 22.34 करोड़ करके, धारा 147 के साथ धारा 144 के तहत, दिसंबर 2019 में मूल्यांकन संपन्न किया गया था।

निर्धारण अधिकारी ने ₹ 137.42 लाख की अस्पष्टीकृत नकद जमा की पूरी राशि को उसके सामान्य आय के रूप में जोड़कर मूल्यांकन पूरा किया। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के बैंक खाते में पाए गए ₹ 246.71 करोड़ के अस्पष्टीकृत क्रेडिट को निर्धारिती के व्यवसाय के कारोबार के रूप में माना और 8.5 *प्रतिशत* की अनुमानित दर पर सकल लाभ के रूप में ₹ 20.97 करोड़ की आय जोड़ी।

निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायिक कारोबार के रूप में बैंक खाते (नकद जमा के अलावा) में ₹ 246.71 करोड़ के अस्पष्टीकृत क्रेडिट पर विचार करते हुए और ₹ 246.71 करोड़ की संपूर्ण राशि को आय मानने के बजाय, धारा 69ए के तहत, 8.5 *प्रतिशत* को आय के रूप में अपनाने के कारण निम्नलिखित कारणों से सही नहीं पाया गया है:

(क) पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, निर्धारिती अपने दावों को स्थापित करने के लिए कोई भी सबूत रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहा, जैसे लाभ और हानि खाता, बैलेंस शीट, बिक्री और खरीद रजिस्टर, ऐसे क्रेडिट/डेबिट का विवरण/प्रकृति और खातों की अन्य संबंधित पुस्तकें बैंक विवरण में क्रेडिट और डेबिट उसके व्यापार लेनदेन से जुड़े थे। इसलिए, किसी व्यवसाय संचालन के अस्तित्व के बारे में, या बैंक विवरण में व्यवसाय व्यय के रूप में डेबिट पर या किसी अन्य विपरीत साक्ष्य/उत्तर/जमा, किसी भी जानकारी के अभाव में नि आ कि ₹ 246.71 करोड़ के बैंक क्रेडिट को, निर्धारिती के बैंक खाते में व्यवसाय राजस्व के रूप में माने।

(ख) लेखापरीक्षा ने नि.व. 2012-13 के लिए आईटीआर की समीक्षा की और पाया कि निर्धारिती ने व्यापारिक स्वामित्व गतिविधियों के रूप में व्यवसाय चलाने की बात कही है। आईटीआर के अनुसार, निर्धारिती ने केवल ₹ 18.38 करोड़ का बिक्री कारोबार और अन्य आय घोषित की थी। इसलिए, ₹ 246.71 करोड़ के अस्पष्टीकृत बैंक क्रेडिट मानते हुए (घोषित बिक्री कारोबार का 13.5 गुना), क्योंकि निर्धारिती का व्यवसाय कारोबार निर्धारिती द्वारा बताए गए कारोबार के साथ तालमेल नहीं रखता है। इसके अलावा, इस आईटीआर के अनुसार,

व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक सभी प्रमुख मदो मे बैलेंस शीट में शून्य शेष राशि है, जिसमें सुरक्षित और असुरक्षित ऋण (बैंकों से सहित), निश्चित संपत्ति, निवेश और इन्वेंट्री (डेबिट) में शून्य शेष राशि थी। अन्य प्रमुख शेष ₹ 11.81 करोड़ के विविध देनदार और ₹ 11.75 करोड़ के विविध लेनदार थे, जो मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान अप्रमाणित रहे। पी एंड एल ए/सी में, बिजली और ईंधन, भविष्य निधि में योगदान, बीमा, बिक्री संवर्धन, विज्ञापन, कमीशन, खराब ऋण और मूल्यह्रास सहित अधिकांश शीर्षों के तहत शून्य व्यय हैं। ये खर्च सभी प्रकार के व्यवसायों में नियमित रूप से किए जाते हैं। ₹ 9.02 लाख का वेतन और मजदूरी, ₹ 3.87 लाख का अन्य व्यय ही ₹ एक लाख से अधिक व्यय वाले एकमात्र शीर्ष हैं। इस प्रकार, इस निर्धारिती का व्यय और संपत्ति/देनदारी प्रोफाइल भी निर्धारिती के व्यवसाय कारोबार के रूप में निर्धारण अधिकारी द्वारा माने गए ₹ 246.71 करोड़ के साथ तालमेल नहीं रखता है।

(ग) इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने इस निर्धारिती के बाद के नि.व. 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए आईटीआर की समीक्षा की। 2013-14 के लिए, कुल बिक्री कारोबार/अन्य आय और खरीद क्रमशः ₹ 20.35 लाख और 'शून्य' थी, 2014-15 के लिए, कुल बिक्री कारोबार/अन्य आय और खरीद क्रमशः ₹ 13.37 करोड़ और ₹ 13.12 करोड़ थी, और 2015-16 के लिए, कुल बिक्री कारोबार/अन्य आय और खरीद क्रमशः ₹ 13.19 करोड़ और ₹ 12.99 करोड़ थी। इस प्रकार, बाद के नि.व. के वित्तीय आँकड़े नि.व. 2012-13 के संबंध में निर्धारिती के बैंक खाते में पाए गए अघोषित बैंक लेनदेन के निर्धारिती के व्यवसाय प्रोफाइल के साथ तालमेल नहीं रखते हैं।

(घ) निर्धारिती ने आइटीआर में दिल्ली स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दिल्ली में नि.व. 2012-13 और नि.व. 2014-15, मुरादाबाद में आईडीबीआई बैंक शाखा में नि.व. 2013-14 और पीएनबी, एचडीएफसी और दिल्ली स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में नि.व. 2015-16 के लिए अपने बैंक खाते का खुलासा किया था। लेकिन नि.व. 2012-13

के लिए एओ द्वारा नोट किए गए ₹ 248.08 करोड़ की अस्पष्टीकृत नकदी/अन्य बैंक क्रेडिट निर्धारिती के एक अघोषित बैंक खाते में थे, अर्थात. भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा, धारा 69ए अस्पष्टीकृत नकद बैंक क्रेडिट और अन्य बैंक क्रेडिट के बीच कोई अंतर नहीं करती है। इसलिए, ₹ 246.71 करोड़ के अस्पष्टीकृत बैंक क्रेडिट (₹ 246.70 करोड़ की क्रेडिट प्रविष्टियाँ + ₹ 0.85 लाख की ब्याज आय) को व्यवसाय प्राप्ति के रूप में मानना ज्ञात तथ्यों पर आधारित नहीं है।

(ङ) निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध आईटीआर में उपरोक्त तथ्यों और निर्धारिती की व्यावसायिक प्राप्तियों के रूप में ₹ 246.71 करोड़ के अस्पष्टीकृत बैंक क्रेडिट को मानने के बारे में दिए गए कारणों के साथ और फिर ₹ 246.71 करोड़ का केवल 8.5 *प्रतिशत* पर कर लगाना (अर्थात ₹ 20.97 करोड़) पर कर लगाना. क्योंकि निर्धारिती की अघोषित सामान्य व्यावसायिक आय गलत है, धारा 69ए के प्रावधान के अनुरूप नहीं है और साथ ही निर्धारिती द्वारा दाखिल आईटीआर में बताए गए ज्ञात तथ्यों के साथ भी तालमेल नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ₹ 246.71 करोड़ की अस्पष्टीकृत राशि धारा 69ए की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इस प्रकार, एओ को धारा 69ए के तहत ₹ 246.71 करोड़ के ऐसे अस्पष्टीकृत बैंक क्रेडिट की पूरी राशि जोड़नी चाहिए थी। इसके अलावा, ₹ 246.71 करोड़ के अस्पष्टीकृत बैंक क्रेडिट को मानते हुए और फिर इस राशि का केवल 8.5 *प्रतिशत* व्यवसाय आय के रूप में कर लगाने का मतलब है कि इस मूल्यांकन ने शेष अस्पष्टीकृत राशि ₹ 225.74 करोड़ (91.5 *प्रतिशत*) को सफेद धन में बदलने की अनुमति दी। इस अस्पष्टीकृत बैंक क्रेडिट के लिए अन्य आर्थिक अपराध विधान के तहत आगे की जांच की आवश्यकता है।

निर्धारण अधिकारी की ओर से उपरोक्त अविवेक के परिणामस्वरूप ₹ 225.74 करोड़ की आय का कम मूल्यांकन हुआ है। इसके परिणामस्वरूप

₹ 141.31 करोड़ का कर लगाया गया, जिसमें धारा 234ए और 234बी के तहत अधिभार, शिक्षा उपकर और ब्याज का परिणामी उदग्रहन शामिल है।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.5.4	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-10, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: एस13**
	निर्धारण वर्ष	**: 2012-13**
	स्थिति	**: व्यक्तिगत**

निर्धारण अधिकारी ने धारा 68 के तहत अघोषित आय के कारण ₹ 89.10 लाख की रिटर्न की गई आय पर ₹ 202.83 लाख की वृद्धि की थी। हालाँकि, आकलन आदेश के आईटीएनएस-150 में कर की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 291.93 लाख की निर्धारित आय के बजाय ₹ 89.10 लाख की दाखिल आय पर कर लगाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 202.83 लाख की आय का कम मूल्यांकन हुआ।

आय कर की गणना में इन स्पष्ट अशुद्धियों के परिणामस्वरूप ₹ 121.10 लाख का कर कम उदग्रहन हुआ जिसमे क्रमशः धारा 234बी(3) और 234सी के तहत ₹ 58.35 लाख और ₹ 0.04 लाख का ब्याज शामिल है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति मार्च 2021 में विभाग को संप्रेषित किया गया था, जिसके बाद जून 2021, फरवरी 2022, मई 2022, अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2023 में अनुस्मारक भेजे गए थे।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.5.5	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-6, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स एस2 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2011-12**
	स्थिति	**: कंपनी**

आयकर विभाग ने 2011-12 के लिए निर्धारिती का मूल्यांकन नवंबर 2018 में धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत पूरा किया था, जिसमें कुल आय ₹ 1.45 करोड़ निर्धारित की गई थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि विभिन्न बैंक खातों में ₹ 28.69 करोड़ की राशि जमा की गई थी। विभाग द्वारा जारी

किए गए किसी भी नोटिस का निर्धारिती की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसलिए, उपरोक्त क्रेडिट की प्रकृति और स्रोत अस्पष्ट रहे। इस प्रकार, धारा 68 के तहत ₹ 28.69 करोड़ की राशि को वापस जोड़ा जाना था। हालांकि, यह देखा गया कि एओ ने केवल ₹ 1.43 करोड़ जोड़े थे, जो ₹ 28.69 करोड़ के क्रेडिट का पांच *प्रतिशत* था, जो कि व्यवस्थित नहीं था।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.26 करोड़ की विभेदक आय का कम मूल्यांकन हुआ, जिसमें धारा 234बी के तहत ब्याज को छोड़कर ₹ 9.05 करोड़ का कम कर लगाया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जुलाई 2019 में विभाग को जारी किया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (सितंबर 2022) कि मार्च 2022 में धारा 263 के साथ धारा 144 के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

निष्कर्ष:

इस अध्याय में चर्चा की गई त्रुटियों के प्रकार, जैसे गणना विवरण में निर्धारित आय को अपनाने में त्रुटियां; कर की दर और अधिभार का गलत अनुप्रयोग; धारा 68 से 69डी के तहत किए गए परिवर्धन के खिलाफ नुकसान की समायोजन में अनियमितता और अस्पष्टीकृत लेनदेन के संबंध में कर से बच गया, न केवल मूल्यांकन/कर दायित्व की गणना को अंतिम रूप देने के दौरान निर्धारण अधिकारी की ओर से चूक का संकेत दिया, बल्कि आईटीडी में आंतरिक नियंत्रण में कमजोरियों और आईटीडी प्रणाली में जांच/सत्यापन में कमी की ओर भी इशारा किया।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में कहा गया है कि अनियमितताएं/असंगतताएं, जो धारा 115बीबीई की शुरूआत से पहले के मामलों में देखी गई थीं, धारा की शुरूआत के बाद संसाधित मामलों में भी बनी रहीं।

इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप न केवल राजकोष को नुकसान हो सकता है, बल्कि मुकदमेबाजी के तहत मामलों में वृद्धि और साथ ही निर्धारिती को उत्पीड़न भी हो सकता है।

<u>अनुशंसा 1:</u>

यद्यपि विभाग ने लेखापरीक्षा में इंगित किए गए मामलों में सुधारात्मक उपाय किए हैं, यह उल्लेख किया जाए कि ये केवल कुछ उदाहरण मामले हैं, जिनकी लेखापरीक्षा में जांच की गई है। इसलिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उन सभी मामलों की जांच करनी होगी जिनमें निर्धारण में लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित अस्पष्टीकृत/अघोषित लेनदेन पर कराधान शामिल है, क्योंकि शेष मामलों में ऐसी त्रुटियों के होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

मंत्रालय ने कहा कि (अप्रैल 2026) में कहा गया है कि आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए मूल्यांकन मामलों का चयन विभिन्न पहलुओं, जैसे, उच्च जोखिम कारक, मानव संसाधनों की उपलब्धता आदि पर आधारित है। इसके अलावा, कहा गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए धारा 68, 69ए/बी/सी/डी, धारा 115बीबीई के साथ पढ़ने वाले प्रावधानों के आवेदन से संबंधित सभी मूल्यांकनों को विषय बनाना संभव और व्यावहारिक नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने माना कि आयकर विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के लिए धारा 68, 69ए/बी/सी/डी से जुड़े सभी मामलों का चयन करना संभव नहीं है। तदनुसार, अनुशंसा में नीचे दिए गए अनुसार बदलाव किया गया है:

हालांकि विभाग ने लेखापरीक्षा में बताए गए मामलों में सुधारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये केवल कुछ उदाहरण वाले मामले हैं जिनकी लेखापरीक्षा के दौरान जांच की गई थी। इसलिए, सीबीडीटी उपलब्ध मैनपावर के आधार पर, रिस्क एनालिसिस करने और सीबीडीटी द्वारा तय की जाने वाली वित्तीय सीमा को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित संभावित निर्धारण मामलों की समीक्षा कर सकता है। इन मामलों में ऐसे निर्धारण शामिल हो सकते हैं जिनमें बिना बताए या बिना खुलासा किए गए लेनदेन पर कर लगाया जाना हो, ताकि राजस्व का नुकसान न हो।

अनुशंसा 2:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ऐसी त्रुटियों के कारणों की पहचान करने पर विचार करे और तदनुसार भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक त्रुटिरहित सूचना प्रौधोगिकी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित करे।

मंत्रालय/सीबीडीटी ने (मई 2026) कहा कि सीपीसी में गणना प्रक्रिया के दौरान देखी गई विसंगतियों के कारण धारा 68, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी की धारा 115बीबीई के साथ पढ़ी गई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इस तरह की विसंगतियां या तो सीपीसी में सिस्टम से संबंधित समस्याओं के कारण या इनपुट डेटा में अशुद्धियों के कारण हो सकती हैं।

इसके अलावा, जिन मामलों में इस मुद्दे को सीपीसी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, उन्हें आंतरिक रूप से मान्य किया जाता है और आवश्यक सुधारों को पोस्ट-फिक्स के बाद लागू किया जाता है, परिवर्तनों को सटीकता सुनिश्चित करने और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यूएटी वातावरण में परीक्षण के अधीन किया जाता है, और बाद में सफल सत्यापन के बाद उत्पादन में तैनात किया जाता है। जहां मुद्दा इनपुट डेटा से संबंधित है, वहां मामले को सत्यापन और आवश्यक सुधार के लिए आईटीबीए टीम को भेजा जाता है। सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एओ को उचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, मौजूदा सेटअप में, गणना के परिणाम एओ के साथ साझा किए जाते हैं। गणना परिणामों की जांच करने पर, यदि एओ संतुष्ट नहीं है, तो टिकट के माध्यम से सीपीसी को वापस सूचित किया जाता है, जिसमें विसंगति को उजागर किया जाता है। यदि परिणाम एओ को स्वीकार्य हैं, तो वह अंतिम लेखांकन की ओर बढ़ता है।

मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य है। हालाँकि, वर्तमान ढांचे में स्रोत पर डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही की कमी है। डेटा प्रविष्टि के बिंदु पर मजबूत सत्यापन जांच के बिना, सुधार निवारक के बजाय प्रतिक्रियाशील बना रहेगा। विश्वसनीय कम्प्यूटेशनल परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक मजबूत, निवारक और जवाबदेह ढांचा आवश्यक है।

<u>अनुशंसा 3:</u>

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह जांच करे कि पाई गई "त्रुटियों" के मामले चूक या जानबूझकर की गई त्रुटियां हैं या नहीं, और जानबूझकर की गई त्रुटियों के मामले में, आयकर विभाग कानून के अनुसार जिम्मेदारी तय करने सहित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे।

मंत्रालय/सीबीडीटी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2026) कि:

- *राजस्व लेखापरीक्षा आपत्तियों और उनमें त्रुटियों के मामलों को निर्देश संख्या द्वारा निर्देशित किया जाता है। 2024 का 3 दिनांक 17/09/2024 सीबीडीटी द्वारा जारी किया गया। क्षेत्रीय अधिकारियों से रिपोर्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में प्रत्येक मसौदा पैरा के लिए निर्देश में निर्धारित मानक प्रारूप में और निष्पादन लेखापरीक्षा/एसएससीए में दृष्टांत मामले में प्राप्त की जाती है।*
- *प्रत्येक ड्राफ्ट पैरा के लिए प्रोफार्मा रिपोर्ट-ए प्राप्त की जाती है। यदि आपति स्वीकार कर ली जाती है, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148, 154 या 263 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।*
- *इसके अलावा, संबंधित क्षेत्र प्राधिकरण मामले के तथ्यों की जांच करने और यदि वारंटेड हो तो संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद, यदि आपति स्वीकार कर ली जाती है तो त्रुटि के उदाहरणों पर प्रोफार्मा रिपोर्ट-बी में टिप्पणियां प्रस्तुत करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि त्रुटि बोनाफाइड है या दुर्भावनापूर्ण है।*
- *धारा 68 से 69डी के साथ पठित धारा 115बीबीई के तहत प्रावधानों के आवेदन पर अनुपालन लेखापरीक्षा के संबंध में सीबीडीटी के ध्यान में अब तक कोई मामला नहीं आया है, जिसमें गलती दुर्भावनापूर्ण पाई गई थी।*

लेखापरीक्षा का मत है कि यद्यपि ये गलतियाँ दुर्भावनापूर्ण नहीं पाई गईं, इन अनियमितताओं से संकेत मिलता है कि संबंधित अधिकारियों ने उचित परिश्रम नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को नुकसान हुआ। इसलिए, मंत्रालय ऐसे अपवादों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए अधिकारियों

को संवेदनशील बनाने और इस तरह के आकलन को संभालने में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश/एसओपी जारी कर सकत है।

अध्याय 4: प्रणालीगत मुद्दे

इस अध्याय में आयकर विभाग प्रणालियों में निर्धारण करने और उस पर मांग/प्रतिदाय निर्धारित करने में मौजूद कमियों पर चर्चा की गई है, जिसमें अधिनियम की धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के साथ धारा 115बीबीई के अंतर्गत निर्धारिती की कुल आय में वृद्धि शामिल है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के दौरान, अधिनियम की धारा 68 से 69डी के प्रावधानों को धारा 115बीबीई के साथ मिलाकर निर्धारण करते समय, उत्पन्न होने वाले मुद्दों/ विसंगति का पता लगाने का भी प्रयास किया गया। लेखापरीक्षा में विशेष योजनाओं जैसे ऑपरेशन क्लीन मनी आदि के संबंध में पूर्ण किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक लेखापरीक्षा के अनुवीक्षण और निर्धारण की पर्याप्तता की भी जांच की गई है। लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मुद्दों पर आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

4.1 सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली में कमी - कर मांग/प्रतिदायों की गणना के लिए सीपीसी-आईटीआर में निर्धारित आय की स्वतः भरने का प्रावधान न होना

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, निर्धारण पूरा होने के बाद, कर की मांग/प्रतिदाय की गणना के लिए निर्धारण अधिकारी को सीपीसी-आईटीआर में आवश्यक विवरण दर्ज करना होता है। निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित/अंतिम रूप दी गई आय को आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग में दर्ज किया जाता है और कर की गणना के लिए सीपीसी-आईटीआर को भेजा जाता है।

2018-19 से 2022-23 तक किए गए अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा में 23 राज्यों में ₹ 5,936 करोड़ के कर प्रभाव वाले 1,257 मामलों में निर्धारित आय को अपनाने और आईटीएनएस में निर्धारित आय के गलत चित्रण या कर दायित्व की गणना करते समय कर की गलत दर और अधिभार आदि के गलत चित्रण में विसंगतियां पाई गईं।

इन कमियों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(i) ऐसे मामले जिनमें निर्धारित आय वास्तविक निर्धारित आय से दोगुनी/तिगुनी या उससे अधिक गुना दर्शायी गई हो, या वास्तविक निर्धारित आय से कम या शून्य दर्शायी गई हो।

(ii) ऐसे मामले जिनमें निर्धारित आय को संबंधित श्रेणी में गलत तरीके से दर्शाया गया हो, जैसे सामान्य आय के स्थान पर विशेष आय और कर तथा अधिभार की दर का गलत अनुप्रयोग आदि।

4.1.1 ऐसे मामले जिनमें मूल्यांकित आय वास्तविक निर्धारित आय से दोगुनी/तिगुनी या उससे अधिक गुना दर्शायी गई हो, या वास्तविक निर्धारित आय से कम या शून्य दर्शायी गई हो

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, **कर गणना पत्रक** (आईटीएनएस) में निर्धारित आय को वास्तविक निर्धारित आय से दोगुना/तिगुना या उससे अधिक गुना या उससे कम या शून्य दर्शाया गया था, ऐसे 331 मामलों में जिनमें 19 राज्यों[7] में ₹ 1,230 करोड़ के कर प्रभाव शामिल थे। ऐसे मामलों का राज्य-वार सारांश नीचे तालिका 4.1 में दिया गया है:

तालिका 4.1: निर्धारित आय को गलत तरीके से अपनाने से संबंधित मामले

राज्य	मामलों की संख्या	मामले *प्रतिशत* में	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	कर प्रभाव *प्रतिशत* में
आंध्र प्रदेश	19	5.7	39.45	3.2
चंडीगढ़	9	2.7	47.58	3.9
छतीसगढ	8	2.4	6.69	0.5
दिल्ली	116	35	597.19	48.5
गोवा	1	0.3	0.11	0
गुजरात	7	2.1	14.58	1.2
हरियाणा	3	0.9	116.63	9.5
झारखंड	3	0.9	3.41	0.3
कर्नाटक	7	2.1	29.02	2.4
केरल	5	1.5	7.4	0.6

[7] आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड

तालिका 4.1: निर्धारित आय को गलत तरीके से अपनाने से संबंधित मामले				
राज्य	**मामलों की संख्या**	**मामले *प्रतिशत* में**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**कर प्रभाव *प्रतिशत* में**
मध्य प्रदेश	68	20.5	89.65	7.3
महाराष्ट्र	2	0.6	1.69	0.1
ओडिशा	14	4.2	47.71	3.9
पंजाब	3	0.9	20.13	1.6
राजस्थान	20	6	25.21	2
तमिलनाडु	6	1.8	88.96	7.2
तेलंगाना	30	9.1	74.74	6.1
उत्तर प्रदेश	9	2.7	20.01	1.6
उत्तराखंड	1	0.3	0.24	0
सकल कुल	**331**	**100**	**1,230.40**	**100**

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका 4.1 से स्पष्ट है कि मामलों की संख्या के संदर्भ में, सबसे अधिक कमियां दिल्ली (35 *प्रतिशत*) में देखी गईं, उसके बाद मध्य प्रदेश (20.5 *प्रतिशत*) का स्थान रहा। इसके अतिरिक्त, कर प्रभाव के संदर्भ में, सबसे अधिक कमियां दिल्ली (48.5 *प्रतिशत*) में थीं, उसके बाद हरियाणा (9.5 *प्रतिशत*) और तमिलनाडु (7.2 *प्रतिशत*) का स्थान रहा।

इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मामलों पर इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 (पैरा 3.2 देखें) में विस्तार से चर्चा की गई है। हालांकि, ऐसे तीन उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

मामला I: आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त-7, दिल्ली
निर्धारिती का नाम : मेसर्स आर6 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2017-18
स्थिति : कंपनी

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण करते हुए, धारा 68 के अंतर्गत ₹ 8.00 करोड़ की बढ़ोतरी करने के बाद ₹ 8.49 करोड़ की आय का निर्धारण किया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने आईटीएनएस से पाया कि धारा 68 के अंतर्गत विशेष आय के रूप में की गई वृद्धि को ₹ 8.00 करोड़ के बजाय ₹ 32.00 करोड़ के रूप में गलत तरीके से अपनाया गया था, यानी वास्तविक वृद्धि का चार गुना। इसके परिणामस्वरूप आय का ₹ 24.00 करोड़

का अधिक निर्धारण हुआ, जिसमें ब्याज सहित ₹ 25.57 करोड़ का अतिरिक्त कर लगाया गया।

आयकर अधिकारी, वार्ड-21(1), दिल्ली ने अपने उत्तर (फरवरी 2022) में कहा कि इस मामले में त्रुटि सीपीसी-आईटीआर द्वारा गणना की तकनीकी समस्या के कारण थी, जिसमें चार गुना यानी ₹ 32.00 करोड़ की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि निर्धारण आदेश के अनुसार बढ़ोतरी ₹ 8.0 करोड़ थी। आगे कहा गया कि अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत आवश्यक सुधार आदेश अगस्त 2021 में पारित किया गया था।

आयकर अधिकारी वार्ड-21(1), दिल्ली के निर्धारण अधिकारी का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यद्यपि गणना त्रुटि तकनीकी समस्या के कारण थी, फिर भी निर्धारण अधिकारी को कर की गणना सहित निर्धारण को अंतिम रूप देने से पहले कर की गणना की शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2026) कि अगस्त 2021 में धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

मामला II:	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-10, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स ए6 एंटरप्राइजेज**
	निर्धारण वर्ष	**: 2015-16**
	स्थिति	**: फर्म**

मार्च 2022 में धारा 147 के साथ धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण संपन्न करते हुए, निर्धारण अधिकारी ने धारा 69ए के अंतर्गत ₹ 55.61 करोड़ की बढ़ोतरी करने के बाद ₹ 55.61 करोड़ की आय का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा में आईटीएनएस द्वारा निर्धारण आदेश में यह पाया गया कि निर्धारित आय को गलत तरीके से ₹ 111.22 करोड़ दर्शाया गया था, जो कि वास्तविक निर्धारित आय ₹ 55.61 करोड़ का दुगुना था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 55.61 करोड़ की आय का निर्धारण अधिक हुआ, जिसमें ब्याज के अतिरिक्त प्रभार सहित ₹ 50.09 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर,

विभाग ने जून 2023 में धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को दूर किया।

मंत्रालय से प्रत्युतर प्रतीक्षित है (मई 2026)

मामला III: **आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त-4, हैदराबाद**
निर्धारिती का नाम : एन2
निर्धारण वर्ष : 2013-14
स्थिति : व्यक्तिगत

मार्च 2022 में धारा 147 के साथ धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण करते हुए, ₹ 1.29 करोड़ की आय पर, निर्धारण अधिकारी ने धारा 69ए के अंतर्गत ₹ 1.25 करोड़ की राशि जोड़ी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में गणना पत्रक से पता चला कि कर गणना पत्रक में ₹ 1.29 करोड़ के बजाय 'शून्य' निर्धारित आय को अपनाया गया था और तदनुसार, 'शून्य' मांग निर्धारित की गई थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.22 करोड़ की कम मांग हुई। जुलाई 2022 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की सूचना विभाग को दी गई थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने (मार्च 2026) कहा कि जून 2024 में धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

4.1.2 ऐसे मामले जिनमें निर्धारित आय को त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रासंगिक श्रेणी में दर्शाया गया था, जैसे कि सामान्य आय के स्थान पर विशेष आय, जिसके परिणामस्वरूप कर और अधिभार की दर गलत तरीके से लागू हुई

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, 23 राज्यों में ₹ 4,707 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 926 मामलों में, निर्धारित आय को कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) में आय की संबंधित श्रेणी में नहीं दर्शाया गया था। ऐसे मामलों का राज्य-वार सारांश नीचे तालिका 4.2 में दिया गया है:

तालिका 4.2: वे मामले जहां आईटीएनएस में अप्रासंगिक श्रेणी में निर्धारित आय को गलत तरीके से दर्शाया गया था				
राज्य	**मामलों की संख्या**	**मामले *प्रतिशत* में**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**कर प्रभाव *प्रतिशत* में**
आंध्र प्रदेश	18	1.9	89	1.9
असम	6	0.6	2	0.0
बिहार	49	5.3	31	0.7
चंडीगढ़	7	0.8	65	1.4
छत्तीसगढ	4	0.4	9	0.2
दिल्ली	238	25.7	2,328	49.1
गोवा	3	0.3	2	0.0
गुजरात	53	5.7	72	1.5
हरियाणा	12	1.3	90	1.9
झारखंड	29	3.1	36	0.8
कर्नाटक	30	3.2	63	1.3
केरल	18	1.9	34	0.7
मध्य प्रदेश	83	9.0	144	3.0
महाराष्ट्र	61	6.6	551	11.6
मेघालय	1	0.1	1	0.0
ओडिशा	31	3.3	55	1.2
पंजाब	4	0.4	21	0.4
राजस्थान	56	6.0	52	1.1
तमिलनाडु	79	8.5	487	10.3
तेलंगाना	48	5.2	225	4.7
उत्तर प्रदेश	47	5.1	147	3.1
उत्तराखंड	6	0.6	14	0.3
पश्चिम बंगाल	43	4.6	188	4.0
सकल कुल	**926**	**100.0**	**4,707**	**100.0**

उपरोक्त तालिका 4.2 से यह देखा जा सकता है कि संख्या के संदर्भ में, सबसे अधिक कमियां दिल्ली (25.7 *प्रतिशत*) में देखी गईं, उसके बाद मध्य प्रदेश (9.0 *प्रतिशत*) और तमिलनाडु (8.5 *प्रतिशत*) में। इसके अतिरिक्त, कर प्रभाव के संदर्भ में, सबसे अधिक कमियां दिल्ली (49.4 *प्रतिशत*) में थीं, उसके बाद महाराष्ट्र (11.7 *प्रतिशत*) और तमिलनाडु (10.3 *प्रतिशत*) का स्थान रहा।

इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मामलों पर इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 (पैरा 3.1 देखें) में विस्तार से चर्चा की गई है। हालांकि, ऐसे दो मामलों का उदाहरण नीचे दिया गया है:

मामला I:	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-10, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: ए12**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: व्यक्तिगत**

मार्च 2022 में धारा 147 के साथ धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण पूरा करते समय, निर्धारण अधिकारी ने धारा 69 के अंतर्गत ₹ 22.70 करोड़ को अस्पष्टीकृत निवेश के रूप में जोड़कर ₹ 22.70 करोड़ की आय निर्धारित की। लेखापरीक्षा के दौरान कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) (मार्च 2022) से यह पाया गया कि धारा 69 के अंतर्गत की गई अतिरिक्त राशि को गलत क्षेत्र 'धारा 115बीबीई के अतिरिक्त विशेष दर पर कर योग्य आय जिसमें धारा 111ए, 112 आदि शामिल हैं' में दर्शाया गया था, जबकि सही क्षेत्र 'धारा 115बीबीई के अंतर्गत विशेष दर पर कर योग्य आय' होना चाहिए था। परिणामस्वरूप, कर 60 *प्रतिशत* की दर से 25 *प्रतिशत* अधिभार के साथ कर लगाने के बजाय कर 20 *प्रतिशत* की कम दर और अधिभार 15 *प्रतिशत* से लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप अंततः ब्याज सहित ₹ 26.27 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और अप्रैल 2024 में धारा 154 के अंतर्गत आदेश पारित करके इसे ठीक कर दिया।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)

मामला II:	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-7, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: मेसर्स टी2 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2018-19**
	स्थिति	**: कंपनी**

निर्धारण अधिकारी ने जून 2021 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण करते हुए, अस्पष्टीकृत ऋण और अग्रिमों के मद में ₹ 13.94 करोड़ और अस्पष्टीकृत दीर्घकालिक उधार के मद में ₹ 36.92 करोड़ जोड़ने के बाद ₹ 50.85 करोड़ की आय निर्धारित की, जिस पर धारा 115बीबीई के अंतर्गत विशेष दर से कर लगाया जाएगा। कर गणना पत्रक (आईटीएनएस) (जून 2021) से लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अस्पष्टीकृत लेनदेन के तहत की गई वृद्धि राशि को

धारा 115बीबीई के अंतर्गत विशेष दर के बजाय सामान्य दर पर कर योग्य आय के लिए निर्धारित क्षेत्र में गलत तरीके से दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप, 60 *प्रतिशत* की विशेष दर और 25 *प्रतिशत* के अधिभार के बजाय सामान्य दर पर कर लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 35.70 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय (फरवरी 2026) ने कहा कि नवंबर 2024 में धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि कर की गणना में ये त्रुटियां निर्धारित आय के आँकड़े के गलत चित्रण के साथ-साथ आईटीएनएस में अप्रासंगिक क्षेत्र में निर्धारित आय/परिवर्धनों के प्रदर्शित करने के कारण हुईं, जिसके परिणामस्वरूप या तो राजकोष को नुकसान हुआ या निर्धारिती को मुकदमेबाजी/उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। ये कमियां दर्शाती है कि आयकर विभाग प्रणाली में पर्याप्त जांच/डेटा सत्यापन का अभाव था। इसीलिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयकर विभाग प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि यह अधिक मजबूत और त्रुटि रहित बन सके। इसके अतिरिक्त, कर की गणना के लिए केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र-आयकर विवरण को निर्धारण डेटा भेजने में मानवीय हस्तक्षेप के कारण होने वाली गणना संबंधी त्रुटि की संभावना को, निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारण की प्रक्रिया और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र-आयकर विवरण द्वारा कर की गणना के बीच ऐसे मानवीय हस्तक्षेप को हटाकर/कम करके संपन्न किया जा सकता है।

<u>अनुशंसा 4</u>:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड गणना संबंधी कमियों के कारणों की पहचान करे और राजकोष को राजस्व की हानि, मुकदमेबाजी और निर्धारिती को होने वाली परेशानी से बचने/कम करने के लिए समस्या को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने पर विचार करे।

मंत्रालय/सीबीडीटी ने कहा (मई 2026):

- *मामले की स्थितियों के आधार पर, निम्नलिखित मुद्दों और सामान्य अभिकलनात्मक त्रुटियों की पहचान की गई है:*
  - *हानियों का गलत अग्रसर*
  - *बही खाता लाभ की गणना में गलती*
  - *विशेष प्रावधानों के बजाय सामान्य प्रावधानों के तहत लगाया गया कर*
- *गणना त्रुटियों को दूर करने के लिए सीपीसी ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:*
  - *अनियमित प्रतिदाय के मुद्दे की पहचान की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उत्पादन में इसे ठीक किया गया है। आईटीबीए फ्रंट ने उपयोगकर्ता को चेतावनी संदेश के रूप में एक ठीक किया है।*
  - *आगे ले जाने वाले हानि की जांच की गई है और मूल कारण की पहचान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। सीपीसी में सिस्टम नियमों को मान्य करके और आईटीबीए टीम के साथ समन्वय में किसी भी डेटा से संबंधित विसंगतियों को संबोधित करके उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।*
- *वर्तमान व्यवस्था में सत्यापन और नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा, समाधान के बाद गणना को फिर से शुरू करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। ये उपाय राजस्व हानि को कम करने, मुकदमेबाजी को कम करने और निर्धारिती को असुविधा से बचने में मदद करते हैं।*

लेखापरीक्षा इस संबंध में हुई प्रगति की प्रतीक्षा करेगा।

4.2 निर्धारिती की बही खातों में विभिन्न प्रविष्टियों के उपचार में असंगत दृष्टिकोण

अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि किसी निर्धारिती द्वारा पूर्व वर्ष के लिए रखी गई बही खातों में कोई राशि जमा पाई जाती है, या कोई निवेश किया जाता है जिसे बही खातों में दर्ज नहीं किया जाता है, या वर्ष के दौरान कोई व्यय किया जाता है और निर्धारिती उसके स्वरूप और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, या निर्धारिती द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी (ए.ओ) को संतोषजनक नहीं लगता है, तो जमा की गई राशि/निवेश/व्यय को निर्धारिती की आय मानकर आयकर लगाया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण कार्यवाही के दौरान, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती से उस के बैंक खाते में पाई गई नकदी सहित विविध लेनदारों, असुरक्षित ऋण, नकद प्राप्तियों, समापन स्टॉक, खरीद आदि के बारे में विवरण/स्पष्टीकरण मांगा, जैसा कि निर्धारिती की बही-खातों में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा में आगे यह भी पाया कि कुछ मामलों में, निर्धारिती उपर्युक्त प्रविष्टियों के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण/विवरण प्रदान करने में विफल रहा और इस प्रकार वे अस्पष्टीकृत ही रह गईं। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने या तो उपर्युक्त प्रविष्टियों से संबंधित राशि को नहीं जोड़ा या अधिनियम की धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के अंतर्गत इसे आंशिक रूप से जोड़ा।

20 राज्यों के 589 मामलों में लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के प्रावधानों को समान रूप से लागू नहीं किया, जबकि उक्त लेनदेन फर्जी प्रकृति के थे या उनका स्रोत अस्पष्टीकृत रहा, जिसके परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण हुआ या आय का निर्धारण नहीं हो पाया।

ऐसे मामलों का राज्य-वार विवरण नीचे दी गई तालिका 4.3 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 4.3: वे मामले जहां निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के प्रावधानों को समान रूप से लागू नहीं किया				
राज्य	**मामलों की संख्या**	**मामले *प्रतिशत में***	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**कर प्रभाव *प्रतिशत में***
आंध्र प्रदेश	1	0.2	1	0.0
बिहार	11	1.9	41	0.2
चंडीगढ़	3	0.5	42	0.2
छत्तीसगढ	7	1.2	25	0.1
दिल्ली	265	45.0	13,764	73.2
गुजरात	26	4.4	265	1.4
हरियाणा	10	1.7	277	1.5
झारखंड	18	3.1	25	0.1
कर्नाटक	5	0.8	142	0.8
केरल	13	2.2	25	0.1
मध्य प्रदेश	84	14.3	2,045	10.9
महाराष्ट्र	58	9.8	1,482	7.9
ओडिशा	4	0.7	6	0.0
पंजाब	7	1.2	93	0.5
राजस्थान	4	0.7	3	0.0
तमिलनाडु	8	1.4	68	0.4
तेलंगाना	10	1.7	81	0.4
उत्तर प्रदेश	17	2.9	147	0.8
उत्तराखंड	2	0.3	1	0.0
पश्चिम बंगाल	36	6.1	266	1.4
सकल कुल	**589**	**100.0**	**18,799**	**100.0**

ऊपर दी गई तालिका 4.3 से यह देखा जा सकता है कि मामलों की संख्या के संदर्भ में, कमियां दिल्ली में सबसे अधिक (45 *प्रतिशत*) थीं, उसके बाद मध्य प्रदेश (14.3 *प्रतिशत*) और महाराष्ट्र (9.8 *प्रतिशत*) का स्थान था। इसके अतिरिक्त, कर प्रभाव के संदर्भ में, कमियां दिल्ली में सबसे अधिक (73.2 *प्रतिशत*) थीं, उसके बाद मध्य प्रदेश (10.9 *प्रतिशत*) और महाराष्ट्र (7.9 *प्रतिशत*) का स्थान रहा। इन मामलों का विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के अध्याय 3 में दिया गया है। हालांकि, आगामी पैराग्राफ में उदाहरणों सहित, निर्णय आयोग द्वारा अपनाए गए मुद्दे-वार असंगत दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है:

4.2.1 अस्पष्टीकृत क्रेडिट प्रविष्टियों का असंगत दृष्टिकोण

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बड़ी मात्रा में नकद जमा के कारण चुने गए मामलों की संवीक्षा करने वाले निर्धारण अधिकारियों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और एक मार्गदर्शन नोट जारी किया है। इस दिशा-निर्देश नोट में प्रत्येक वर्ग के निर्धारिती के लिए नकद जमा लेनदेन के सत्यापन के दौरान की जाने वाली पूछताछ, किए जाने वाले सत्यापन और अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली निर्दिष्ट की गई है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अघोषित/ अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट प्रविष्टियों से संबंधित मुद्दों से निपटने में असमान दृष्टिकोण अपनाया।

4.2.1.1 नोटबंदी की अवधि और नोटबंदी की अवधि के अतिरिक्त अन्य अवधियों से संबंधित अघोषित/अस्पष्टीकृत नकद जमा प्रविष्टियों के साथ असंगत दृष्टिकोण

निर्धारण अधिकारियों ने विमुद्रीकरण अवधि (निर्धारण वर्ष 2017-18) और विमुद्रीकरण अवधि के अतिरिक्त अन्य अवधि से संबंधित अघोषित/अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट प्रविष्टियों के मध्य त्रुटिपूर्ण तरीके से अंतर किया और अधिनियम की धारा 115बीबीई के अंतर्गत उच्च दर पर कर लगाने के लिए केवल विमुद्रीकरण अवधि से संबंधित अघोषित/अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट प्रविष्टियों को धारा 69ए के अंतर्गत विशेष आय के रूप में जोड़ा। जबकि, विमुद्रीकरण अवधि के अतिरिक्त अन्य अवधियों के अस्पष्टीकृत क्रेडिट या तो सत्यापित नहीं किए गए/कर के दायरे में नहीं लाए गए या सामान्य आय के रूप में कम दर पर कर लगाए गए। हालांकि, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, अस्पष्टीकृत आय के उपचार में ऐसा कोई भेद नहीं किया जाता है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 69ए के प्रावधान लागू होते हैं और तदनुसार कर लगाया जाता है। इसके दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

मामला I:	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-8, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**: टी1 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: कंपनी**

इस मामले में, यह पाया गया कि निर्धारिती ने नोटबंदी की अवधि के दौरान अपने बैंक खातों में नकद जमा किया था और आयकर विवरण (आइटीर) दाखिल नहीं किया था। दिसम्बर 2019 में धारा 144 के तहत निर्धारण कार्यवाही के दौरान, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के बैंक खातों में नकद जमा और अन्य क्रेडिट प्रविष्टियों को पाया, जिनके बारे में निर्धारिती स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत नकद जमा सहित कुल क्रेडिट प्रविष्टियों को जोड़ दिया।

मामला II:	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त (छूट), मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**: आई4 ट्रस्ट**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: ट्रस्ट**

इस मामले में, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निर्धारिती के बैंक खाते में नकद जमा सहित क्रेडिट प्रविष्टियाँ थीं, जोकि अस्पष्टीकृत रही। निर्धारण अधिकारी निर्धारण आदेश पारित करते समय अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत नकद जमा को अस्पष्टीकृत धन के रूप में जोड़ा था, जबकि अन्य क्रेडिट को निर्धारिती की व्यावसायिक प्राप्तियों के रूप में माना गया था और धारा 69ए के अंतर्गत जोड़ने और धारा 115बीबीई के अंतर्गत विशेष दर पर कर लगाने के बजाय कुल सामान्य आय में जोड़ा गया था और सामान्य दर पर कर लगाया गया था।

इस प्रकार, उपरोक्त दो उदाहरणों से यह देखा जा सकता है कि मामले-I में, निर्धारिती के बैंक खातों में अस्पष्टीकृत नकद जमा और अन्य क्रेडिट प्रविष्टियों को धारा 69ए के अंतर्गत निर्धारिती की आय में जोड़ा गया था, जबकि मामले-II में केवल अस्पष्टीकृत नकद जमा को धारा 69ए के अंतर्गत जोड़ा गया था, लेकिन अस्पष्टीकृत क्रेडिट प्रविष्टियों पर सामान्य व्यावसायिक प्राप्तियों के रूप में कर लगाया गया था।

मंत्रालय ने, उपर्युक्त केस-1 के उत्तर में, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए कहा (अप्रैल 2026) कि वर्तमान मामले में, कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं थी।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा के तर्क को संबोधित नहीं कर रहा था, क्योंकि लेखापरीक्षा ने बताया था कि केस- 1 में, निर्धारिती के बैंक खातों में अस्पष्टीकृत नकद जमा और अन्य क्रेडिट प्रविष्टियों दोनों को धारा 69ए के तहत निर्धारिती की आय में जोड़ा गया था, जबकि, केस- II में, केवल अस्पष्टीकृत नकद जमा को धारा 69ए के तहत जोड़ा गया था, लेकिन अस्पष्टीकृत क्रेडिट प्रविष्टियों को सामान्य व्यावसायिक प्राप्तियों के रूप में कर लगाया गया था। इसलिए, लेनदेन की समान प्रकृति के लिए इस तरह के अलग व्यवहार का कारण लेखापरीक्षा को सूचित किया जाना आवश्यक था।

उपरोक्त को देखते हुए, मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

4.2.1.2 निर्धारिती के बैंक खाते में पाए गए अघोषित/अस्पष्टीकृत नकद जमा और गैर नकद जमा प्रविष्टियों के साथ असंगत दृष्टिकोण

निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारिती के बैंक खाते में पाए गए अघोषित/ अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट प्रविष्टियों और अस्पष्टीकृत/अघोषित गैर नकद क्रेडिट प्रविष्टियों के बीच गलत तरीके से अंतर किया, जिसमें अघोषित बैंक खाते भी शामिल हैं, और केवल अघोषित/ अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट प्रविष्टियों को ही अधिनियम की धारा 115बीबीई के अंतर्गत उच्च दर पर कर लगाने के लिए धारा 69ए के अंतर्गत विशेष आय के रूप में जोड़ा। लेकिन अस्पष्टीकृत गैर नकद क्रेडिट पर या तो कर नहीं लगाया गया या सामान्य आय के रूप में कम दर पर कर लगाया गया। अस्पष्टीकृत आय/ऋण/प्राप्तियों के संबंध में इस प्रकार का भेदभाव धारा 69ए के अंतर्गत अनुमेय नहीं था, क्योंकि धारा का प्रावधान इस प्रकार का कोई भेद नहीं करता है। इसलिए, बही-खातों में दर्ज न की गई सभी अस्पष्टीकृत नकद और नकद से इतर क्रेडिट प्रविष्टियों पर धारा 69ए के साथ धारा 115बीबीई के अंतर्गत कर लगाया जाना था।

ऐसे दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

मामला I: **आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त-15, दिल्ली**
निर्धारिती का नाम : के4
निर्धारण वर्ष : 2017-18
स्थिति : व्यक्तिगत

इस मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने विचाराधीन वर्ष के लिए आयकर विवरणी दाखिल नहीं किया था। बैंक विवरणों की जाँच करने पर पता चला कि, निर्धारिती के पास नकद जमा और गैर नकद क्रेडिट लेनदेन थे जोकि अस्पष्टीकृत थे। निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 144 के तहत, निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत अस्पष्टीकृत धन के रूप में केवल नकद जमा को ही निर्धारिती की आय में जोड़ा, जबकि नकद से इतर क्रेडिट लेनदेन को कर के दायरे में नहीं लाया गया।

मामला II: **आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त-10, दिल्ली**
निर्धारिती का नाम : ए10
निर्धारण वर्ष : 2017-18
स्थिति : व्यक्तिगत

इस मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने विचाराधीन वर्ष के लिए आयकर विवरण दाखिल नहीं किया था। बैंक विवरणों की जांच करने पर पता चला, कि निर्धारिती के पास नकद जमा और नकद से इतर क्रेडिट लेनदेन थे जोकि अस्पष्टीकृत थे। निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत, निर्धारण/ मूल्यांकन को अंतिम रूप देते समय, अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत नकद जमा को अस्पष्टीकृत धन के रूप में जोड़ा, जबकि अन्य ऋणों को निर्धारिती की व्यावसायिक प्राप्तियों के रूप में माना और उन ऋणों के 100 *प्रतिशत* के बजाए 10 *प्रतिशत* अघोषित आय के रूप में जोड़ा। लेखापरीक्षा अभियुक्ति विभाग को नवम्बर 2021 में संप्रेषित की गई थी।

इस प्रकार, उपरोक्त दोनों उदाहरणों से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि मामले-I में, अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत केवल नकद जमा को ही कुल आय में अस्पष्टीकृत धन के रूप में जोड़ा गया था और नकद से इतर ऋण लेनदेन पर कर नहीं लगाया गया था, जबकि मामले-II में, अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत नकद जमा को कुल आय में अस्पष्टीकृत धन के रूप में जोड़ा गया था और अन्य ऋणों के 10 *प्रतिशत* को व्यावसायिक आय के रूप में कर के दायरे में लाया गया था।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

4.2.1.3 निर्धारिती के बैंक खाते में पाई गई अस्पष्टीकृत क्रेडिट प्रविष्टियों के उपचार में असंगत दृष्टिकोण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुछ मामलों में, धारा 133 (6) के अंतर्गत निर्धारिती के बैंकों से प्राप्त बैंक विवरणों में अघोषित/अस्पष्टीकृत क्रेडिट नोट किए गए थे, जिस पर अधिनियम की धारा 69ए का प्रावधान लागू होता है। हालांकि, निर्धारण अधिकारियों द्वारा उचित आधार के बिना, ऐसे अस्पष्टीकृत क्रेडिट को व्यावसायिक टर्नओवर मान लिया और तदनुसार, ऐसे अस्पष्टीकृत क्रेडिट का एक निश्चित *प्रतिशत* (व्यवसाय के लाभ के रूप में 0.5 से 10 *प्रतिशत* तक) धारा 69ए के साथ धारा 115बीबीई के अंतर्गत कर के दायरे में लाया गया। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में, ऐसे लाभ को भी सामान्य व्यावसायिक लाभ मानकर उस पर सामान्य दर से कर लगाया गया। ऐसे दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

मामला I:	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-15, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: आर2**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: व्यक्तिगत**

इस मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष के दौरान अपने बैंक खातों में नकद और अन्य नकद से इतर जमा किए थे और आयकर विवरणी (आईटीआर) दाखिल नहीं किया था। दिसंबर 2019 मे धारा 144 के तहत निर्धारण कार्यवाही के दौरान, निर्धारण अधिकारियों ने पाया कि निर्धारिती के बैंक खातों में नकद जमा और अन्य क्रेडिट प्रविष्टियाँ मौजूद थीं, निर्धारिती

जिनका स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। तदनुसार, निर्धारण अधिकारी ने धारा 69ए के अंतर्गत संपूर्ण नकद जमा को जोड़ा और नकद से इतर ऋणों के लिए, इसे व्यावसायिक आय मानते हुए अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत गैर नकद क्रेडिट का केवल आठ *प्रतिशत* जोड़ा और विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर लगाया। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति विभाग को दिसम्बर 2021 में संप्रेषित की गई थी।

मामला II: **आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त-20, दिल्ली**
निर्धारिती का नाम : आर1
निर्धारण वर्ष : 2017-18
स्थिति : व्यक्तिगत

इस मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष के दौरान अपने बैंक खातों में नकद और नकद से इतर दोनों प्रकार की राशि जमा की थी और उसने अपना आयकर विवरण (आईटीआर) दाखिल नहीं किया था। नवम्बर 2019 मे अधिनियम की धारा 144 के अन्तर्गत निर्धारण कार्यवाही के दौरान, निर्धारण अधिकारी ने पाया कि निर्धारिती के बैंक खातों में नकद जमा और अन्य क्रेडिट प्रविष्टियाँ मौजूद थीं, निर्धारिती जिनका स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। निर्धारण अधिकारी ने धारा 69ए के अंतर्गत पूरी नकद जमा राशि को शामिल किया, हालांकि, नकद क्रेडिट के अतिरिक्त अन्य राशि के लिए, इसे व्यावसायिक आय मानते हुए केवल आठ *प्रतिशत* राशि को शामिल किया और सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर लगाया। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति विभाग को मार्च 2021 में संप्रेषित की गई थी।

इस प्रकार, उपरोक्त दो उदाहरणों से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि मामले-I में, नकद के अतिरिक्त अन्य अस्पष्टीकृत क्रेडिट प्रविष्टियों का एक निश्चित *प्रतिशत* अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत कुल आय में जोड़ा गया और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर लगाया गया, जबकि मामले-II में, नकद के अतिरिक्त अन्य अस्पष्टीकृत जमाओं का एक निश्चित *प्रतिशत* कुल आय में जोड़ा गया और अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर लगाया गया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में मामले-1 के, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए कहा (मई 2026) कि निर्धारिती ने आईटीआर-4 दाखिल किया था जिसमें नि.व. 2014-15 से 2016-17 के लिए व्यवसाय से प्राप्त आय घोषित की गई थी, और निर्धारिती ने अपने खातों की अकेंक्षित करवाई और फॉर्म 3सीबी/3सीडी में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की थी। इसलिए, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक खातों में क्रेडिट प्रविष्टियों को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रासंगिक व्यावसायिक प्राप्तियां माना गया था। मूल्यांकन के लिए अघोषित गैर-नकद क्रेडिट का आठ प्रतिशत व्यावसायिक आय के रूप में लेने के संबंध में निर्धारण अधिकारी का निर्णय सही था।

मंत्रालय का जवाब लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को संबोधित नहीं कर रहा था, क्योंकि लेखापरीक्षा ने बताया था कि हालांकि केस-I में, कुल आय में कुल आय में कुछ *प्रतिशत* अघोषित अन्य को जोड़ा गया था। अधिनियम की धारा 69ए और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत कर लगाया गया था, केस-II में, नकद जमा के अलावा इस अघोषित का कुछ *प्रतिशत* कुल आय में जोड़ा गया था और अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर लगाया गया था।

इस परिप्रेक्ष्य में, मंत्रालय को अपने उत्तर पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी।

4.2.2 फर्जी खरीद/समायोजन प्रविष्टि से संबंधित मुद्दे

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फर्जी खरीदों के लिए किए गए अतिरिक्त भुगतानों में सभी निर्धारणों में एकरूपता नहीं थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निर्धारणों में फर्जी खरीदों के निपटान के लिए कोई दिशानिर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मौजूद नहीं है। धारा 68 से 69डी के अंतर्गत अनुमानित आय से संबंधित निर्धारण के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से किसी भी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), निर्देश या दिशानिर्देश के अभाव में, निर्धारण अधिकारी ने पूरी तरह से अपने स्वयं के अनुमान या विवेक के आधार पर निर्धारण पूरा किया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग द्वारा संवीक्षा किए गए समायोजन प्रविष्टि प्रदाता, समायोजन बिलों के टर्नओवर में मात्र 0.5 *प्रतिशत* से 5 *प्रतिशत* की वृद्धि करके अपनी कर योग्य आय में छूट प्राप्त कर गए।

कई मामलों में, समायोजन प्रविष्टि प्रदाताओं ने अपना विवरण दाखिल नहीं किया और कोई कार्रवाई नहीं की गई।

आयकर अधिनियम के प्रावधान धन शोधन और कर चोरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फर्जी प्रविष्टियों को वैध नहीं ठहराते हैं। लेखापरीक्षा में कुछ मामलों में यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों ने फर्जी खरीद/समायोजन प्रविष्टियों से संबंधित आय-मानक धाराओं के प्रावधानों का सहारा लिया। हालांकि, कुछ मामलों में, ऐसे अस्पष्टीकृत और अवैध लेन-देन को धारा 68/69 की आय अनुमानित धारा के दायरे में पूरी तरह से लाने के बजाय, उचित औचित्य/पर्याप्त साक्ष्य दर्ज किए बिना, ऐसी समायोजन प्रविष्टियों/व्यय/प्राप्तियों आदि का केवल एक निश्चित *प्रतिशत* (ज्यादातर 0.5 से 2 *प्रतिशत*) निर्धारितियों की आय/कमीशन के रूप में प्रभारित किया गया। ऐसे दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

उदाहरण 1:

मामला I: आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय सर्कल), थाने
निर्धारिती का नाम : ए5 डेवलपर्स
निर्धारण वर्ष : 2018-19
स्थिति : कंपनी

इस मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि बेस्टवे कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने निर्धारिती कंपनी को एक समायोजन प्रविष्टि प्रदान की थी। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह पता चला कि ऋणदाता की साख स्थापित नहीं हो सकी, क्योंकि ऋणदाता ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केवल ₹ 1.71 लाख और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 1.50 लाख की आय दर्ज की थी। तदनुसार, निर्धारण अधिकारी ने सितंबर 2021 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण/ मूल्यांकन को अनित रूप देते समय ₹ 1.00 करोड़ की पूरी राशि को निर्धारिती की आय में जोड़ दिया और अधिनियम की धारा 115बीबीई के अंतर्गत कर लगाया।

मामला II: आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-3, मुंबई

निर्धारिती का नाम : मेसर्स एफ1 लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2017-18

स्थिति : कंपनी

इस मामले में, लेखापरीक्षा ने निर्धारण अभिलेखों से पाया कि निर्धारिती ने मेसर्स जे2 प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एस16 प्राइवेट लिमिटेड से फर्जी खरीदारी की थी, जो समायोजन प्रविष्टि प्रदान करने में लगी हुई थीं। निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2020 में अधिनियम की धारा 144 के अन्तर्गत निर्धारण/ मूल्यांकन को अंतिम रूप देते समय अधिनियम की धारा 69सी के प्रावधानों को लागू किए बिना, निर्धारिती की आय में ₹ 203.86 करोड़ की फर्जी खरीद की पूरी राशि जोड़ दी, जबकि निर्धारिती लेन-देन की प्रामाणिकता का खुलासा करने और उसे प्रमाणित करने में विफल रहा था।

इस प्रकार, उपरोक्त दो उदाहरणों से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि मामले-I में, ₹ 1.00 करोड़ की पूरी राशि निर्धारिती की आय में जोड़ दी गई और अधिनियम की धारा 115बीबीई के अंतर्गत कर लगाया गया, जबकि मामले-II में, ₹ 203.86 करोड़ की फर्जी खरीद की पूरी राशि अधिनियम की धारा 69सी के प्रावधानों को लागू किए बिना निर्धारिती की आय में जोड़ दी गई।

मंत्रालय ने उपर्युक्त मामला-I के उत्तर में कहा (मई 2026) कि निर्धारण अधिकारी ने फर्जी प्रवेश की पूरी राशि ₹ 1.00 करोड़ को आय के रूप में माना था और अधिनियम की धारा 115बीबीई के प्रावधानों के तहत इस पर कर लगाया था। इसके अलावा, कहा कि यह केवल एक लेखापरीक्षा अवलोकन था, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति नहीं।

मंत्रालय के उत्तर में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को संबोधित नहीं किया गया था, क्योंकि लेखापरीक्षा ने बताया था कि मामला-I में, फर्जी प्रविष्टि की पूरी राशि ₹ 1.00 करोड़ को निर्धारिती की आय में जोड़ा गया था और अधिनियम की धारा 115बीबीई के तहत कर लगाया गया था। मामला-II में, ₹ 203.86 करोड़ की फर्जी खरीद की पूरी राशि निर्धारिती की आय में जोड़ दी गई थी, अधिनियम की धारा 69सी के प्रावधानों को लागू किए बिना। इसलिए, इसी तरह की प्रकृति

के लेनदेन के लिए इस तरह के अलग व्यवहार का कारण लेखापरीक्षा को सूचित किया जाना आवश्यक था।

इस परिप्रेक्ष्य में, मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे।

उदाहरण 2:

मामला I: आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त, पटियाला
निर्धारिती का नाम : वी5
निर्धारण वर्ष : 2017-18
स्थिति : व्यक्तिगत

इस मामले में, आरईआईसी से प्राप्त जानकारी से पता चला कि निर्धारिती ने अपनी स्वामित्व वाली फर्म के माध्यम से फर्जी बिक्री को दर्शाने वाली समायोजन प्रविष्टियाँ की थीं। परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत मार्च 2022 में मामले को दोबारा खोला गया। निर्धारिती ने विचाराधीन वर्ष के लिए आयकर विवरण दाखिल नहीं किया और न ही किसी नोटिस का उत्तर दिया तथा न ही कोई प्रासंगिक विवरण अपलोड किया। तदनुसार, निर्धारण अधिकारी ने धारा 69ए के अंतर्गत फर्जी बिक्री की पूरी राशि निर्धारिती की आय में जोड़ दी।

मामला II: आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त-केंद्रीय, गुरूग्राम
निर्धारिती का नाम : मेसर्स एस10 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2017-18
स्थिति : कंपनी

इस मामले में, निर्धारिती ने फर्जी खरीददारी की। लेखापरीक्षा जांच में यह भी पता चला कि यद्यपि निर्धारिती ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कई कंपनियों से हवाला प्रविष्टियाँ ली थीं, लेकिन निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत मूल्यांकन को अंतिम रूप देते समय ने इन राशियों को निर्धारिती की सामान्य आय में जोड़ दिया और धारा 115बीबीई के अंतर्गत विशेष दर के बजाय सामान्य दर पर कर लगाया।

इस प्रकार, उपरोक्त दो उदाहरणों से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि मामले-I में, फर्जी बिक्री की राशि को धारा 69ए के अंतर्गत निर्धारिती की आय में जोड़ा गया और धारा 115बीबीई के प्रावधान के अनुसार कर लगाया गया, जबकि

मामले-II में, फर्जी खरीद की पूरी राशि को अधिनियम के सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कर के दायरे में लाया गया।

मंत्रालय ने उपर्युक्त केस-I के उत्तर में कहा (अप्रैल 2026) कि लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया था और फरवरी 2023 में धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

हालाँकि, मंत्रालय के उत्तर में लेखापरीक्षा के तर्क को संबोधित नहीं किया गया था, क्योंकि लेखापरीक्षा ने बताया था कि केस-I में, फर्जी बिक्री की राशि को धारा 69ए के तहत निर्धारिती की आय में जोड़ा गया था और धारा 115बीबीई के प्रावधानों के अनुसार कर लगाया गया था, जबकि केस-II में, फर्जी खरीद की पूरी राशि को अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर लगाया गया था। इसलिए, लेनदेन की समान प्रकृति के लिए इस तरह के अलग व्यवहार का कारण लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

उपरोक्त को देखते हुए, मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे।

4.2.3 असुरक्षित ऋणों/विविध लेनदारों से संबंधित मुद्दे

निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय असुरक्षित ऋणों/विविध लेनदारों के संबंध में अलग-अलग रुख अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप कर की दर गलत तरीके से लागू हुई। ऐसे दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

उदाहरण 1

मामला I: आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त-केंद्रीय-2, चैन्नई

निर्धारिती का नाम : वी1

निर्धारण वर्ष : 2017-18

स्थिति : व्यक्तिगत

इस दृष्टांत मामले में, निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के साथ धारा 153ए के तहत पारित मूल्यांकन आदेश को अंतिम रूप देते हुए, पूरे असुरक्षित ऋण को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि निर्धारिती लेनदेन की वास्तविकता, उधारदाताओं की साख आदि को स्थापित करने के लिए कोई पुष्टिकरण साक्ष्य/विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा, और इसे अधिनियम की

धारा 68 के तहत कुल आय में जोड़ा और अधिनियम की धारा 115बीबीई के प्रावधानों के अनुसार इस पर कर लगाया।

मामला II:	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-3, चैन्नई**
	निर्धारिती का नाम	**: के2**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: व्यक्तिगत**

इस मामले में, निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, असुरक्षित ऋणों को अन्य स्रोतों से आय के रूप में जोड़ा और 30 *प्रतिशत* की दर से कर लगाया, भले ही निर्धारिती लेनदारों से पुष्टिकरण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा। चूंकि, लेन-देन की साख सहायक साक्ष्यों से सिद्ध नहीं हुई थी, इसलिए असुरक्षित ऋणों को धारा 68 के अंतर्गत अस्पष्टीकृत ऋण माना जाना चाहिए था और धारा 115बीबीई के अंतर्गत विशेष दर पर कर लगाया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, उपरोक्त दो उदाहरणों से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि मामले-I में, संपूर्ण अस्पष्टीकृत असुरक्षित ऋण को धारा 68 के अंतर्गत कुल आय में जोड़ा गया और अधिनियम की धारा 115बीबीई के प्रावधानों के अनुसार कर लगाया गया, जबकि मामले-II में, अस्पष्टीकृत असुरक्षित ऋण को अन्य स्रोतों से आय माना गया और 30 *प्रतिशत* की सामान्य दर से कर लगाया गया।

मंत्रालय ने केस-II के जवाब में, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए, (मई 2026) में कहा कि 29/04/2024 के मूल्यांकन आदेश में, निर्धारण अधिकारी ने लेखापरीक्षा मुद्दों को संबोधित किया और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ निर्धारिती के प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिटर्न की आय को स्वीकार किया:

क) निर्धारिती को अपने ससुर श्री टी से ₹ चार करोड़ मिले। नारायणन ने अप्रैल 2015 में एक्सिस बैंक के माध्यम से एक हैंड लोन के रूप में, जिसे तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के साथ निर्धारिती के खाते में जमा किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में, राशि को आपसी सहमति से उपहार में परिवर्तित करने के लिए कहा गया था, जो लिखित पुष्टि और बैंक विवरण द्वारा समर्थित था।

ख) अचल संपत्ति के संबंध में, निर्धारिती ने पूंजीगत लाभ की पेशकश किए बिना कुछ संपतियां बेच दीं। निर्धारिती ने स्पष्ट किया कि संपति संख्या 129 संयुक्त रूप से उसकी पत्नी के स्वामित्व में थी, और उसने उसके खातों में इसे दर्शाने के लिए अपनी खाता से उसके 50 प्रतिशत हिस्सेदारी को बाहर कर दिया। इसलिए, इस मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार नहीं की जाती है।

मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारिती दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान ऐसी कोई प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा, जैसा कि मूल्यांकन आदेश में कहा गया है, जिससे असुरक्षित ऋण के मद में संकलित किया गया और सामान्य दर पर कर लगाया गया। चूंकि उपरोक्त असुरक्षित ऋण अस्पष्ट रहा, लेखापरीक्षा की राय है कि उपरोक्त अनुवृद्धि को अस्पष्ट आय के रूप में माना जाना चाहिए था और धारा 115बीबीई के प्रावधानों के अनुसार कर लगाया जाना चाहिए था, जो निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था।

इसके अलावा, मंत्रालय ने अपने जवाब में 29 अप्रैल 2024 के मूल्यांकन आदेश को संदर्भित किया, जबकि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति दिसंबर 2019 में पारित अधिनियम की धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन आदेश में उठाई गई थी। इस प्रकार, मंत्रालय एक आदेश का हवाला दे रहा है जो लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बाद पारित किया गया था। इसके अलावा, मंत्रालय ने 29 अप्रैल 2024 के आदेश में अब सामने आए तथ्य के समर्थन में कोई प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान नहीं किया है।

इस प्रकार, दो अलग-अलग निर्धारितियों के मामले में समान लेनदेन पर विभाग द्वारा लिए गए अलग-अलग रुख के संबंध में लेखापरीक्षा के तर्क को संबोधित किया जाना शेष है

उपरोक्त को देखते हुए, मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

उदाहरण 2

मामला I:	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-12, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: मैसर्स आई1 एक्सपोर्ट**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: फर्म**

इस मामले में, निर्धारण कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को नोटिस जारी कर विविध लेनदारों के विवरण सहित स्पष्टीकरण/विवरण/ दस्तावेज/सबूत मांगे, लेकिन निर्धारिती लेनदारों की प्रामाणिकता साबित करने में विफल रहा। निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 143(3) अंतर्गत निर्धारण/ मूल्यांकन को दिसंबर 2019 अंतिम रूप देते समय इन विविध लेनदारों के लिए राशि को अस्वीकृत कर दिया और इसे सामान्य आय में जोड़ दिया, जिस पर कम कर दर यानी 30 *प्रतिशत* और अधिभार 12 *प्रतिशत* लागू होता है।

मामला II:	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-4, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: मैसर्स के7 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: कंपनी**

इस मामले में, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत दिसम्बर 2019 निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, धारा 68 के अंतर्गत विविध लेनदारों की पूरी राशि को जोड़ा और अधिनियम की धारा 115बीबीई के अंतर्गत विशेष दर पर कर लगाया।

इस प्रकार, उपरोक्त दो उदाहरणों से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि मामले-I में, विविध लेनदारों के प्रति अस्पष्टीकृत राशि को सामान्य आय में जोड़ा गया और उस पर 30 *प्रतिशत* की सामान्य दर से कर लगाया गया, साथ ही 12 *प्रतिशत* का अधिभार भी लगाया गया, जबकि मामले-II में, विविध लेनदारों की संपूर्ण अस्पष्टीकृत राशि को धारा 68 के अंतर्गत जोड़ा गया और अधिनियम की धारा 115बीबीई के अंतर्गत विशेष दर से कर लगाया गया।

मंत्रालय ने मामले-II के उत्तर में, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए, (फरवरी 2026) में कहा कि वर्तमान दृष्टांत मामले में कोई लेखापरीक्षा अभ्युक्ति नहीं है। नीति पैराग्राफ में संबंधित सिफारिश का अलग से जवाब दिया जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा के तर्क को संबोधित नहीं कर रहा था, क्योंकि लेखापरीक्षा ने बताया था कि यद्यपि केस-I में, विविध लेनदारों के प्रति अस्पष्टीकृत राशि को सामान्य आय में जोड़ा गया था और 30 *प्रतिशत* की सामान्य दर पर कर लगाया गया था। साथ ही 12 *प्रतिशत* का अधिभार, जबकि केस-II में, विविध लेनदारों की संपूर्ण अस्पष्टीकृत राशि को धारा 68 के तहत जोड़ा गया था और अधिनियम की धारा 115बीबीई के तहत विशेष दर पर कर लगाया गया था। इसलिए, लेनदेन की समान प्रकृति के लिए इस तरह के अलग व्यवहार का कारण लेखापरीक्षा को सूचित किया जाना आवश्यक था।

उपरोक्त को देखते हुए, मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार कर सकता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि निर्धारिती के बहीखातों में बैंक खातों में अघोषित क्रेडिट प्रविष्टियों/फर्जी खरीद/असुरक्षित ऋणों/विविध लेनदारों से संबंधित मामलों के निपटान में एकरूपता का अभाव था। एक ही तरह की परिस्थितियों में और यहां तक कि एक ही प्रभार में भी, निर्धारण अधिकारी अलग-अलग रुख अपना रहे थे, जबकि लेन-देन की प्रामाणिकता साबित नहीं हो सकी थी। इससे मुकदमेबाजी हो सकती है, जिसमें अपीलीय चरण में अतिरिक्त प्रावधानों के अमान्य होने का अंतर्निहित जोखिम होता है। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारियों द्वारा की गई इस तरह की मनमानी कार्रवाई से न केवल 90 से 99.5 *प्रतिशत* तक अस्पष्टीकृत आय का निर्धारण नहीं हो पाया, बल्कि इस तरह की अस्पष्टीकृत राशि को सफेद धन के रूप में वैध भी बना दिया गया।

<u>अनुशंसा 5:</u>

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रासंगिक धाराओं के प्रावधानों को लागू करने में इस तरह की भिन्नताओं और निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए संशोधनों के कारणों की जांच करे और निर्धारण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, संभवतः उदाहरणों सहित, मानक परिचालन प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों को जारी करने पर विचार करे, जिससे सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान/ मुकदमेबाजी के दायरे को कम किया जा सके।

मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा (मई 2026) कि सीबीडीटी द्वारा एसओपी/ दिशानिर्देश जारी करने के संबंध में सिफारिश विचाराधीन है।

लेखापरीक्षा एसओपी/दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने और प्रसारित करने के लिए की गई आगे की प्रगति की प्रतीक्षा करेगा, जो प्रणाली को मजबूत करने और विसंगतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक हैं।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि सीबीडीटी ने इस संबंध में 29/05/2026 को आय कर क्षेत्रीय संरचना के लिए गाइडलाइंस/निर्देश जारी किए थे।

4.3 आंतरिक नियंत्रण/अनुवीक्षण तंत्र की अपर्याप्तता

4.3.1 समय पर कार्रवाई शुरू न करने के कारण मामले कालबाधित हो सकते हैं

यह अधिनियम समय सीमा के कारण निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद मामले को दोबारा खोलने का प्रावधान नहीं करता है।

इस प्रतिवेदन में शामिल 1,902 मामलों में से 220 से अधिक मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई/उत्तर अभी भी लंबित हैं, जहां विभाग ने पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी लेखापरीक्षा अभ्युक्ति/तथ्यों के विवरण पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की। समय पर कार्रवाई शुरू न करने से मामले कालबाधित हो सकते हैं, जिससे राजकोष को राजस्व का नुकसान हो सकता है।

इससे यह संकेत मिलता है कि विभाग द्वारा विशेष रूप से प्राप्ति लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के संबंध में कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। यद्यपि आयकर विभाग के पास काल बाधित होने से बचाने के लिए मामलों की संवीक्षा करने

के लिए तंत्र मौजूद है, फिर भी लेखापरीक्षा में 220 मामलों, जिनके काल बाधित होने कि संभावना थी, में कार्यवाही नहीं करने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

4.3.2 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता

आयकर विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा की शुरुआत 1954 में निर्धारण की दूसरी जांच प्रदान करने के लिए की गई थी, विशेष रूप से अंकगणितीय सटीकता पर, जो कि निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरी की जाती थी। परिणामस्वरूप, 1960 में प्राप्ति लेखापरीक्षा (पूर्ववर्ती राजस्व लेखापरीक्षा) के अनुरूप इसका दायरा विस्तारित किया गया। इसके बाद निर्देश/स्पष्टीकरण जारी करके इसमें कई बार संशोधन किए गए। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा के कामकाज पर सीएजी की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के बाद, आयकर विभाग में एक नया अनुप्रयोग 'आयकर व्यवसाय एप्लिकेशन (आईटीबीए)' लॉन्च किया गया। तदनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जुलाई 2017 में एक नया निर्देश जारी किया, अर्थात् निर्देश संख्या 06, 2017, जिसने आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने सभी पूर्व निर्देशों को निरस्त कर दिया। यह परिपत्र आंतरिक लेखापरीक्षा के उद्देश्य से जारी किया गया था ताकि कमियों को कम करके निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार लाने में योगदान दिया जा सके और राजस्व लेखापरीक्षा द्वारा त्रुटियों का पता लगाने से रोका जा सके। इसमें निम्नलिखित को परिभाषित किया गया है: (क) अंकगणितीय अशुद्धि; (ख) प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का अनुप्रयुक्त या गलत अनुप्रयोग; (ग) बाध्यकारी न्यायिक निर्णयों/पूर्व उदाहरणों के अनुरूप न होने वाले आदेश; (घ) विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों के अनुरूप न होने वाले आदेश।

क. आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए मामलों में प्राप्ति लेखापरीक्षा (सीएजी लेखापरीक्षा) द्वारा कमियों का पता लगाना

लेखापरीक्षा नियमावली, 2019 के पैराग्राफ 1.2 के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य निर्धारण और मांग की वसूली के कार्य के दौरान निर्धारण अधिकारी

और कर वसूली अधिकारी द्वारा की गई त्रुटियों और त्रुटियों का पता लगाना है ताकि राजस्व को हुए नुकसान की भरपाई के लिए या अधिक निर्धारण/अधिक प्रभार के मामले में निर्धारिती को राहत देने के लिए त्वरित और उचित उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके। आंतरिक लेखापरीक्षा त्रुटियों की रोकथाम का एक तंत्र भी है, जिसका निवारक और सुधारात्मक दोनों प्रभाव होता है। इसका अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उचित प्रक्रियाओं और कानूनों का पालन किया गया है, जिससे निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार हो सके और 'प्राप्ति लेखापरीक्षा' द्वारा त्रुटियों का पता लगाने से बचा जा सके।

इसके अतिरिक्त, संबंधित आयकर आयुक्त, स्वीकृत प्रमुख प्राप्ति लेखापरीक्षा आपत्ति के उचित मामलों में, आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांग सकता है, यदि वह आपत्ति आंतरिक लेखापरीक्षा के बाद उठाई गई हो और आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी ऐसी आपत्ति उठाने में विफल रहा हो, और वह उचित कार्रवाई कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस प्रतिवेदन में शामिल 1,902 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, 103 मामलों के निर्धारण की जांच विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की गई थी, जबकि 22 मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा से जुड़ी जानकारी लेखापरीक्षा टीम को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके अलावा, बताए गए 103 मामलों में से 17 मामलों का आंतरिक लेखापरीक्षा, प्राप्ति लेखापरीक्षा के बाद किया गया था और 73 मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा की तारीख लेखापरीक्षा टीम को नहीं बताई गई थी।

दो राज्यों[8] के बाकी 13 मामलों में, प्राप्ति लेखापरीक्षा के दौरान निर्धारण में गलतियां पाई गईं, जबकि इन मामलों की जांच प्राप्ति लेखापरीक्षा द्वारा की जा चुकी थी। ऐसे दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

[8] आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, और केरल

मामला I: आयकर आयुक्त प्रभार : प्रधान आयकर आयुक्त-1, हैदराबाद

निर्धारिती का नाम : मेसर्स वी6 एंटरप्राइजेज

निर्धारण वर्ष : 2017-18

स्थिति : फर्म

उपरोक्त फर्म के मामले में, अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत नवंबर 2019 में सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें अधिनियम की धारा 68 और 69सी के अंतर्गत ₹ 34.84 करोड़ और सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 345.52 लाख की कटौती के बाद आय विवरण में घोषित ₹ 3,491.98 लाख की हानि के लिए ₹ 3.38 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण अधिकारी ने कुल आय की गणना करते समय, ₹ 34.92 करोड़ के घोषित नुकसान को धारा 68/69सी के अंतर्गत की गई ₹ 34.84 करोड़ की अतिरिक्त राशि के प्रति समायोजित कर दिया था। हालांकि, अधिनियम की धारा 68/69सी के अंतर्गत निर्धारित आय का समायोजन धारा 115बीबीई के अंतर्गत अनुमती नहीं है। इस चूक के परिणामस्वरूप धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 33.99 करोड़ की कर मांग में कमी आई।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि इस मामले की समीक्षा विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध द्वारा (जनवरी 2021 में) किए जाने के बावजूद भी गलती को इंगित नहीं किया गया लेखापरीक्षा अभ्युक्ति विभाग को फरवरी 2021 में संप्रेषित की गई थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा (अप्रैल 2026) कि नवंबर 2021 में धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी। हालांकि, मंत्रालय ने विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की ओर से उचित परिश्रम की कमी पर कोई टिप्पणी नहीं की।

मामला II:	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-1, विशाखापट्टनम**
	निर्धारिती का नाम	**: सी1**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: व्यक्तिगत**

उपरोक्त व्यक्तिगत के मामले में, अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत दिसंबर 2019 में संवीक्षा के बाद निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें अधिनियम की धारा 68 और 69सी के अंतर्गत ₹ 6.31 करोड़ और सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 41.42 लाख की अस्वकृति के बाद ₹ 4.80 लाख की घोषित आय में ₹ 6.77 करोड़ की आय दर्ज की गई।

लेखापरीक्षा में इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन के गणना पत्रक से यह पाया गया कि कर की गणना धारा 115बीबीई के अंतर्गत विशेष दर पर ₹ 5.30 करोड़ की आय के बजाय ₹ 6.31 करोड़ पर और सामान्य दरों पर ₹ 1.47 करोड़ की आय के बजाय ₹ 46.22 लाख पर गलत तरीके से की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 56.04 लाख कम कर की मांग हुई।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि इस मामले की समीक्षा विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा (फरवरी 2021 में) की गई थी, हालांकि गलती की ओर ध्यान नहीं दिलाया गया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की सूचना विभाग को मार्च 2021 में दी गई थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा (फरवरी 2026) कि जनवरी 2022 में धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी। हालांकि, मंत्रालय ने विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की ओर से उचित परिश्रम की कमी पर कोई टिप्पणी नहीं की।

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि यद्यपि इन मामलों की जांच विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई थी, फिर भी आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा कमियों को इंगित नहीं किया गया। इससे संबंधित अधिकारियों की ओर से स्पष्ट चूक का संकेत मिलता है। लेखापरीक्षा में यह पता नहीं चल सका कि

क्या संबंधित आयकर आयुक्त ने इन मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा और लेखापरीक्षा नियमावली 2019 के अनुसार उचित कार्रवाई की।

ख. आंतरिक लेखापरीक्षा में जांच के लिए संभावित मामलों का चयन न होना

लेखापरीक्षा नियमावली, 2019 के पैरा 2.1.1 के अनुसार, उच्च जोखिम वाले लेखापरीक्षा योग्य मामलों के चयन के लिए, जहां गलती की संभावना अधिक होती है, लेखापरीक्षा के लिए एक सार्वभौमिक मानदंड तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है। इस उद्देश्य के लिए, आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन द्वारा सूची का निर्माण 'लेखापरीक्षा क्षमता सूचकांक' (एपीआई) पर आधारित होगा, जिसे कुछ निश्चित मापदंडों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा नियमावली, 2019 के पैरा 2.2.1 के अनुसार, जिसे सीबीडीटी ने एफ. संख्या 246/15/219 ए एंड पीएसी-II दिनांक 20.08.2019 के माध्यम से स्पष्ट किया था कि लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध मामलों की अधिकतम संख्या की लेखापरीक्षा करने पर कोई रोक नहीं है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस प्रतिवेदन में शामिल 1,902 मामलों में से 1,777 मामलों (93 *प्रतिशत*) की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा नहीं की गई थी। विभाग में 'स्टेटमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन' (एसएफटी), 'इनसाइट पोर्टल' और 'नॉन-फ़ाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम' (एनएमएस) जैसे कई सूचना प्रणाली उपकरण उपलब्ध होने और ज़्यादा से ज़्यादा मामलों की लेखापरीक्षा करने पर कोई रोक न होने के बावजूद, इन संभावित मामलों को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए नहीं चुना गया। नतीजतन, कई संभावित मामले आंतरिक लेखापरीक्षा की जांच से छूट सकते हैं, जिससे सरकारी खजाने को राजस्व का नुकसान हो सकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

ग. लेखापरीक्षा नियमावली प्रक्रिया का पालन न करना

लेखापरीक्षा नियमावली 2019 के पैरा 7.5 के अनुसार, आयकर आयुक्त (लेखापरीक्षा) या संयुक्त आयकर आयुक्त (लेखापरीक्षा) के लिए यह सुनिश्चित

करना अनिवार्य है कि वे उन निर्धारण इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्राप्ति लेखापरीक्षा से पहले प्राथमिकता के आधार पर करें, जहां स्थानीय लेखापरीक्षा दल (एलएपी) द्वारा अनुपालन लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा कार्यक्रम प्राप्त हो चुका है।

लेखापरीक्षा में 103 मामलों में से 17 ऐसे उदाहरण सामने आए, जहां प्राप्ति लेखापरीक्षा पूरा होने के बाद आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी। यह दर्शाता है कि विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और संबंधित आयकर आयुक्त/ संयुक्त आयकर आयुक्त लेखापरीक्षा नियमावली 2019 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित नहीं कर सके। ऐसे दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

मामला I:	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: प्रधान आयकर आयुक्त-4, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: मैसर्स एम8 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: कंपनी**

एक कंपनी के मामले में, प्रधान आयकर आयुक्त-4, दिल्ली प्रभार के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी सर्किल 16(1) द्वारा निर्धारित उपर्युक्त निर्धारण वर्ष हेतु लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत संवीक्षा के बाद निर्धारण पूरा कर लिया था, जिसमें ₹ 1.66 करोड़ की आय और उस पर ₹ 45.66 लाख का कर निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने, निर्धारित आय की गणना करते समय, निर्धारिती की आय के साथ ₹ 4.39 करोड़ के दीर्घकालिक पूंजीगत नुकसान को गलत तरीके से समायोजित कर दिया था। परिणामस्वरूप, ₹ 27.82 लाख के अप्रयुक्त मूल्यह्रास को घटाने के बाद, आय का निर्धारण ₹ 6.05 करोड़ के बजाय ₹ 1.66 करोड़ किया गया और ₹ 4.39 करोड़ की पूंजीगत हानि को आगे ले जाने की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी ने ग्राहकों से प्राप्त ₹ 1.55 करोड़ के अस्पष्टीकृत अग्रिमों और ₹ 2.89 करोड़ के अस्पष्टीकृत व्यापार देयताओं के संबंध में अतिरिक्त राशि जोड़ी थी, क्योंकि ये सत्यापित नहीं थे और निर्धारिती इन शेष राशियों के समर्थन में कोई दस्तावेज साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं कर सका था। हालांकि, निर्धारण

अधिकारी ने इन परिवर्धनों को अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत अस्पष्टीकृत क्रेडिट के रूप में जोड़ने के बजाय सामान्य आय के रूप में दर्ज किया था, जिस पर अधिनियम की धारा 115बीबीई के अंतर्गत अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर लगाया जाना था।

इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 1.03 करोड़ के अस्पष्टीकृत गैर-चालू निवेश के कारण यह राशि जोड़ी थी और यह अप्रमाणित रही क्योंकि निर्धारिती यह साबित करने के लिए अभिलेखों में लाने में विफल रहा कि निवेश उसकी निधि से किया गया था। निर्धारिती निवेश संबंधी प्रविष्टियों और बैंक में उपलब्ध धनराशि तथा किए गए निवेश के बीच संबंध स्थापित नहीं कर सका। निर्धारण अधिकारी ने इन राशियों को अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 115बीबीई के अंतर्गत अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत अस्पष्टीकृत निवेश के रूप में जोड़ने के बजाय सामान्य आय के रूप में जोड़ा था।

जनवरी 2023 में इन अभ्युक्तियों की जानकारी तथ्यों के विवरण के माध्यम से विभाग को दी गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस मामले का आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2024 में पूरा हो गया था, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा ने ग्राहकों से प्राप्त ₹ 1.55 करोड़ के अस्पष्टीकृत अग्रिमों से संबंधित उन अभ्युक्तियों को दोहराया था, जिन्हें प्राप्ति लेखापरीक्षा दल द्वारा पहले ही उठाया जा चुका था।

विभाग ने (नवंबर 2024) कहा कि मार्च 2024 में धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करके मामले को फिर से खोला गया था, और आवश्यक कार्रवाई के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को फेसलेस मूल्यांकन इकाई के साथ साझा किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

मामला II:	**आयकर आयुक्त प्रभार**	**: आयकर आयुक्त केंद्रीय-1, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**: मैसर्स एस8 ट्रस्ट**
	निर्धारण वर्ष	**: 2017-18**
	स्थिति	**: फर्म**

उपरोक्त ट्रस्ट के मामले में, आयकर आयुक्त (केंद्रीय-1), दिल्ली प्रभार के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी सर्किल 6 द्वारा निर्धारित उपर्युक्त निर्धारण वर्ष हेतु, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत संवीक्षा के बाद निर्धारण पूरा कर लिया था, जिसमें ₹ 39.84 करोड़ की आय और उस पर ₹ 28.31 करोड़ का कर निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण आदेश के अनुसार, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत ₹ 39.84 करोड़ की अघोषित आय को जोड़ा था, जिस पर विशेष दरों पर कर लगाया जाना आवश्यक था। हालांकि, कर गणना पत्रक में कर देयता की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने लागू दर 25 *प्रतिशत* के बजाय 15 *प्रतिशत* की दर से अधिभार लगाया।

सितंबर 2020 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की सूचना विभाग को दी गई थी। विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत फरवरी 2021 में गलती को सुधार लिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस मामले की आंतरिक लेखापरीक्षा जुलाई 2023 में पूर्ण हो गयी थी, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा ने केवल प्राप्ति लेखापरीक्षा दल द्वारा बतायी गयी अभ्युक्तियों को दोहराया था। लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि आंतरिक लेखापरीक्षा करने वाली टीम ने प्राप्ति लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में पहले से पारित सुधार आदेश का संज्ञान क्यों और कैसे नहीं लिया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

यह दर्शाता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए मामलों के चयन के अनुवीक्षण में कमी थी। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा पहले से ही

सुलझाए गए मुद्दे पर आपत्ति उठाना गंभीर चिंता का एक विषय था और ऐसी घटना के कारणों का पता लगाने के लिए इसकी जांच आवश्यक थी।

<u>अनुशंसा 6</u>:

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने और विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के कामकाज में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार करे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड संभावित मामलों के चयन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु मामलों के चयन के मानदंडों पर पुनर्विचार करने पर भी विचार करे।

मंत्रालय/सीबीडीटी ने अपने जवाब (अप्रैल 2026) में कहा:

- *विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र सहित अनुदेश सं. 2/2024 आंतरिक लेखापरीक्षा, नियमित सिस्टम की जांच और आईटीबीए का अद्यतन, से संबंधित है और 2008 के निर्देश संख्या 15 और 16 मूल्यांकन अधिकारियों के निरीक्षण और उनके नियंत्रण अधिकारी या संबंधित पीसीआईटी द्वारा मूल्यांकन आदेशों की समीक्षा संबंधित। इन सभी का उद्देश्य त्रुटि-रहित आकलन सुनिश्चित करना है।*
- *सीबीडीटी ने वि.व. 2024-25 से, पहले के केवल चार कारकों के आधार पर लगभग 27 कारकों के साथ कर योग्य आय के निर्धारण को प्रभावित करने वाले एक गतिशील जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा पोटेंशियल इंडेक्स (एपीआई) को अपनाया है।*
- *वर्तमान में, आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए मूल्यांकन मामलों का चयन ऑडिट पोटेंशियल इंडेक्स (एपीआई) के एक उद्देश्य, डेटा-संचालित और जोखिम-आधारित मानदंड पर आधारित है, जिसे आईटीबीए के माध्यम से चलाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च जोखिम वाले कारकों वाले मामलों को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुने जाने की बेहतर संभावना है। राजस्व के हित की रक्षा करने के अंतिम उद्देश्य के साथ।*
- *इस संबंध में प्रत्येक मूल्यांकन आदेश को एक एपीआई दिया जाता है जो 0.1 और 1.0 के बीच एक संख्यात्मक मान है जिसमें 1.0 का*

एपीआई उच्चतम जोखिम मूल्य है और 0.1 का एपीआई सबसे कम जोखिम मूल्य है।

- *इसलिए, सी एंड एजी की इस सिफारिश को सीबीडीटी द्वारा पहले से ही अक्षरशः और तत्परता से लागू किया जा रहा है।*

एक गतिशील जोखिम आधारित ऑडिट पोटेंशियल इंडेक्स (एपीआई) को अपनाने के प्रभाव का आकलन भविष्य के वर्षों में लेखापरीक्षा द्वारा किया जाएगा, क्योंकि इसे वित्त वर्ष 2024-25 से लागू किया गया था।

नई दिल्ली **(मोनिका वर्मा)**
दिनांक: 05 अगस्त 2026 **महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 05 अगस्त 2026 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

विधिक प्रावधान

(पैरा 1.5 देखें)

अधिनियम की धारा	अधिनियम का प्रावधान
अनुच्छेद 68	यदि किसी निर्धारिती द्वारा पूर्व वर्ष के लिए रखी गई बही खातों में कोई राशि जमा पाई जाती है, और निर्धारिती उस राशि के स्वरूप और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में संतोषजनक नहीं है, तो जमा की गई राशि को उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में आयकर के दायरे में लाया जाए।
अनुच्छेद 69	यदि निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में, निर्धारिती ने ऐसे निवेश किए हैं जो उसके द्वारा किसी भी आय स्रोत के लिए रखे गए बही-खातों में दर्ज नहीं हैं, और निर्धारिती निवेश की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, निर्धारण अधिकारी की राय में, संतोषजनक नहीं है, तो निवेश का मूल्य उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की आय माना जाए।
अनुच्छेद 69ए	यदि किसी वर्ष में करदाता किसी धन, सोने, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु का स्वामी पाया जाता है और ऐसा धन, सोने, आभूषण या मूल्यवान वस्तु उसके द्वारा आय के किसी भी स्रोत के लिए रखे गए बहीखातों में दर्ज नहीं है, और करदाता धन, सोने, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति के स्वरूप और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में संतोषजनक नहीं है, तो धन और सोने, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु का मूल्य उस वर्ष के लिए करदाता की आय माना जाए।

अधिनियम की धारा	अधिनियम का प्रावधान
अनुच्छेद 69बी	यदि किसी वर्ष में करदाता ने किसी सोने, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु में निवेश किया है या वह उसका स्वामी पाया जाता है, और निर्धारण अधिकारी को यह पता चलता है कि ऐसे निवेश करने या सोने, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करने में खर्च की गई राशि, निर्धारिती द्वारा आय के किसी भी स्रोत के लिए रखे गए बही-खातों में दर्ज राशि से अधिक है, और करदाता इस अतिरिक्त राशि के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, निर्धारण अधिकारी की राय में, संतोषजनक नहीं है, तो अतिरिक्त राशि को उस वर्ष के लिए करदाता की आय माना जाए।
अनुच्छेद 69सी	यदि किसी वर्ष में करदाता द्वारा कोई व्यय किया जाता है और वह ऐसे व्यय या उसके किसी भाग के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, या उसके द्वारा दिया गया कोई स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में संतोषजनक नहीं है, तो ऐसे व्यय या उसके किसी भाग से संबंधित राशि को उस वर्ष के लिए करदाता की आय माना जाए। धारा 69सी के अनुसार करदाता की आय माने जाने वाले इस अस्पष्टीकृत व्यय को आय के किसी भी मद के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।
अनुच्छेद 69डी	यदि किसी व्यक्ति से हुंडी पर कोई राशि उधार ली जाती है, या उस पर देय कोई राशि बैंक पर जारी किए गए खाताधारक चेक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से चुकाई जाती है, तो उधार ली गई या चुकाई गई राशि को उधार लेने वाले या चुकाने वाले व्यक्ति की आय माना जाएगा। इसे उस वर्ष की आय के रूप में माना जाएगा जिस वर्ष यह राशि उधार ली गई या चुकाई गई थी।

अधिनियम की धारा	अधिनियम का प्रावधान
अनुच्छेद 115बीबीई	**1.** जहां किसी निर्धारिती की कुल आय, (क) धारा 68, धारा 69, धारा 69ए, धारा 69बी, धारा 69सी या धारा 69डी में निर्दिष्ट किसी आय को सम्मिलित करती है और धारा 139 के अंतर्गत प्रस्तुत आय विवरण में दर्शाई गई है; या (ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित किसी आय को धारा 68, धारा 69, धारा 69ए, धारा 69बी, धारा 69सी या धारा 69डी में निर्दिष्ट आय को सम्मिलित करती है, तो देय आयकर निम्नलिखित का योग होगा – (i) उपर्युक्त आय पर साठ *प्रतिशत* की दर से परिकलित आयकर की राशि; और (ii) आयकर की वह राशि जिसके लिए निर्धारिती प्रभार्य होता यदि उसकी कुल आय खंड (i) में निर्दिष्ट आय की राशि से कम कर दी जाती। **2.** इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आय की गणना करते समय, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत निर्धारिती को किसी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती या किसी हानि की भरपाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।

संक्षिप्ताक्षर

संक्षिप्ताक्षर	विवरण
अधिनियम	आयकर अधिनियम, 1961
आईटी	आयकर
आईटीआर/रिटर्न	आयकर रिटर्न/आयकर विवरणी
आईटीएनएस	आयकर गणना पत्रक
आईटीएटी	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
आईटीओ	आयकर अधिकारी
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीबीए	आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग
एआई	निर्धारित आय
एआईआर	वार्षिक सूचना विवरणी
एएलपी	आर्म्स लेंथ मूल्य
एएसटी	निर्धारण सूचना प्रणाली
एओ	निर्धारण अधिकारी
एओपी	व्यक्तियों का संघ
एनएसडीएल	राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड
एफवाई/वि.व.	वित्तीय वर्ष
एलटीसीजी	दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ
एवाई/नि.व.	निर्धारण वर्ष
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसीआईटी	सहायक आयकर आयुक्त
ओएलटीएएस	ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली
जेसीआईटी	संयुक्त आयकर आयुक्त
टीई	कर प्रभाव
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीपी	अंतरण मूल्य निर्धारण
टीपीओ	अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी

संक्षिप्ताक्षर	विवरण
टीसीएस	स्रोत पर कर संग्रह
डीओआर	राजस्व विभाग
डीजीआईटी (प्रणाली)	आयकर महानिदेशक (प्रणाली)
डीटी	प्रत्यक्ष कर
डीसीआईटी	आयकर उपायुक्त
नियम	आयकर नियम, 1962
पैन	स्थायी खाता संख्या
प्रधान डीजीआईटी	प्रधान आयकर महानिदेशक
प्रधान सीसीआईटी	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
सीआईटी	आयकर आयुक्त
सीआईटी(ए)	आयकर आयुक्त (अपील)
सीएएसएस	कंप्यूटर सहायता प्राप्त संवीक्षा चयन
सीटी	निगम कर
सीपीसी-आईटीआर	केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र - आयकर रिटर्न
सीपीसी-टीडीएस	केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र - स्रोत पर कर कटौती
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीसीआईटी	मुख्य आयकर आयुक्त

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/hi/page-32-of-2026